चतुर्थ माला, खंड VI, अंक 31
Fourth Series, Vol. VI, No. 31

मंगलवार, 4 जुलाई 1967/13 आषाढ़, 1889 (शक)
Tuesday, July 4, 1967/Asadha 13, 1889 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 31 मंगलवार, 4 जुलाई 1967/ 13 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 31 Tuesday, July 4, 1967/Asadha 13, 1889 (Saka)

ता. प्र. सं. 901 के बारे में	REGARDING. Q. No. 901	4167–4168

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages.
901	बिहार में गत आम चुनाव में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना — Participation of Government Servants in the last General Elections in Bihar ..	4168–4170
902	एक दिन में मतदान — One-day Poll ...	4170–4175
903	आयात किये गये अमरीकी गेहूं का मूल्य — Price of Imported American Wheat ..	4175–4179
904	भारत में उर्वरक का संकट — Fertilizer Crisis in India	4179–4182
905	राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिये चुनाव — Election for Presidentship and Vice-Presidentship	4182–4184

अल्प सूचना प्रश्न/S. N. Q.

22	उड़ीसा द्वारा पश्चिम बंगाल को चावल का संभरण — Rice supplied to West Bengal by Orissa ..	4184–4191

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या / S. Q. Nos.

906	किसानों को लाभप्रद मूल्य — Remunerative Price to Farmers	4191–92
907	ढोरों का बीमा — Cattle Insurance	4192
908	राज्यों को संकर मक्का के बीज की सप्लाई — Supply of Hybrid Maize seeds to States ...	4192
909	चावल का आयात — Import of Rice ...	4192–4193
910	सहकारी क्षेत्र — Co-operative Sector	4193
911	दिल्ली में जाली राशन कार्ड — Ghost Ration Cards In Delhi	4193–4194
912	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ऋण की सुविधायें — Credit Facilities in Drought affected Areas	4194

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

913	प्रधान मन्त्री का मध्य प्रदेश में सरगुजा का दौरा	Prime Minister's Visit to Sarguja in M. P.	4194–4195
914	गन्ने का मूल्य	Price of Sugar Cane ...	4195–4196
915	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष	International Tourist year	4196
916	पारादीप पत्तन	Paradeep Port ...	4196–4197
917	केरल को चावल की सप्लाई	Rice supply to Kerala ...	4197
918	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र	Constituencies reserved for S. C. & S. T. ...	4197–4198
919	गन्ने के मूल्य में वृद्धि	Increase of Sugarcane price	4198
920	मशीनों से खेती	Mechanised Farming	4198
921	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	Hindustan Shipyard ...	4199
922	चीनी मिलों द्वारा चोर बाजारी	Black marketing by Sugar Mills	4199
923	फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme ...	4199
924	सामुदायिक विकास योजनाएं	Community Development Schemes	4200
925	मौसम की पूर्व सूचना देना	Weather Forecasting ..	4200-4201
926	भारत की बार कांउसिल	Bar Councial of India	4201
927	बम्बई पत्तन न्यास	Bombay Port Trust	4201–4202
928	हरयाना से चोरी छिपे अनाज का बाहर ले जाया जाना	Smuggling of Foodgrains from Haryana	4202
929	सूकौती (उत्तर प्रदेश) में दीवान शूगर मिल्स	Diwan Sugar Mills, Sukouti (U. P.) ...	4203
930	अपीजे शिपिंग कम्पनी	Appejay Shipping Company	4203–4204

अता. प्रश्न संख्या/U.S.Q. No.

4416	सिंचाई के लिये यंत्रीकृत मशीनें	Mechanical Devices for Irrigation	4204
4417	उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता	Supreme Court Advocates	4204–4205

4418	इण्डियन एयर–लाइन्स कारपोरेशन के यात्रियों के लिये पत्र-पत्रिकाएं	Magazines and Periodicals for I. A. C. ...	4205–4206
4419	बिजली से चलने वाले नलकूपों से सिंचाई	Irrigation by Electric Tube Wells	4206
4420	नई दिल्ली में पूसा रोड पर सुपर बाजार	Super Market at Pusa Road, New Delhi	4206
4421	साधारण निर्वाचनों के लिये बनाये गये निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों की जनसंख्या	Population of S. C. & S. T. in Constitutencies created for General Elections ...	4206–4207
4422	गुजरात में पेटलाड़ स्थित सहकारी चीनी कारखाना	Cooperative Sugar Factory at Petlad in Gujarat	4207
4423	अनाज उत्पादन की प्रतियोगिता	Cometition in Food Production	4207–4208
4424	कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति का अध्ययन	Study of Progress in Agricultural Field	4208
4425	बिहार में पटसन का उत्पादन	Jute Grown in Bihar	4208–4209
4426	गुजरात में फलाइंग क्लब	Flying Clubs in Gujarat	4209
4427	लोथल (गुजरात) पर्यटन केन्द्र के रूप में	Lothal (Gujarat) as a Tourist Centre ...	4209–4210
4428	तेलवाहक जहाज की टक्कर	Collision of Oil Tanker	4210
4429	आसाम और पूर्वोत्तर भारत में पर्यटक के लिये सुविधायें	Facilities for Tourists in Assam and North East India	4210
4430	उड़ीसा में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास	Development of Fishing Harbours in Orissa	4211
4431	भारत-नेपाल सीमा पर सड़क	Road on Indo–Nepal Border	4212

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

4432	केरल में मछली पकड़ने के बन्दरगाह	Fishing Harbours in Kerala	4212-4213
4433	बिहार को अनाज की सप्लाई	Foodgrains supply to Bihar	4213
4434	दिल्ली में मजदूरों के लिये राशन की मात्रा	Ration Quantum for Labourers in Delhi	4213
4435	पर्यटन का विकास	Development of Tourism	4213-4214
4436	उड़ीसा में कृषि फार्म	Agricultural Farms in Orissa ...	4214
4437	उड़ीसा में पानी के तालाब	Water Tanks in Orissa ...	4214-4215
4438	सरकारी नलकूपों द्वारा सिंचाई	Irrigation by Public Tubewells ...	4215
4439	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	National Cooperative Development Corporation ...	4215-4216
4440	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर नर्मदा पुल तक जाने वाली व्यपवर्त्तन सड़क	Diversion Road to Narmada Bridge on N. H. No. 26 ...	4216
4441	मध्य प्रदेश को दीर्घकालीन ऋण	Long Term loan for M. P. ...	4217
4442	अनाज का समाहार	Procurement of Food grains	4217
4443	उत्तर प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप	Exploratory Tubewells in U. P. ..	4217-4218
4444	उत्तर प्रदेश में बागवानी का विकास	Development of Horticulture in U. P. - ...	4218
4445	उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन	Co-operative Movement in U. P.	4218-4219
4446	चारे की पैदावार	Production of Cattle Fodder ...	4219-4220
4447	पश्चिम बंगाल में नलकूप	Tube-wells in West Bengal	4220
4448	नारियल विकास योजना के अन्तर्गत (पौधालय) नर्सरी	Nursery under coconut development scheme	4220-4221

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4449	उडीसा में भू–संरक्षण योजनाएं	Soil Conservation schemes in Orissa	4221
4450	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में कैरेवल विमानों की सिटों का बदलना	Replacement of seats in I. A. C. Caravelles ...	4221-4222
4451	ईसाई धर्मप्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Christian Missionaries	4222-4223
4452	खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Food grains ...	4223
4453	मनीपुर का मृगवन	Dear Farm in Manipur ..	4223-4224
4454	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड	Calcutta Dock Labour Board –	4224
4455	राष्ट्रीय राजपथ	National Highways	4224-4225
4456	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों का मार्ग परिवर्तन	Diversion of National Highways in M. P. ..	4225
4457	अन्दमान द्वीप समूह में रबड़ के पेड़ उगाने के लिये वन–भूमि का आवंटन	Grant of Forest Areas for Rubber Plantation in Andaman Islands	4225-4226
4458	विधि कालेजों में शिक्षा के माध्यमिक के रूप में हिन्दी का प्रयोग	Hindi as the Medium of Instruction in Law Colleges	4226
4459	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में प्रशासनिक अधिकारियों के निवासस्थानों पर टेलीफोन	Telephones at the Residences of Establishment Officers in F. & A. Ministry	4226–4227
4460	चम्बल नदी पर पुल	Bridge over Chambal River ...	4227
4461	पशुओं की हड्डियों से उर्वरक बनाना	Production of Fertilisers from Cattle–bone	4227
4462	भूमिहीन व्यक्तियों को ऋण	Loans to Landless persons	4227–4228

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
4463	दक्षिण कनारा जिले में राष्ट्रीय राजपथ पर गांगुली पुल और सम्पर्क सड़कें	Ganguli Bridge and Approach Roads on National Highway in South Kanara Distt. ..	4228
4464	शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	Teachers Constituencies	4228
4465	चौथी योजना में पर्यटन का विकास	Development of Tourism during Fourth Plan	4228–4229
4466	फरुखाबाद (उत्तर प्रदेश) में गंगा नदी पर पुल	Bridge over Ganga at Farrukhabad, U. P....	4229
4467	मनीपुर में श्रमिकों की सहकारी समितियां	Labour Cooperative Societies in Manipur ...	4230
4469	दिल्ली में मैदा और सूजी	Maida and Suji in Delhi	4230-4231
4470	खाद्यान्न में पत्थरों के छोटे टुकड़े	Stone Chips in Foodgrains	4231
4471	कालीकट के लिये इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवा	I. A. C. Service to Calicut	2431
4472	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की विमान द्वारा यात्रा	Air Travel by Employes of Food Corporation of India	4232
4473	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा लिये गये यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते	T. A./D. A. claimed by Food Corporation Employees	4232–4233
4474	खान–पान प्रौद्योगिकीय तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्थायें (इन्स्टीट्यूट्स आफ केटरिंग टेक्नालोजी एण्ड अप्लाइड न्यूटरिशन)	Institutes of Catering Technology and Applied Nutrition	4233
4475	गुजरात के लिये अनाज का नियतन	Allotment of Foodgrains to Gujarat ...	4234

अता. प्र. संख्या./U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
4476 आसाम में यन्त्रों द्वारा खेती	Mechanised Farming in Assam	4234
4477 ट्रैक्टर सप्लाई करने के लिये रूमानिया की पेशकश	Rumania's Offer to supply Tractors ...	4235
4478 राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण कार्य	National Highway Works	4235–4236
4479 बंगलोर–मद्रास राष्ट्रीय राजपथ	Bangalore-Madras National Highway ..	4236
4480 पाली जिले में पैकेज कार्यक्रम	Package Programme in Pali District ..	4236–4237
4481 हिमाचल राजकीय परिवहन	Himachal Government Transport —	4237
4482 हड्डियों का निर्यात	Export of Bones ..	4237–4238
4483 राज्यों को गेहूं, चावल और चीनी की सप्लाई	Wheat, Rice and Sugar Supply to States ...	4238
4484 पालम पवाई अड्डे में प्रवेश के लिये प्लेट फार्म टिकट	Platform Tickets at Palam Airport ...	4239
4485 आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल	Bridge over the Brahmaputra, Assam ...	4239
4486 विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार	Publicity to attract Foreign Tourism ...	4239–4241
4487 भारत में अनाज का उत्पादन	Production of Foodgrains in India ..	4241
4488 पी. एल. 480 गेहूं लाने वाले लाईबेरिया के जहाज का हुगली नदी में घस जाना	Liberian Ship with PL 480 wheat running aground the Hogghly	4241-4242
4489 राजस्थान में पर्यटक सप्ताह	Tourist Week in Rajasthan	4242
4490 भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	4242

तारा. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
4491 प्रशिक्षण फार्म	Training Farms ..	4243
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	4243
भारत के पूर्वी सैक्टर में पाकिस्तानी हवाई जहाजों द्वारा अतिक्रमण का समाचार	Reported intrusion by Pakistani planes in Eastern India	4243
श्री मंरडी	Shri Marandi ..	4243
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	4 43
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	4245
अनुदानों की मांगे 1967–68	Demands for Grants, 1967–68	4245
गृह-कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	4245
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza ...	4247
श्री कृष्ण मूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	4248
श्री च. का. भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	4250
श्री श्री अ. डांगे	Shri S. A. Dange	4251
श्री हेमराज	Shri Hem Raj –	4253
श्री रबी राय	Shri Rabi Ray –	4254
श्रीमती निर्लेप कौर	Shrimati Nirlep Kaur	4255
श्री दि. ना. सिंह	Shri D. N. Singh .. –	4256
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	4257
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda – ...	4260
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	4262
श्री शिकरे	Shri Shinkre ...	4264
श्री चिन्तमणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	4264
श्री मनुभाई पटेल	Shri Manubhai Patel ...	4266

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 4 जुलाई, 1967/13 आषाढ़, 1889 (शक)
Tuesday, July 4, 1967 Asadha 13, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या 901 के बारे में
RE : S. Q. No. 901

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान, नियम संख्या 41 (2) के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने से पहले, इस प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं। यह प्रश्न इस प्रकार है। "क्या यह सच है कि पिछले आम चुनावों में बिहार सरकार के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है।" मुझे प्रश्न के इस भाग के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु भाग 'ख' में पूछा गया है "यदि हां, तो क्या ऐसा करना सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के विरुद्ध नहीं है" और भाग 'ग' इस प्रकार है "यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।" इस प्रश्न में कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ है। नियम 41 (2) (7) में कहा गया है कि वह उस विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय न हो।

अध्यक्ष महोदय : "निर्वाचन" किस का विषय है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस बात पर आ रहा हूं। यदि यह प्रश्न इस प्रकार होता कि 'क्या बिहार सरकार के कर्मचारियों ने आम चुनाव में मतदान किया है अथवा क्या जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो गई है' तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। नियम 41 (2) (7) कहता है कि वह उस विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो मुख्यतया भारत सरकार का

विषय न हो। नियम 41 (2) (3) कहता है कि उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे। इसके आगे अगले पृष्ठ पर कहा गया है कि "उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जिससे मंत्री पदेन सम्बन्धित न हो।" मंत्री इससे पदेन सम्बन्धित है, क्योंकि कांग्रेस आम चुनाव में हार गई है। परन्तु केन्द्रीय सरकार के आचरण नियमों के अन्तर्गत वह इस बात से सम्बन्धित नहीं है कि क्या बिहार सरकार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल में सक्रिय भाग लेने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती थी। प्रत्येक कर्मचारी ऐसा ही नागरिक है, जैसे नागरिक माननीय सदस्य हैं तथा उन्हें हड़ताल में भाग लेने का हर अधिकार प्राप्त है। इस प्रश्न का आशय यह है और मैं श्री विभूति मिश्र के अप्रत्यक्ष अर्थ को समझता हूं। उन्होंने जान-बूझ कर अथवा अनजाने माननीय मंत्री से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये यह प्रश्न पूछा है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम के अन्तर्गत इस प्रश्न के भाग (ख) और (ग) को पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा उन्हें पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर दें।

डा० रानेन सेन : इससे पूर्व कि माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर दें, मैं व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करना चाहता हूं। इस प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों से है। प्रत्येक राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों के आचरण नियम भिन्न-भिन्न हैं। भारत सरकार से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः भाग (ग) का प्रश्न तो बिल्कुल ही नहीं उठता, क्योंकि यदि बिहार राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम का उल्लंघन किया गया है, तो उनके विरुद्ध यदि वे आवश्यक समझे, कोई कार्यवाही करना केवल बिहार सरकार का काम है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकार नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, the hon. Member Shri Banerjee has expressed his apprehension about the motive of my question and has alleged that the motive of my question is to censor the employees. Should Mr. Banerjee be considered God who is competent to understand every bodys' motive ?......(Interruptions).....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार प्रश्न काल का काम नहीं चल सकता। चूंकि निर्वाचन एक केन्द्रीय विषय है इसलिये यदि राज्य सरकार के कर्मचारी गलत काम करते हैं तो केन्द्र को राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने का अधिकार है। इस प्रश्न के बारे में अब और कुछ नहीं कहा जा सकता। माननीय मंत्री इसका उत्तर दें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Participation of Government Servants in the Last General Elections in Bihar

\+
*901. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Gazetted and the non-gazetted employees of Bihar Government actively participated in the last General Elections;

(b) if so, whether it is not against the Government Servants Conduct Rules; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सम्बन्धित राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has replied that the information is being collected. The elections were held in February and now it is July. I want to know why this information could not be collected during this period ? Secondly State Government acts as an agency of the Election Commission through a Controller so far as the elections of that State are concerned. The Controller gets the election work done by State Government employees. I want to know whether Government have any agency responsible for conducting elections other than the Election Commission. if so. the name thereof and if not the reasons therefor ? During the last General Election the Gazetted and non-gazetted employees of Bihar Government have worked like a political party by taking active part in the elections. I want to know the steps Government propose to take to ensure the preservation of our election system and their fairness ?

श्री दा० रा० चव्हाण : निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है । यह एक स्वतंत्र निकाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत बनाया गया है । वास्तव में निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त और कोई अभिकरण नहीं है, क्योंकि हम निर्वाचन आयोग की उपेक्षा कर के सीधे राज्य सरकार से पूछताछ नहीं कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि जानकारी इकट्ठी क्यों नहीं की गई है । जानकारी मांगी गई थी और एक अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुआ था, परन्तु निर्वाचन आयोग उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ । इसलिये मुख्य मतदान अधिकारी को, जो कि बिहार राज्य के सारे चुनावों की देख-भाल करने का जिम्मेदार था, पुनः जानकारी देने को कहा है ।

Shri Bibhuti Mishra : The Ministry of Law is resposible for answering all questions regarding Election Commission. Chanikaya used to get information from fifty detectives regarding every administrative action in order to ensure that Chandergupta's rule is going on smoothly. It is essential according the rules embodied in the books of political science. I want to know whether the Ministry of Law or Government wholly depends on the information given by Election Commission or information is sought from some other source also ? As elections are held under the supervision of Election Commission, it is therefore not expected from the Election Commission that it will disclose its shortcomings. I want to know whether Government will make an independent enquiry, so that fairness may come in our elections.

श्री दा० रा० चव्हाण : यह सुनिश्चित करने के लिये ही कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों, संविधान के निर्माताओं ने एक स्वतंत्र निकाय बनाया है । चुनाव की देख-भाल करना उसी निकाय का काम है । यह स्वभाविक है कि उस निकाय को राज्य के अभिकरण मुख्य निर्वाचक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के माध्यम से काम करना पड़ता है । इसलिये भारत सरकार

के पास चुनाव सम्बन्धी अन्य अभिकरण के होते हुए भी हम निर्वाचन आयोग की उपेक्षा करके सीधे उससे पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उचित माध्यम के द्वारा काम करना होता है।

Shri K N. Tiwary : The hon. Minister has stated that an interim report was received from the Government of Bihar, but the Election Commission was not satisfied with the interim report and therefore, again, a further report has been called for. I want to know the contents of that interim report and the points over which the Election Commission was not satisfied and further report has been asked for. The time by which the report asked for is likely to be received may also be indicated.

श्री दा० रा० चव्हाण : चुनाव आयोग को उम्मीदवारों तथा अन्य व्यक्तियों से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थी। हमें जो अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसमें कहा गया है कि यह आरोप निराधार है कि आम चुनाव में राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। यह उत्तर प्राप्त हुआ था, जिससे निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। (व्यवधान) : अतः 27 तारीख को भेजे गये एक पत्र के अनुसार मुख्य निर्वाचक अधिकारी से कहा गया है कि प्रत्येक शिकायत के लिये की गई जांच की प्रतियां यथाशीघ्र भेजी जायें।

श्री दिनकर देसाई : सरकार को यह जानकारी प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हाल में इस बारे में बिहार सरकार को एक पत्र भेजा गया है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जो कई वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है। अतः यह प्रश्न अनावश्यक है।

Shri Sidheshwar Prasad : I want to know whether Election Commission has presently received any complaint from the officers of Bihar Government or the Chief Minister or other Ministers of Bihar or whether before the elections were held attention of the Election Commission was drawn by the Chief Minister of Bihar or by his other Cabinet colleagues about active interference by Election Officers and if so, whether and enquiry is being made ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

Shri Yogendra Sharma : May I know whether the hon. Minister is aware that for the purpose of ensuring fair elections all the opposition parties of Bihar Legislative Assembly had demanded the dissolution of the then terrorist Council of Ministers, because it was considered impossible to hold fair elections as long as that Ministry was there ? If so, whether the hon. Minister will certify the fact that Government servants were threatened by the Chief Minister that if they did not vote for Congress, they would be sent behind the bars and some persons were imprisoned and prosecuted ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

एक दिन में मतदान

+

***902. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचक अधिकारियों की हाल में हुई बैठक में देश भर में एक दिन में ही मतदान करवाने की संभावना पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) क्या यह योजना तैयार कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कोई योजना तैयार नहीं की गई है। भविष्य में होने वाले चुनावों के लिये मतदान केन्द्रों पर काम करने के लिये पीठासीन अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों तथा विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस कर्मचारियों के उपलब्ध होने की अवस्था में, कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचक अधिकारी एक ही दिन में मतदान कराने की संभावना का पता लगाने को सहमत हो गये हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को पता है कि मतदान में एक दिन से अधिक समय लगने पर—कम से कम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अति अवांछनीय घटनायें हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की वांछनीयता पर विचार कर रही है कि कम से कम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन में मतदान कराया जाये ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वास्तव में इस सम्मेलन में सब राज्य में एक ही दिन में मतदान कराने की संभावना पर विचार किया गया था। इस बार लगभग छह राज्यों में, विशेषतया हरियाणा, पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा केरल में एक ही दिन में मतदान कराया गया था।

आठ संघ राज्य क्षेत्रों में भी एक ही दिन में मतदान कराया गया था। हम यह पता लगा रहे हैं कि क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा करना संभव है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने उन राज्यों में जहां एक दिन में मतदान नहीं कराया गया, मतदान के लिये आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का हिसाब लगाया है ?

मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि कर्मचारियों की उपलब्धता तथा अन्य सब बातों की संभावना पर विचार किया जा रहा है। अतः यह करें कि कुछ राज्यों में कर्मचारियों की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न नहीं हुई तथा कुछ राज्यों में यह समस्या उत्पन्न हुई, मंत्री महोदय सभा को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : सम्मेलन में भाषण देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी यही बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि कुछ राज्यों में एक दिन में मतदान कराना संभव है तो अन्य राज्यों में यह संभव क्यों नहीं है। मुख्य निर्वाचक अधिकारियों ने मतदान सम्बन्धी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा मतदान केन्द्रों पर विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस की तैनाती आदि विभिन्न कठिनाइयों का उल्लेख किया था।

श्री च० का० भट्टाचार्य : गत निर्वाचन में ऐसे हुआ था कि जब एक राज्य में एक ही दिन में मतदान होना था, उसके साथ लगने वाले राज्य में दो अथवा तीन दिन पहले ही मतदान खत्म हो चुका था।

मै अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में अभी चुनाव होना बाकी था, तभी साथ लगने वाले चुनाव क्षेत्र का उम्मीदवार, जिसका चुनाव खत्म हो चुका था, अपनी पत्नी सहित मेरे चुनाव क्षेत्र में आया और लोगों से ऐसे काम करने के वायदे किये जिनको वह नहीं कर सकता था अथवा जिन्हें करने की उसे सरकार द्वारा इजाजत नही मिल सकती थी। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के बारे में विचार कर रही है कि जब कोई राज्य एक दिन में मतदान कराने का निर्णय करता है, तो उसके साथ लगने वाले राज्यों में भी उसी दिन मतदान होने का उपबन्ध होना चाहिये ? इसके साथ-साथ यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि चुनाव कराने के जिम्मेदार अधिकारी अपना कार्य अच्छी तरह से और निष्पक्षतापूर्ण कर सकें। इन दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री दा० रा० चव्हाण : सम्मेलन में इन ही बातों पर विचार-विमर्श किया गया था।

श्री गाडिलंगन गौड़ : प्रथम लोक सभा के चुनाव एक दिन में खत्म हो गये थे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार उसके बाद वाले चुनावों के बारे में ऐसा प्रबन्ध क्यों नहीं कर सकी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। वास्तव में शेष राज्यों में भी एक दिन में मतदान कराना आरम्भ करने के लिये मुख्य निर्वाचन आयुक्त इन लोगों के अनुभव से फायदा उठाने का प्रयत्न कर रहा है।

Shri Sheo Narain : The ceiling imposed by the candidates for election expenditure was Rs. 25,000/- I want to know whether any discussion took place in that conference about increasing or reducing that ceiling ? Secondly I would like to know the decision arrived at the conference on the question of disposing of election petitions within a period of six months as suggested by the Election Commission.

श्री दा० रा० चव्हाण : मूल प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं.....(अन्तर्बाधायें)

श्री शिव नारायण : मूल प्रश्न का उत्तर विधि मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न ऐसा है जिसका वह उत्तर नहीं दे सकते।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, the hon. Law Minister has given the details of the discussion held in that conference and as such the hon. Members are entitled to ask questions about those discussions. Keeping this in view the question asked by Shri Sheo Narain is relevant and the hon Minister should give a full reply.

श्री दा० रा० चव्हाण : इस विशेष मामले पर, कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव खर्च के लिये कितनी धनराशि की सीमा निर्धारित की गई है वहां विचार विमर्श नहीं किया गया ।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether the hon Minister is aware of the fact that in U. P. even temporary School teachers of Zila Parishad Schools, who were under political influence, were entrusted the work of conducting elections in many districts as other emyloyees were not available in sufficient number ? So I want to know whether while introducing one day poll through out the country, it would be kept in mind that those employees are not entrusted with the election work who are under political influence ?

श्री दा० रा० चव्हाण : लोक प्रनिनिधित्व आधिनियम तथा उस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में इसकी पूर्ण व्यवस्था है । उक्त अधिनियम में कुछ ऐसी धारायें हैं जिनके अधीन ऐसे लोगों को सजा दी जा सकती है जो किसी राजनैतिक दल के प्रभाव में हैं और चुनाव में सक्रिय भाग लेते हैं ।

Shri A. B. Vajpayee : This answer is not relevant to my question.

अध्यक्ष महोदय : आप बताइये कौन से भाग का उत्तर नहीं दिया गया हैं । मैं माननीय मन्त्री को उस भाग का उत्तर देने के लिये कहूंगा ।

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, it has happened in my constituency that the some teachers who were actively propogating for congress during the election propaganda were appointed Polling Officers on the polling day and I saw them presiding over the polling stations. So I want to know.....

अध्यक्ष महोदय : वह स्कूलों के अध्यापकों के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया है । मैं माननीय सदस्य का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की 134, 134 (क) और 123 धाराओं की ओर दिलाना चाहता हूं । इन धाराओं में ऐसी बातों के विरुद्ध पूर्ण व्यवस्था है ।

Shri Tulshidas : I want to know whether in that confere ce any assessment was made about the expenditure involved if they are held in two days instead of one day and whether it was worked out as to which of the two polls would be costlier and what would be the difference between their costs ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस विशेष बात पर उस बैठक में विचार नहीं किया गया ।

डा० रानेन सेन : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि हाल में हुई कांग्रेस कार्यकारणी समिति की बैठक में एक संकल्प पारित किया गया है कि विधान सभाओं तथा संसद् के चुनाव पृथक पृथक होने चाहिये; जिससे कांग्रेस दल को लाभ होगा और यदि हां, तो उस संकल्प के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधी मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मुझे ऐसे किसी संकल्प की जानकारी नहीं हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत, यह अनिवार्य नहीं है कि संसद् और विधान सभाओं के लिये एक ही दिन चुनाव किये जाये। ऐसा केवल सुविधा के विचार से किया जा रहा है।

Shri A. S. Saigal : May I know the views expressed by the Chief Electoral Officers in their meeting with regard to holding elections throughout the country on the same day and the name of the States which have opposed the proposal ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस में बहुत से राज्यों ने भाग लिया था और कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान केन्द्रों के प्रबन्ध के लिये व्यक्तियों की तथा कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिये प्रयाप्त पुलिस की व्यवस्था करने के बारे में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया। विशेषतया माननीय सदस्य के राज्य, अर्थात मध्य प्रदेश, के बारे में इस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि एक दिन में चुनाव कराना सम्भव है।

श्री श्रीचन्द गोयल : चुनाव एक दिन कराने के दो उद्देश्य हैं--निष्पक्ष चुनाव कराना और यह सम्भव करना कि अधिक से अधिक मतदाता अपना मत देने के लिये मतदान केन्द्रों पर आ सकें। क्या सरकार इस सभा को यह विश्वास दिला सकती है कि क्या एक दिन में चुनाव कराने के लिये यथा संभव इतने मतदान केन्द्रों की स्थापना की जा सकेगी कि प्रत्येक गांव के मतदाता अपना मत दे सकें ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वर्तमान व्यवस्था में भी, नियमों में इसके लिये उपबन्ध है। उन स्थानों में भी, जहां मतदाताओं की संख्या एक हजार अथवा उससे कम है, मतदान केन्द्र की व्यवस्था की गई है।

Shri Prem Chand Verma : May I know whether the hon. Minister has received complients that in Himachal Pradesh, the polling stations were not manned fully although elections were held there in two days ? If so, what action he proposes to take with regard to these complaints ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जिस बात का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister just stated that the question of conducting elections for Lok Sabha and Vidhan Sabha simultaneously or on different dates according to convenience was considered. May I know the reason which has impelled the Government to think in terms of holding the elections on separate dates when three elections have been held in this way.

श्री गोविन्द मेनन : मैंने यह नहीं कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है। जब यह प्रश्न उठा, तो मैंने यह कहा कि इस प्रकार की कोई बाध्यकारी बात नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Govt. had to face the difficulty of posting Government servants twice in conducting elections for Lok Sabha and Vidhan Sabha separately ? If so, whether this aspect is also being taken into consideration while deciding this issue ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वस्तुतः इसमें धन का प्रश्न अन्तग्रस्त है। लोक सभा और विधान सभाओं के लिये चुनाव साथ साथ करने की अपेक्षा दो विभिन्न तारीखों को करने में बहुत अधिक खर्च आयेगा।

आयात किये गये अमरीकी गेहूं का मूल्य

+

*903. **श्री मधु लिमये** :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत अब तक अलग-अलग वर्षों में (प्रत्येक वर्ष की औसत) विभिन्न श्रेणियों/किस्मों के आयातित गेहूं और माइलो का लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य कितना था; और

(ख) उचित समय पर यह आयातित अनाज विभिन्न शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में (चयनात्मक आधार पर) किन दामों पर बेचा गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जिस वर्ष से पी० एल-480 के अन्तर्गत आयात शुरू हुई, उस वर्ष से लेकर 31 मई, 1967 तक प्रत्येक वर्ष के लिये आयातित गेहूं और माइलो का औसत लागत-भाड़ा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 884/67]** विभिन्न श्रेणियों और किस्मों के गेहूं और माइलो के लागत-भाड़ा मूल्य सम्बन्धी जानकारी अलग अलग नहीं रखी जाती।

(ख) उपरोक्त अवधि में समस्त देशों से गेहूं और माइलों का जो आयात किया गया है, उसके भारत सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित किये गये निर्गम मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 884/67]** राज्य सरकारों को आयात किया गया यह अनाज इस मूल्य पर दिया जाता है जो बदले में इस मूल्य में अपने प्रासंगिक खर्चे को मिलाकर उपभोक्ताओं को देती हैं। अतः उपरोक्त अवधि के बारे में विभिन्न नगरीय और ग्राम्य केन्द्रों में आयात किये गये अनाज के विक्रय मूल्यों के बारे में जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, that is not the full answer to my question. I had remarked that the figures about certain important rural and urban centres, if not of all, must be collected, I had tabled this question about two months back. Would the hon. Minister explain why it was not possible to collect this information in two months ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य संतुष्ट हो जाये तो उनको देने के लिये मेरे पास कुछ अतिरिक्त जानकारी है। हां, आंकड़े राज्यवार हैं। आन्ध्र प्रदेश संविदित राशनिंग क्षेत्रों के लिये गेहूं का विक्रय मूल्य 62 रुपये है जब कि अनौपचारिक राशनिंग क्षेत्रों के लिये यह 56·79 से लेकर 56·93 रुपये तक है जिसमें $3\frac{1}{4}$ प्रतिशत विक्रय कर, प्रासंगिक

व्यय थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों की मुनाफे की मात्रा शामिल है जो कि भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग है। यह 9 जनवरी, 1967 की स्थिति है। बिहार में गेहूं का मूल्य 60.30 रुपये है और माइलो का मूल्य 45.44 रुपये है जिसमें प्रति क्विंटल 1.80 से लेकर 6.00 रुपये तक फुटकर व्यापारी का मुनाफा भी शामिल है। इसमें गोदाम से फासला, स्थानीय परिवहन स्थिति तथा प्रासंगिक व्यय भी शामिल है। गुजरात में गेहूं का मूल्य 60 रुपये है और माइलो का मूल्य 45 रुपये है। हरियाना में गेहूं का मूल्य 60 रुपये है। केरल में गेहूं का मूल्य 61 रुपये से 63 रुपये तक है। मध्य प्रदेश में गेहूं का मूल्य 61 रुपये है और माइलो का मूल्य 46 रुपये है। मद्रास में 6 जनवरी, 1967 को गेहूं मूल्य 64 रुपये था जिसमें 1 प्रतिशत बिक्री कर भी शामिल है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether it has come to the notice of the hon. Minister that in the early months of this year the American wheat was selling at 65 to 70 paise per kilo in many rationing shops in Bihar ? If so, the action taken by him on his own initiative or through the Bihar Government in this regard ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा मैंने पहिले ही निवेदन किया है, हम समस्त राज्य सरकारों को 55 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं दे रहे हैं और राज्य सरकारें इसको उपभोक्ताओं को बेचती हैं। जैसा कि मैं पहिले ही बता चुका हूं, प्रासंगिक व्यय को पूरा करने के लिये बिहार सरकार फुटकर व्यापारी के मुनाफे के रूप में प्रति क्विंटल 1.80 से लेकर 6.00 रुपये तक लेती है।

Shri Madhu Limaye : Are not the prices more in actual practice ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं इस बात को बिहार सरकार के ध्यान में लाऊंगा।

Shri Madhu Limaye : There is great difference between the purchase price of wheat imported from America or wheat purchased by Food Corporation here and the price at which it is sold to consumers which brings a bad name to the trade policy of Government. May I know the steps taken by Government to reduce the wide gap between the price of wheat at which it is purchased from farmers and the price at which it is sold to consumers, whether it is American wheat or indigenous wheat, as also to reduce the expenditure incurred by Government on its distribution.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि वितरण लागत यथासंभव कम की जाय। जैसा कि माननीय सदस्य को पता होगा, हमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। वस्तुतः हम आयातित गेहूं की बिक्री के लिये काफी राज सहायता दे रहे हैं। जहां तक देशी गेहूँ का सम्बन्ध है हम इसके लिये कोई राज सहायता नहीं दे रहे हैं और जैसा कि मैं पहिले ही सभा में बता चुका हूँ सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है कि खाद्य निगम द्वारा खरीदे जाने वाले गेहूँ की लागत किस प्रकार कम की जा सकती है।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह पता चलता है कि 1964 के अन्त तक मूल्य प्रति क्विंटल 37.51 रुपये था। फिर 15 नवम्बर, 1966 से मूल्य 55 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। ऐसा मालूम देता है कि 1964 से नवम्बर, 1966 तक मूल्य 37·51 रुपये से 55

रुपये तक हो गया । क्या इस मूल्य को गेहूं के फुटकर मूल्य सहित सरकार की राज सहायता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है कि कीमतें न बढ़े ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा मैं पहिले ही बता चुका हूँ, कि आयातित गेहूं का उचित मूल्य लगभग 66 रुपये है और कुछ नये पैसे है जब कि हम राज्य सरकारों को 55 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूँ दे रहे हैं । मेरा प्रश्न यह था कि विक्रय मूल्य 1964 तक 37·51 रुपये था जो कि 15 नवम्बर, 1966 से 55 रुपये प्रति क्विंटल हो गया । इस भारी अन्तर का क्या कारण है ? क्या हमें अमरीका से महंगा गेहूँ मिला या मूल्य यहां पर बढ़ाया गया या यह अवमूल्यन के बाद बढ़ा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मूल्यों में वृद्धि का एक कारण यह है कि सामान्यतया अनाज के अन्तराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हो गई है । फिर अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातित गेहूं के मूल्य में बहुत वृद्धि हो गई है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know the different qualities of wheat imported from U. S. A. ? In 1966 that wheat was at the price of Rs. 482, the price was raised a little after devaluation. That is why the price of 1967 wheat is more than it was in 1966 which is round about Rs. 400. It is possible that the quotation must be of highest price available in America and not of the wheat exported to India. The Minister has also stated that in 1966 wheat was sold at 55 np per kilo. The difference is of 7 np. per kilo which is too much. If my question is included I feel the difference is 10 to 20 np. per kilo. May I know whether the attention will be paid to this quality of American wheat ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक गेहूं की विभिन्न किस्मों के मूल्यों का सम्बन्ध है, स्वभावतया जैसा कि हमारे अपने देश में एक प्रकार के गेहूं की विभिन्न किस्में हैं, उसी प्रकार से अन्य देशों में भी गेहूं की विभिन्न किस्में हैं । ऊपर जिनका उल्लेख किया गया है वे संग्रहीत मूल्य हैं । हमारा सप्लाई मिशन टेंडर आमन्त्रित करता है और टेंडर प्रणाली के द्वारा खरीद की जाती हैं । मुझे किस्म वार मूल्य प्राप्त नहीं हो सके हैं क्योंकि जो प्रश्न रखा गया था वह भिन्न था । हमने आयात किये गये गेहूं की किस्मों के संग्रहीत मूल्य दिये हैं ।

Shri Madhu Limaye : In the question it was like this :

"विभिन्न वर्षों में विभिन्न श्रेणियों और किस्मों के आयातित गेहूं और माइलों का लागत–बीमा–भाड़ा सहित मूल्य"

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : खाद्य विभाग द्वारा गेहूं का श्रेणीवार हिसाब किताब नहीं रखा जाता । आयात किया गया सारा गेहूं पूल कर लिया जाता है परन्तु मुख्य खाते चालू खाते होते हैं । डा० राम मनोहर लोहिया जी कि जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि समुद्री भाड़ा जो कि क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, एक मुख्य एकक है । समुद्री भाड़ा 10.68 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है । फिर हमें भारत में कुछ प्रासंगिक खर्चे भी करने पड़ते हैं जैसे कि पत्तन पर माल का उतारना चढ़ाना, रेल परिवहन भी इसमें आता है क्योंकि हम विभिन्न

राज्य सरकारों को रेल के मुहानों पर उनके द्वारा बताये गये स्थानों पर अनाज भेजते हैं। अतः रेल का भाड़ा भी इसमें शामिल किया जाता है। यह 9 रुपये आता है .. ..

Shri Madhu Limaye : Which variety of wheat it is ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं इसका उत्तर पहिले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह पहिले ही कह चुके हैं उनके पास विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग मूल्य नहीं हैं। उन्होंने जो मूल्य दिये हैं, वे संग्रहीत मूल्य है।

Dr. Ram Manohar Lohia : This is not the answer to the question. This reply has been given to hide Government's dishonesty, because prices of three or four varieties of wheat should have been given separately. Moreover, he is saying that freight is not included in it while it is already written that metric tons on estimated average cost of freight value.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लागत के आकड़ें दे दिये हैं। यह हो सकता है कि उचित लागत के बारे में माननीय सदस्यों के विचार अलग अलग हो। जैसा कि मैंने पहिले बताया है हमने लागत को कम करने की कोशिश की है। पिछले कुछ वर्षों में माल के उतारने चढ़ाने का खर्चा धीरे धीरे कम हुआ है। परन्तु यह एक राय का प्रश्न है और माननीय सदस्य की उस बारे में भिन्न राय हो सकती है।

Dr. Ram Manohar Lohia : This is not the question of opinion, but of information. This is not a question of opinion when a thing is purchased at 48 paise per kilo and sold at 68 paise per kilo.

अध्यक्ष महोदय : उनके पास इस समय कोई जानकारी नहीं है।

Shri George Fernandes : From the statement it is clear that Government has charged 12-11 rupees per quintal more by fixing the sale price at Rs. 48/ per quintal while the wheat has been imported at Rs. 357, 359,360 and 375. May I know the amount of subsidy given every year from 1956 to 1966 and the total earnings made by Government in the year in which no subsidy has been given ?

अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे पास कुल आंकड़े नहीं हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार को 1960-61 में प्रति क्विंटल 2.87 रुपये की हानि उठानी पड़ी। इससे बाद के वर्षों में 31 दिसम्बर, 1964 तक यह 2.87, 3.47, 5.12 और 8.11 रुपये थी। जनवरी, 1965 से 31 मार्च 1965 तक प्रति क्विंटल 2.38 रुपये का मुनाफा रहा। 1 अप्रैल, 1965 से 14 नवम्बर, 1965 तक प्रति क्विंटल 2.45 रुपये का मुनाफा हुआ। 15 नवम्बर, 1965 से 31 मार्च, 1966 तक प्रति क्विंटल 4.46 रुपये का मुनाफा रहा। अप्रैल, 1966 से 5 मई, 1966 तक प्रति क्विंटल 4.56 रुपये की हानि हुई और उसके बाद प्रति क्विंटल 16.65 रुपये की हानि हुई और इस समय सरकार को प्रति क्विंटल 11.46 रुपये की हानि हो रही है।

भारत में उर्वरक का संकट

+

*904. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उर्वरक सम्बन्धी संकट को दूर करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि उर्वरक प्रत्याशित आयात के 50 प्रतिशत से कम मात्रा में अभी तक भारत आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

उर्वरकों की सम्भरण स्थिति में कोई संकट नहीं है। वर्ष के लिये निर्धारित की गई सप्लाई का लक्ष्य पूरा करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। तथापि, यह एक तथ्य है कि हमारे नियन्त्रण से बाहर कारणों से, जैसे समय के अन्दर माल को उठाने के लिये जहाजों का उपलब्ध न होना, स्वेज नहर के हाल में बन्द हो जाने के कारण आशा अन्तरीप के रास्ते माल के जहाजों का आना, सौदा की गई केवल 75 प्रतिशत मात्रा, जिसे जून, 1967 तक यहां पहुंचना था, के यहां आने का अनुमान है। शेष माल की जुलाई, 1967 के अन्त तक निकासी हो जाने की आशा है। इस विलम्ब से खरीफ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उर्वरक की सप्लाई करने में किन्हीं कठिनाइयों के पैदा होने की आशा नहीं है क्योंकि राज्यों के पास 1 अप्रैल, 1967 को पर्याप्त स्टाक था।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह पता चलता है कि उर्वरकों की सप्लाई की स्थिति में कोई संकट नहीं है। इसमें आगे कहा गया है :

"तथापि यह सच है कि हमारे नियंत्रण से बाहर कारणों से विलम्ब होने से, जैसे माल उठाने के लिये समय पर जहाजों का न मिलना, स्वेज नहर का बन्द हो जाना...."

इस सभा में आजकल यह फैशन हो गया है कि हर एक बात का कारण स्वेज नहर बताया जाता है क्योंकि मैंने प्रश्न की सूचना यह न जानते हुए काफी समय पहले दी थी कि यह संकट आयेगा। क्या इस संकट से पहले भी पर्याप्त जहाजों के न मिलने की कठिनाई थी और समय पर माल उठाने के लिये जहाजों के न मिलने के क्या कारण थे ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा मैं पहले ही विवरण में बता चूका हूँ, सप्लाई की स्थिति बिल्कुल कठिन नहीं है। वास्तव में राज्य सरकारों के पास 2.4 लाख टन नाइट्रोजन पिछले बकाया जमा है, जिसका अर्थ हुआ आवश्यकता का 3½ प्रतिशत फिर आयात हो रहा है, लेकिन आयात में 25 प्रतिशत गिरावट आई है, और इसका कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जहाजों का न मिलना था। पश्चिम एशियाई संकट के कारण मांग बढ़ गई है। विविध कारण तो मैं नहीं जानता परन्तु पिछले 1½ महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जहाज प्राप्त करना बहुत कठिन रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम कुछ उर्वरकों का अपने देश में उत्पादन कर रहे हैं, क्या हमारा देश चौथी अथवा पांचवीं योजना में उर्वरकों में आत्म-निर्भर हो जायेगा।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए क्योंकि उत्पादन से वह सम्बन्धित है। मेरा मन्त्रालय खपत से सम्बन्ध रखता है। हम तो प्रयोक्ता मात्र है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, he has stated in his reply :

"इस विलम्ब के कारण खरीफ फसल के लिये आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कठिनाई आने की संभावना नहीं है क्योंकि राज्यों के पास 1–4–1967 को पर्याप्त स्टाक था।"

Will the hon. Minister kindly state the State-wise break up of allocation of fertilisers for **Kharif** season and the concessions and facilities provided famine-struck areas ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं राज्य सरकारों से विचार-विमर्श और परामर्श करके राज्य-वार ब्यौरा दे सकता हूँ।

Shri Madhu Limaye : You may lay it on the Table and reply the second part of the question.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह मैं सभा पटल पर रख दूंगा।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, he should reply to the second part of the question. What has he done bout the famine stricken areas of Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal etc.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वास्तव में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया और वास्तव में अगले वर्ष की आवश्यकता के लिये भी हमने ग्रीष्म ऋतु में बिहार तथा अन्य सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सप्लाई की तथा सूखा-ग्रस्त राज्यों की सरकारों, को कोई शिकायत नहीं है कि तय हुई मात्रा के अनुसार सप्लाई नहीं हो रही है।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : क्या यह सच है कि देश में विद्यमान उर्वरक कारखान की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है और हम उर्वरकों के आयात पर धन खर्च कर रहे हैं, यदि हां तो देश में उत्पादन में हम कहां तक पीछे रहे हैं ?

अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक चालू वर्ष की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, 13.5 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन, 5 लाख मीट्रिक टन फास्फेट और 3 लाख मीट्रिक टन पोटाश की आवश्यकता होने की आशा है। इसमें से 4.72 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन, 2.5 लाख मीट्रिक टन फास्फेट की आवश्यकता देश में उत्पादन से पूरी हो जाने की आशा है तथा शत प्रतिशत पोटाश की आवश्यकता तथा शेष आवश्यकता आयात से पूरी होने की आशा है।

श्री वासुदेवन नायर : माननीय मन्त्री ने कहा कि उपलब्धता की स्थिति अच्छी है। क्या उन्हें राज्य सरकारों में इस आशय की रिपोर्टें मिली हैं कि राज-सहायता समाप्त किये जाने और इसके परिणाम स्वरूप उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण किसानों को, विशेष रूप से छोटे तथा मध्यम श्रेणी के आवश्यक उर्वरक प्रयोग करने में कठिनाई हो रही है और क्या राज्य सरकारों ने राज सहायता के प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिये कहा है ?

अन्ना साहिब शिन्दे : हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि मूल्य बढ़ जाने के कारण मांग घट गई हैं। वास्तव में मांग इतनी अधिक है कि मांग और पूर्ति में कुछ अन्तर है, तथा छोटे किसानों की उर्वरकों की आवश्यकता फसल उधार व्यवस्था से पूरी हो जाने की आशा है। फसल उधार व्यवस्था के अन्तर्गत उधार किसी वस्तु के रूप में होगा, जैसे बीज, कीटनाशक दवाईयां आदि।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : कृषि मन्त्री ने कहीं यह कहा है कि वे नई कृषि नीति में सिंचाई को उच्चतम प्राथमिकता देंगे। इस प्रसंग में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उर्वरकों की सप्लाई को कम महत्वपूर्ण समझा गया है अथवा वे सिंचाई के साथ उर्वरकों की सप्लाई का समन्वय करेंगे और क्या उर्वरकों के सम्बन्ध में सरकार की अब तक की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : जी, नहीं, जहां तक उर्वरकों का संबंध है, नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि यदि समुचित सिंचाई न हो तो उर्वरक बेकार हो जायेंगे. और सिंचाई रासायनिक उर्वरक न होने पर भी स्वयं उत्पादन बढ़ा सकती है, मैंने इसी बात पर जोर दिया है। यदि सिंचाई है, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा और जहां तक उर्वरक कार्य क्रम का सम्बन्ध है, यह पहले की तरह चलता रहेगा।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में, कुछ राज्यों में, उर्वरक बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो गये हैं और वे प्रयोग नहीं किये जा रहे हैं जबकि अन्य भागों में उर्वरकों का अभाव है। उर्वरक का समरूप वितरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों को अधिक दिया जा सके और आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों को देने के लिये कहा जायेगा ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम राज्य सरकारों को सीजन के अतिरिक्त अवधि में पर्याप्त भण्डार जमा करने के लिये प्रोत्साहन देते रहे हैं। कभी-कभी परिवहन आदि की कठिनाइयों के कारण विलम्ब हो जाता है और शिकायतें मिलती हैं कि गन्तव्य स्थान पर उर्वरक समय

पर नहीं पहुँचते। इसलिये हम राज्य सरकारों को रियायत दे रहे है ताकि सीजन से भिन्न अवधि में वे उर्वरकों का स्टाक जमा कर सकें ; लेकिन, जैसा मैं बता चुका हूँ अप्रैल में राज्य सरकारों के पास 2.4 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन का स्टाक था और यद्यपि आयात में कुछ फर्क पड़ा है, सप्लाई पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। यदि कोई निश्चित शिकायत हो अथवा फालतू स्टाक पड़ा है, तो हमें राज्य सरकार के कहने पर अन्य राज्य सरकारों को उसे सप्लाई करने में प्रसन्नता होगी।

श्री राम किशन : क्या नंगल उर्वरक कारखाने के प्रबन्धकों ने एक रिपोर्ट भेजी है कि यदि उन्हें नेक्का सप्लाई किया जाये, तो वे दुगना उत्पादन कर सकते हैं और यदि हां, तो उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : श्रीमान्, यह प्रश्न पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय से सम्बन्ध रखता है।

श्री रंगा : क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रयास किये जायेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों से फालतू उर्वरकों को अन्य क्षेत्रों में ले जाने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि अन्यथा वास्तव में हो यह रहा है कि वे छिपे तौर पर ले जाये जा रहे हैं, और यद्यपि किसान इसे एक ओर प्रयोग कर रहे हैं ; इसके व्यापारी और जो यह दूसरे स्थान पर सप्लाई करते हैं ; कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं ? क्या सरकार इसे दूर करने का प्रयास करेगी ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य आन्ध्र प्रदेश से हैं। मुझे मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश के किसान इतने उन्नत और उर्वरक के प्रयोग की जानकारी रखते हैं कि वे नियत की गई मात्रा से सन्तुष्ट नहीं है और वे समूचे भारत से उर्वरक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश की उर्वरकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में हम बहुत उदार रहे हैं।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिये चुनाव

+

*** 905. श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जमानत की राशि जमा करनी चाहिये जो उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम मत प्राप्त न करने की स्थिति में जब्त कर ली जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि मन्त्रालय उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

श्री रा० कृ० सिंह : जब राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से कोई जमानत नहीं ली जाती है, तो विधान सभाओं अथवा संसद के लिये चुनाव लड़ने वाली गरीब आदमी से जमानत की राशि जमा करने के लिये क्यों कहा जाता है ? क्या विधि मंत्रालय ऐसी व्यवस्था पर विचार करेगी जिसके द्वारा एक गरीब आदमी, जो साइकिल पर जाता है, विधान सभा के लिये चुना जा सके और कम से कम मोटर साइकिल वाला एक आदमी संसद के लिये चुना जा सके ? क्या वे चुनावों को सस्ता बनाने पर विचार करेंगे ताकि विधान सभाओं में गरीब आदमियों का प्रवेश संभव हो जाये।

श्री दा० रा० चव्हाण : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत लोक सभा अथवा विधान सभा के लिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिकारी के पास एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जबकि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिये चुनाव के मामले में उम्मीदवार को केवल एक प्रस्तावक और समर्थक ढूढना पड़ता है। इसलिये तीसरे आम चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति के पद के लिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन अधिकारी के पास जमानत के रूप में 1000 रुपए की राशि जमा करना अनिवार्य बनाने तथा वैध मतों के मत प्राप्त न कर सकने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में संशोधन करना चाहिए।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति केवल जनता में अपने आपको प्रसिद्ध करना मात्र के उद्देश्य से राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों का चुनाव लड़ते हैं और यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस प्रवृत्ति को किसी प्रकार रोकना संभव समझा है ताकि ऐसे लोगों को सरकारी धन से चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाये।

श्री दा० रा० चव्हाण : चुनाव लड़ने को एक मजाक समझना तो उम्मीदवारों के मन्तव्य की बात है। सम्भवतः मैं उनके इरादों पर विचार नहीं कर सकता जब तक कि ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिये कुछ तथ्य न हो।

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, the recommendation of the Election Commission in this regard was made after 1962 elections. During 1967 presidential election a candidates did not receive even a single vote. Why there is so much delay on the part of Government in implementing the recomendation of the Election Commission ? Is the period of five years not sufficient for Government ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वास्तव में सरकार ने निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर 1966 में विचार किया था। वे सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थी। सरकार ने मुख्य रूप से इस

बात को महत्वपूर्ण समझा कि राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के उच्च पदों के लिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये।

श्री हुमायून कबिर : 1,000 रुपये की जमानत जमा कराने पर विचार करने की अपेक्षा जो प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि के लिये अनेक लोग देने के लिये तैयार होंगे, क्या ऐसी कोई शर्त लगाकर, जैसे जब तक 50 संसद सदस्य अथवा 100 विधान सभा सदस्य किसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित नहीं करते हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा, उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने की कोई योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वास्तव में निर्वाचन आयोग की सिफारिशों में से एक यह भी है। अब चुनाव लडने के लिये उम्मीदवार को निर्वाचक मण्डल में से केवल दो मतदाता ढूढने होते हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके अतिरिक्त लगभग 8 मतदाता होने चाहिये, जो किसी उम्मीदवार के नामजदगी पत्र पर हस्ताक्षर करें। इस पर विचार किया जा रहा है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Rice Supply to West Bargal by Orissa

22. **Shri Madhu Limaye** :
Shri Kameshwar Singh :
Snr Rabi Ray :
Shri Chintamani Panigrahi :
Shri R.K. Sinha :
Shri K.R. Ganesh :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Superfine Rice, of Orissa which was sold to West Bengal has been found to be heavily adulterated;

(b) whether attention of Government has been drawn towards the statement of the Chief Minister of Orissa wherein he has alleged that officials of the Food Corporation of India have a hand therein ;

(c) whether it is also a fact that the Chief Minister has demanded an investigation into the matter by the C. B. I. ; and

(d) if so. the steps being taken by Government in regard thereto ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को भेजी गई बढ़िया चावल की कुछ मात्रा में विजातीय पदार्थ अधिक पाये गये हैं।

(ख) और (ग) : सरकार ने उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा राज्य विधान सभा में दिए गये कथित वक्तव्य की रिपोर्ट समाचार पत्रों में देखी है। उड़िसा सरकार से सूचना मांगी गई है जो कि अभी प्राप्त होनी है।

(घ) इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madu Limaye : May I know the agency through which the super fine rice sold by Orissa to West Bengal had been procured ? What were the price and the quantity of the rice sold ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक समाहार मुल्यों का सम्बन्ध है वे इस प्रकार हैं : सुपरफाइन ग्रेड एक 85.67 रु० : सुफरफाइन ग्रेड दो 83.10 रु० : फाइन 78.23 रु० : और मोटा 74.50 रु० । खाद्य निगम राज्य सरकार के अभिकरण के रूप में काम करता है परन्तु मूल्य का भुगतान उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जाता है । खाद्य निगम उड़ीसा सरकार को भुगतान करता है । जहां तक किस्मों का सम्बन्ध है, केन्द्र ने कुछ किस्मों का सुझाव दिया है । दुर्भाग्य से उड़ीसा सरकार उससे सहमत नहीं हुई और उसने अपनी किस्में निर्धारित कर ली है । केन्द्र के विशिष्ट विवरण के अनुसार 15 से 27 प्रतिशत तक टूटे चावल और ·5 से 1.5 प्रतिशत तक मिट्टी कंकर आदि की छूट होती है जब कि उड़ीसा सरकार के अनुसार 20 से 35 प्रतिशत टूटे चावल और .5 से 2 प्रतिशत तक कंकर मिट्टी आदि की छूट होती है ।

Shri Madhu Limaye: Was it done by Biju Patnayak Government or Biren Mitra Government ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह उड़ीसा सरकार द्वारा जारी किये गये नियन्त्रण आदेश के अनुसार है । केन्द्र के विशिष्ट विवरण के अनुसार 2 से 4 प्रतिशत तक लाल दाना जा सकता है जब उड़ीसा सरकार द्वारा इस बारे में कोई सीमा नहीं रखी गई है । फिर केन्द्र के अनुसार 10 से 20 प्रतिशत तक घटिया किस्म के चावलों का मिश्रण हो सकता है जबकि उड़ीसा सरकार के अनुसार 10 से 30 प्रतिशत तक की अनुमति प्राप्त है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, according to hon. Minister Food Corporation was working as an agent of the Orissa Government and it took delivery of rice from the millers. Do Government contemplate to hold an enquiry into the adulteration in this rice ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हमारी मजबूरी यह है कि हमें राज्य सरकार से ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

Shri Madhu Limaye ; This can be ascertained from the Food Corporation which under you.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हमें उड़ीसा सरकार से एक तार प्राप्त हुआ जो कि इस प्रकार है : "पश्चिम बंगाल को चावल पूर्ति के सम्बन्ध में आपका टेलीफून । सुपरफाइन चावल को स्वीकार करने में खाद्य निगम द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों के कारण चावल का शीघ्र न पहुँचना । कथित मिलावट के कारण खाद्य निगम द्वारा चावल स्वीकार करने से इन्कार । खाद्य निगम से पूछा गया तो कहा कि पश्चिम बंगाल सुपरफाइन चावल स्वीकार करने के लिये राजी नहीं । कृपया खाद्य निगम को सुपरफाइन चावल स्वीकार करने के लिये कहिये" ।

दूसरा तार हमें खाद्य निगम से प्राप्त हुआ था जो इस प्रकार है :—

"जगन्नाथ दास से पता लगा कि उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि ने उड़ीसा सरकार के चावल को अस्वीकार कर दिया है । जगन्नाथ दास ने यह भी पुष्टि की कि सुफरफाइन चावल निर्धारित निम्नतम स्तर से भी घटिया किस्म का है और यदि इसे स्वीकार नहीं किया गया तो वरजित मात्रा का संभरण करना कठिन हो जायेगा ।

"कृपया खाद्य आयुक्त, पश्चिम बंगाल से पता कीजिये कि क्या वे इस चावल को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं..."

Shri Rabi Ray : Adulteration of course grains in rice is not a new thing. Last year when Orissa was hit by famine the millers indulged in similar adulteration in regard to the foodgrains supplied to the people or Bolagir and Kalahandi. Will the hon. Minister hold an enquiry in to both these cases of adulteration.

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagjiwan Ram) : A communiction in this regard has been sent to the Orissa Government and after their reply has been received, we shall take appropriate action against the defaulting persons.

श्री चिंतामणि पाणिग्राही : क्या सरकार इस मामले में अपनी ओर से कोई जांच करना चाहती है ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने अभी बताया हमें उड़ीसा सरकार से अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । उनकी जानकारी प्राप्त होने पर जैसा वे सुझाव देंगे उसके अनुसार मामले की जांच की जायेगी ताकि इस शरमनाक मामले के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाया जा सके ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ रोज पहले माननीय मंत्री ने इस सभा में कहा था कि केन्द्र पश्चिम बंगाल को प्रति मास कम से कम 15,000 चावल देने के लिये तैयार है । ये चावल मुख्य रूप से उड़ीसा से जाना था । कुछ रोज पहले पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि उन्हें यह 15,000 टन चावल जून के महीने में प्राप्त नहीं हुआ और जुलाई के बारे में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री ने जो आश्वासन दिया 15000 टन चावल प्रति मास बंगाल को देने के उसको पूरा करने के सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है । झूठे आश्वासनों पर हम कब तक जीवित रहेंगे ?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं जानता कि हम क्या कर सकते हैं । यह कठिनाई अब पैदा हुई है । परन्तु हमने कुछ और कदम उठाये हैं । उड़ीसा से 15000 टन के आवंटन में से 6742 टन और आंध्र से 3000 टन के आवंटन में से 2541 चावल भेजा गया है । इस प्रकार कुल 9283 टन चावल भेजा गया है । यह सारी मात्रा जून के महीने के लिये है ।

फिर, हमने 2000 टन आयातित चावल भी दिया है । इस प्रकार कुल मात्रा 11283 टन हो जाती है । मैं मानता हूं कि उड़ीसा में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के कारण 15000 टन की सम्पूर्ण मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी । जहां तक जुलाई के महीने का सम्बन्ध है, हमने उड़ीसा सरकार को स्थिति की जानकारी देने के लिये लिखा है और आशा है एक या दो रोज में उत्तर आ जायेगा । फिर भी, मैं सभा को सूचित कर दूं कि जुलाई के महीने में चावल की स्थिति बहुत कठिन होगी ।

श्री रा० बरुआ : जबकि केन्द्र और राज्य दोनों के मानक विशिष्ट विवरणों में अन्तर है तो खाद्य निगम निम्न स्तर के चावल को किस प्रकार स्वीकार कर सकता था ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जब चावल को स्वीकार करने का प्रश्न उठा तो खाद्य निगम ने स्वभावत: पश्चिम बंगाल सरकार की सलाह ली और पश्चिम बंगाल सरकार चूंकि कठिन स्थिति में थी, इसलिये उसने खाद्य निगम को सलाह दी की वह जो भी मात्र उपलब्ध हो उसे स्वीकार कर ले । ऐसा प्रतीत होता है कि प० बंगाल सरकार की सलाह पर खाद्य निगम ने चावल की मात्रा स्वीकार की ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच नहीं है कि इसके लिये खाद्य निगम के अधिकारी पूरी तरह से दोषी हैं, क्योंकि मिल मालिकों से चावल प्राप्त करने की मुख्य जिम्मेदारी उनकी है ?

श्री जगजीवन राम : उड़ीसा सरकार या खाद्य निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाना अच्छा नहीं लगता । जैसा मैंने कहा हम उड़ीसा सरकार से लिखा पढ़ी कर रहे हैं और इस मामले की पूरी जांच होना आवश्यक है ।

श्री अद्धाकर सुपकार : उड़ीसा सरकार को जो चावल का मूल्य दिया जा रहा है वह केन्द्र द्वारा चावल के लिये निर्धारित स्तर के अनुसार दिया जाता है या उड़ीसा सरकार द्वारा निर्धारित किये गये स्तर के अनुसार ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा प्रतीत होता है कि मोटे चावल को सुपर फाइन चावल के रूप में दिया जा रहा है । स्वभावत : राज्य सरकार को चुकाया गया मूल्य सुपर फाइन चावल की कीमत के आधार पर होगा ।

डॉ० रानेन सेन : क्या यह सच है कि पिछले मास भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में खाद्य मन्त्री को यह वचन दिया था कि उड़ीसा से दिये जाने वाले 15,000 टन चावल के अतिरिक्त 3000 टन चावल और पश्चिम बंगाल को दिया जायेगा और क्या यह भी सच है कि पंजाब के खाद्य मन्त्री पश्चिम बंगाल को चावल की कुछ मात्रा देने के लिये तैयार थे ? फिर क्या कारण है कि इस सब के बावजूद भारत सरकारने पश्चिम बंगाल को चावल की पूरी मात्रा देने के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये ? भारत सरकार पश्चिमी बंगाल के लिये चावल की कमी को किस प्रकार पूरा करने जा रही है ।

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने बताया आंध्रप्रदेश से प्राप्त किया जाने वाला 3000 टन चावल उस 15000 टन के मासिक आवंटन से अतिरिक्त नहीं था । चूंकि उड़ीसा के 15000 टन चावल के पहुंचने में विलम्ब की संभावना थी, इसलिये मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से कहा कि वह पश्चिम बंगाल को पूर्ति के लिये मुझे चावल उधार दे दें । यह तो एक चीज़ रही ।

जहां तक पंजाब से पश्चिम बंगाल को चावल देने के सम्बन्ध हैं, मैंने यह कहा है कि पंजाब ने केन्द्रीय पूल में जितना चावल देने का वायदा किया है उसके अतिरिक्त वह जितना चावल पश्चिम बंगाल को देना चाहे दे सकता है । हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

परन्तु वास्तविकता यह है कि चावल पंजाब सरकार के पास नहीं है अपितु व्यापारियों के पास है। मैंने स्वयं पंजाब के खाद्य मंत्री से कहा है कि वह व्यापारियों से चावल का समाहार कर के पश्चिम बंगाल को इसकी पूर्ति करें।

डा० रानेन सेन : समाहार का काम प्रत्येक स्थान पर खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का ध्यान है कि खाद्य निगम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पंजाब में समाहार नहीं होने दे रहा है।

श्री जगजीवन राम : पंजाब में खाद्य निगम को जौ और चने के अतिरिक्त अन्य किसी चीज का समाहार करने का अधिकार नहीं है।

श्री रानेन सेन : सभा अच्छी तरह से जान ले कि पश्चिम बंगाल के लोगों के जान बूझकर भूखा मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया।

श्री रंगा : क्या उड़ीसा सरकार द्वारा चावल की स्वीकृति के सम्बन्ध में जो विशिष्ट विवरण और मूल्य बताया गया था, वह भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, और यदि हां, तो भारत सरकार यह शिकायत कैसे कर सकती है कि उड़ीसा सरकार अपने विशिष्ट विवरण पर टिकी रही जिसके परिणाम स्वरूप घटिया चावल की पूर्ति की गई।

श्री जगजीवन राम : मैंने यह नहीं कहा है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं या खाद्य निगम दोषी नहीं है। मैंने यह कहा था कि सारे मामले की जांच की जायेगी और जो भी दोषी पाया जायेगा उसे दण्ड दिया जायेगा।

श्री रंगा : भारत सरकार सहित !

श्री जगजीवन राम : जी हां, अलग्ता खाद्य निगम सहित।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्योंकि राज्यों में खाद्य निगम का कोई स्वतन्त्र अभिकरण नहीं है, इसलिये सारा समाहार कार्यक्रम राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। क्या सरकार खाद्य निगम की कठिनाइयों पर विचार कर रही है और उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री बदरुद्दुजा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। खाद्य तथा कृषि मंत्री के वक्तव्य से क्या मैं यह समझूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा ? (अन्तर्बाधाएं) : मैंने वहां जाकर स्वयं देखा कि लोग भूखे मर रहे हैं उन्हें एक समय का भी भोजन नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बदरुद्दुजा : × ×

× × कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : खाद्य निगम तथा उड़ीसा सरकार दोनों संयुक्त रूप से खरीदते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल को भेजने के लिए उड़ीसा में मिलों से खरीदते हैं। अतः मिल वाले राज्य सरकार के माध्यम से निगम को चावल देते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether Government have received from other places the supply of adulterated inferior quality of rice and if so, from where and whether Government propose to investigate these complaints ?

Shri Jagjiwan Ram : I think we have not received any other complaints about quality of rice.

Shri S. M. Joshi : Why the Food Corporation does not procure rice from Punjab & West Bengal ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : खाद्य निगम राज्यों में राज्य सरकारों की इच्छा तथा सहमति से कार्य करता है। पंजाब सरकार ने चावल खरीदने का कार्य खाद्य निगम को नहीं सौंपा है।

श्री हुमायून कबिर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था सप्लाई किया चावल बहुत अच्छी किस्म का नहीं था, क्या अब सप्लाई किया जाने वाला चावल घटिया किस्म का होगा ? खाद्य निगम को पंजाब से टूटे चावल खरीदने के लिये कैसे रोका जा सकता है क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि अब खाद्य निगम ऐसा केवल जौ के मामले में कर रहा है, चावल के मामले में नहीं ?

श्री जगजीवन राम : मैंने बार बार कहा है कि खाद्य निगम किसी राज्य में केवल उस राज्य सरकार द्वारा दिये गये अधिकार तथा अधिकार के अनुसार कार्य कर सकता है। खाद्य निगम अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। सभी ने यह स्वीकार किया है कि उड़ीसा से बिहार को जो चावल के बैगन भेजे गये थे उनमें बढ़िया किस्म का चावल नहीं परन्तु घटिया किस्म का चावल था। इस सारे मामले की जांच करनी होगी।

श्री हुमायून कबिर : यदि यह बढ़िया चावल नहीं था, तो इसे घटिया किस्म के चावल के रूप में बेचने में क्या कठिनाई थी ?

श्री जगजीवन राम : यदि पश्चिम बंगाल सरकार मान गई, तो इसकी जांच की जायेगी।

Shri Bhogendra Jha : I rise on a point of order,

Mr. Speaker : Please resume your seat. I will also call you.

Shri Chandra Jeet Yadav : Is a fact that States are mainly responsible for the procurement of food grains and whether the State Governments themselves are procuring food-grains ? It is also a fact that Government of West Bengal have failed to achieve the target

of procurement of foodgrains ? Is it also a fact that the Punjab Government have not supplied the fo dgrains to the West Bengal to meet her food shortage ?

Shri Jagjivan Ram : Procurement of foodgrains is the responsibility of the State Governments. I have stated several times that both surplus and deficit States should procure to the maximum extent. It is also a fact that the procurement target of 2 lakh tons could not be achieved in West Bengal.

Shri Bhogendra Jha : May I know whether the proposed supply of rice from Orissa to Bihar will be made....

Mr. Speaker : This question relates to West Bengal.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री ने, जब वे दिल्ली आये थे, खाद्य तथा कृषि मंत्री को बताया था कि पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई है और कहीं कहीं तो मारपीट की नौबत तक आ गई ? क्या यह भी सच है कि चावल खुले बाजार में 4 रुपये 50 पैसे प्रति किलो बिक रहा है जिससे किसी परिवार के लिए एक समय भी भोजन करना असंभव हो गया है ? लोगों को भुखमरी से मरने से बचाने के लिए सरकार इस कार्यवाही के अतिरिक्त कि पंजाब ने अनाज दिया है, क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति संतोषजनक नहीं है इसीलिये हम 15,000 टन चावल भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो कठिनाइयां पैदा हुई हैं, उनके बारे में मैं बता चुका हूं। हम 75,000 टन गेहूं दे चुके हैं और पंजाब से पश्चिम बंगाल को 1,000 टन अतिरिक्त गेहूं नियत किया गया है। पश्चिम बंगाल की गम्भीर स्थिति को देखते हुए उसको 4,000 टन माइलो दिया गया है। देश में अनाज की उपलब्धि के अनुसार यथा संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : पश्चिम बंगाल को घटिया किस्म का चावल सप्लाई करने के कारण यह सारा प्रश्न पैदा हुआ है। इसकी जांच करने का आश्वासन दिया गया है। विशिष्ट विवरण में कितना अन्तर है। क्या भारत सरकार ने कभी उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ इस अन्तर को दूर करने तथा विशिष्ट विवरण के अनुसार मूल्य निर्धारित करने के बारे में विचार विमर्श किया था ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस मामले के बारे में खाद्य मंत्री ने उड़ीसा सरकार से बात-चीत की है। यह समस्या सारे भारत की समस्या है। इस समस्या पर डा० रमैया की अध्यक्षता में नियुक्त समिति विचार कर रही है क्योंकि चावल की हजारों किस्में हैं तथा इस मामले में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच अन्तर को दूर करने के लिये कोई मार्ग निकालने की आवश्यकता है।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : धान के एक स्थान से दूसरे स्थान को लाये–ले जाने पर भूतपूर्व सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों को नयी सरकार ने सत्ता संभालते ही हटा दिया। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने चेतावनी दी थी कि प्रतिबन्ध हटाने से संकट पैदा हो

जायेगा। क्या खाद्य मंत्री ने इस चेतावनी की ओर ध्यान दिया था और राज्य के खाद्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया था ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव मात्र है।

श्री जि० मो० विस्वास : कुछ दिन पहले खाद्य मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल के पुरलिया और बांकुरा जिलों में गये थे तथा वहां खाद्य की कमी को देखकर उन्होंने उन जिलों के लिये कुछ अतिरिक्त अनाज देने का आश्वासन दिया था। क्या उनका यह आश्वासन क्रियान्वित किया गया है ?

श्री जगजीवन राम : मुफ्त वितरण के लिए 2000 टन गेहूं दिया जायेगा। लंगर चलाने के लिये तीन महीने तक 500 मन गेहूँ प्रतिदिन मुफ्त दिया जायेगा ?

श्री जि० मो० विस्वास : मैंने पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री से कहा है कि जैंही लंगर खोले जायें, उन्हें चलाने के 500 मन गेहूं देते रहें। जैसे ही लंगर खोले जायेंगे उन्हें गेहूं दिया जायेगा।

श्री जि० मो० विस्वास : गेहूं की सप्लाई पहले ही कम है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

किसानों को लाभप्रद मूल्य

*906. **श्री रणधीर सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए क्या कारगर कार्यवाही की गई है;

(ख) किसानों को उनके विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं जैसे खाद्य तथा अखाद्य फसलों के लिये निम्नतम मूल्य का निर्धारित किया जाना, निम्नतम मूल्य से अधिक पर खाद्यान्नों का समहार और एक सुव्यवस्थित विपणन पद्धति का विकास। सरकार ने कृषि मूल्य आयोग भी स्थापित किया है जो कि कृषकों की उपज का उचित मूल्य निर्धारित करने के बारे में सलाह देगा।

(ख) निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि किसानों को कितने प्रतिशत लाभ होता है। विपणन मूल्यों के अतिरिक्त मिट्टी का उपजाऊपन, किसान की कार्यकुशलता, मौसम की हालत आदि पर भी लाभ की मात्रा निर्भर करती है। जैसा कि सर्वविदित है, उत्पादन की लागत और उपज एक किसान से दूसरे किसान के पास, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक वर्ष की अपेक्षा दूसरे वर्ष में भिन्न होता है और इसलिये बाजार भाव एक रहने पर भी लाभ की मात्रा अलग-अलग होती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ढोरों का बीमा

*907. **श्री दामानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढोरों का बीमा करने की योजना अन्तिम रूप में तैयार हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पशुओं का बीमा करने की योजना अभी अन्तिम रूप में तैयार नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Supply of Hybrid Maize Seeds to States

*908. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the quantity of hybrid maize seeds which will be supplied to the different States during the next kharif crops; and

(b) the quantity of the fertilizers which will be supplied for the production of this maize State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library, See No. LT 885/67]

चावल का आयात

*909. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूखे की स्थिति को देखते हुये चालू वर्ष में कितना चावल आयात किये जाने की संभावना है; और

(ख) चावल सप्लाई करने के लिये किन देशों से अनुरोध किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1967 के दौरान लगभग 495 हजार टन चावल के आयात किये जाने की सम्भावना है।

(ख) बर्मा, थाइलैंड, संयुक्त अरब गणराज्य, कम्बोडिया, नेपाल, अमरीका, गियाना, इटली, ब्राजील और स्पेन से चावल का आयात करने का प्रबन्ध किया गया है या किया जा रहा है।

सहकारी क्षेत्र

*910. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) इसमें केन्द्र, रिजर्व बैंक तथा राज्यों द्वारा कितनी/कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ग) सहकारी क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी) : (क) अनुमान है कि कुल 377 करोड़ रुपए के लगभग अंशपूंजी लगाई गई है।

(ख) अनुमान है कि राज्यों ने अंशपूंजी में 79 करोड़ रुपए के लगभग धन लगाया है। केन्द्र अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अंशपूंजी में सीधे कोई धन नहीं लगाया जाता है, किन्तु उनके द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) आशा है कि चौथी योजना में सहकारी विकास योजनाओं पर 206 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तदात्री संस्थाएं राज्य सरकारों। सहकारी संस्थाओं को सहकारी कार्यक्रमों के लिए ऋण देंगी।

दिल्ली में जाली राशन कार्ड

*911. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री आत्म दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केवल दिल्ली में ही 10 लाख से अधिक जाली राशन कार्ड हैं जिसके कारण खाद्यान्न काले बाजार में बिक रहे हैं;

(ख) इन जाली राशन कार्डों का पता लगाने तथा अपराधियों को दण्ड देने के लिये सरकार ने क्या व्यावहारिक कार्यवाही की है; और

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। इसमें शक नहीं है कि दिल्ली में जाली राशन कार्ड हैं लेकिन शायद उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी की प्रश्न में उल्लेख की गई है।

(ख) इन जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिये विशेष आन्दोलन जैसे बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर घरों की जांच करने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) एक वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है **[देखिये संख्या एल० टी० 886/67]**

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऋण की सुविधायें

*912. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्भिक्ष/सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को दी जाने वाली ऋण की सुविधाओं की जांच करने के लिये हाल में कोई अध्ययन/जांच/मूल्यांकन/पुनरीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सहकारी ऋणों के बाकीदारों को ऋण स्थिरीकरण प्रबन्ध चालू करके नए ऋणों के लिए पात्र बनाया गया है। इस प्रयोजन के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा 2.87 करोड़ रुपए तथा भारत के रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि (स्थिरीकरण) निधि से 7.04 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध की गई है। सहकारी समितियों के अन्तर्गत जो किसान नहीं आते हैं उन्हें आधी ऋण सुलभ करने के लिए राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही है।

प्रधान मंत्री का मध्य प्रदेश में सरगुजा का दौरा

*913. **श्री रवि राय :**
श्री मधु लिमये :
श्री श्रद्धाकार सूपकार :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री प० गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री चक्रपाणि :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री धीरेश्वर फलिता :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने स्वयं सरगुजा के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था तथा वह कुछ अत्यधिक अकाल-ग्रस्त गांवों में भी गई थीं;

(ख) भूख से अथवा कुपोषाहार के कारण होने वाली मृत्युओं के समाचारों के बारे में कितनी सच्चाई है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कलैक्टर द्वारा बांटे गये उन पर्चों की ओर दिलाया गया है जिनमें उन्होंने कहा था कि सरगुजा जिले में दुर्भिक्ष है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है/किया जायेगा; और

(ङ) सरगुजा के निवासियों के कष्टों को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। प्रधान मंत्री ने सरगुजा जिले के कुछ अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरगुजा जिले के कलैक्टर द्वारा बांटे गये पर्चे सरकार की जानकारी में आ गये हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) एक वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है [**देखिये संख्या एल० टी० 887/67**]

गन्ने का मूल्य

***914. श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि चीनी कारखाने गन्ना पेरने के बाद ही गन्ना उत्पादकों को उनके द्वारा खरीदे गये गन्ने का मूल्य चुकाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्य चुकाने की इस प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का है ताकि उत्पादकों को गन्ना मिलों को बेचते ही मूल्य मिल जाये; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा दिये जाने वाले न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। उक्त आदेश के खण्ड 3 के उप-खण्ड (3)

के अनुसार उत्पादकों को खरीदे गये गन्ने की कीमत 14 दिन के अन्दर देनी होती है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष

* 915. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष के बारे में प्रचार करने पर कितना धन खर्च किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : देशभर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष समारोह मनाने के लिये पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1966-67 के दौरान 1,11,460/-रुपये खर्च किये गये। चालू वर्ष के लिए विभाग बजट में इस प्रयोजन के लिए 2,35, 000/- रुपये की व्यवस्था की गयी है।

पारादीप पत्तन

* 916. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री स० कुण्डू :
श्री राम चरण :

क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर अनाज के उतारे जाने के काम के मुकाबले, उर्वरकों के उतारने और लोह अयस्क को बढ़ाने के काम को प्राथमिकता दी जा रही है.

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इससे अनाज के उतारने के काम में विलम्ब हुआ है, तथा पत्तन पर जो जहाज आने वाले हैं उनसे अनाज के उतारने में भी विलम्ब होगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग)-अभी तक केवल एक खाद्यान पोत पत्तन में 23 मई 1967 को लिबर्टी पोतों में गेहूं उतारने के लिये आया था। जब कि पोत गेहूं उतार रहा था तब 25 मई 1967 को एक खनिज लौह पत्तन में आ गया। चूंकि खाद्यान्न के उतारे जाने में 13 से 15 दिनों तक के लग जाने की संभावना थी अत: पत्तन अधिकारियों ने खनिज लोहे पोत को पहले खाली करना निश्चित किया। इसके तुरंत बाद ही दो और खनिज लोह पोत आ गये। खनिज लोह पोतों के माल उतारने के बाद खाद्यान्न पोत 8 जून को घाट पर लाया गया।

खाद्यान्न पोत के बीच ही में माल उतारना बंद किये जाने की रोक से बचाने के लिये या खनिज लोह पातों के लदान के लिये, पत्तन अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि पोत को घाट से जब तक न हटाया जाये जब तक वह लदान या उतार पूरी न कर ले। संबंद्ध अधिकारियों को खाद्यान्न तथा खनिज लोह पोतों के आने का ठीक तरह नियमित करना चाहिये जिससे वे जमघट न कर सकें और पोतों को देरी न हो पाये। परिस्थिति की आवश्यकता पर निर्भर रहते हुए खाद्यान्न पोतों को प्राथमिकता दी जायेगी।

पत्तन को रासायनिक खाद उतारने के लिये व्यवहृत नहीं किया जाता है और न उनके लिये कोई योजना ही है।

केरल को चावल की सप्लाई

* 917. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून से 15 जून, 1967 तक आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा उड़ीसा से क्रमश : कितनी-कितनी मात्रा में केरल को चावल भेजा गया;

(ख) जून के अन्तिम दो सप्ताहों में कितना चावल सप्लाई करने का विचार था; और

(ग) क्या केरल में राशन की पूरी मात्रा (160 ग्राम) पुनः दी जाने लगी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) आन्ध्र से 28 007 टन और मद्रास से 3,431 टन। उड़ीसा से केरल को कोई चावल नहीं भेजा जाना था।

(ख) निर्धारित किये गये चावल में से बकाया यथा शीघ्र भेजने की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र

*918. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार साधारण निर्वाचनों में राज्य विधान सभाओं और लोक सभा में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित दिखाये गये विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का वरण करने में कोई एकरूप कसौटी अथवा सिद्धान्तों का अनुसरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन-क्षेत्रों को आरक्षित करने का विनिश्चय करने के लिए मार्गदर्शक विचार क्या थे;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्थानों में इन समुदायों की अधिक आबादी का सम्यक्तः ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी हां। जहां तक संभव हो सका।

(ख) राज्यों के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के वितरण और अवस्थापन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त, परिसीमन

आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और (घ) में उपदर्शित है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Increase of Sugarcane Price

*919. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Virendra Kumar Shah
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons for the delay in the announcement regarding the increase in the sugar-cane prices;

(b) whether the State Governments have also been consulted in the matter and if so, their reaction thereto; and

(c) whether it is a fact that the absence of any increase in the sugger-cane prices is likely to have an adverse effect on the production of sugar-cane and sugar itself ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The matter is under examination in consulatation with State Governments.

(b) Most of the State Governments from whom replies have been received so far have recommended increase in the sugarcane price.

(c) No adverse effect is expected on sugarcane production in 1967-68, as the sowings have already been completed. As regards sugar production, a decision on an increase in cane price will be taken much before the commencement of the next crushing season in November, 1967.

मशीनों से खेती

*920. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मशीनों से खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) देश में कितने प्रतिशत भूमि में मशीनों से खेती की जाती है; और

(ग) गत वर्ष योजना आयोग द्वारा नियुक्त कृषि दल की सिफारिशों के अनुसार पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों की कृषि योग्य भूमि में मशीनों से खेती आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 888/67]**

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

921. **श्री रा० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड का पुनर्गठन करने के लिये हाल में सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये अथवा किये जाने वाले निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं और उनसे क्या सफलतायें प्राप्त होने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये, संख्या एल० टी० 889/67]**

चीनी मिलों द्वारा चोर बाजारी

*922. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री द्वारा विधान सभा में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चीनी मिलें चोरबाजारी करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां। मामला उत्तर प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट किया गया था। वहां की सरकार ने बताया है कि वहां के खाद्य मंत्री का वक्तव्य अनौपचारिक जानकारी के आधार पर था सरकारी सूचनाओं के आधार पर नहीं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस शिकायत की जांच करे।

फसल बीमा योजना

*923. **श्री सो० सी० बसी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में परामर्श किया है कि उनके राज्य क्षेत्रों में फसल बीमा योजना प्रारम्भ करने के बारे में उनकी क्या राय है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विरोध करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किस आधार पर विरोध किया है; और

(ग) वर्तमान खाद्य स्थिति के सन्दर्भ में यह योजना किस प्रकार सफल होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) फसल बीमा अग्र योजना तैयार कर ली गई है और अनिवार्य फसल बीमा विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये प्रारूप

तैयार कर लिया गया है। आदर्श योजना की प्रतियां और प्रारूप विधेयक हाल में ही राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिये भेज दिया गया है। राज्य सरकारों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) फसल बीमा योजना के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसानों की प्राकृतिक संकट, जैसे सूखा, बाढ़, झझावत, ओले और कीड़ों द्वारा नष्ट की गई फसल की रक्षा की जा सके। इस प्रकार फसल जोखिम की यह योजना न केवल खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने को प्रोत्साहन देने के लिये की गई है बल्कि क्षति पूर्ति करके आर्थिक संकट रोकने के लिये भी ताकि बुरी फसल के समय भी किसान कृषि कार्य में लगे रहें।

सामुदायिक विकास योजनाएं

*924. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री देवकीनन्दन पाटौदिया :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री पार्थसारथी :
श्री राम किशन :
श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों ने समुदायिक विकास योजना के ढांचे में परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मौसम की पूर्व सूचना देना

*925. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर तक के मौसम की पूर्व सूचना देने के लिये संगणकों का प्रयोग करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस काम के लिये वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना गलत अथवा अनिश्चित होने के क्या कारण है; और

(घ) मौसम संबंधी पूर्व सूचना अधिक सही बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन अथवा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) निकट भविष्य में नहीं ।

(ख) दूर तक के मौसम की पूर्व सूचना देने के लिये प्रयोग किये जा रहे वर्तमान उपायों से प्रायः आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है ।

(ग) पिछले 30 वर्षों में जारी की गई पूर्व सूचनाओं की यथार्थता के बारे में की गयी जांच से पता चलता हैं कि लगभग 75 प्रतिशत पूर्व-सूचनाएं सही साबित हुई ।

(घ) चौथी पंचवर्षिय योजना में 'स्टेटिस्टिकल', 'सिनोप्टिक' तथा 'डाइनेमिक' पद्धतियों को अपना कर दूर के मौसम संबंधी पूर्व-सूचनाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है ।

भारत की बार काउंसिल

*926. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि भारत की बार काउंसिल द्वारा मार्च, 1967 में पारित एक संकल्प को उर्दू तथा हिन्दी 'सनद' धारी वकीलों पर लागू किया गया तो 1200 से अधिक ऐसे वकीलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उनके हितों की संरक्षा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने की प्रस्थापना है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार को, भारत की बार काउंसिल द्वारा पारित ऐसे संकल्प की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बम्बई पत्तन न्यास

*927. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास के फ्लोटिला अनुभाग के कर्मचारियों में समयोपरि भत्ते के प्रश्न के बारे में कोई असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब से की जा रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट फ्लोटिला के कर्मचारी बारह घंटों की पारियों में काम करते हैं जिनमें आठ घंटे सामान्य काम के और जब जहाज कमीशन में होते हैं तब चार घंटे समयोपरि काम के होते हैं। उस समय जब जहाज वार्षिक मरम्मत और सर्वेक्षण के लिये काम से हटा लिये जाते हैं तब वे आठ घटों की पारी में काम करते हैं। फ्लोटिला कर्मीदल ने मांग की है कि उस समय में भी जब कि जहाजों से काम नहीं लिया जाता है उन्हें बारह घंटों के आधार पर रखा जाना चाहिये। इस मामले पर फ्लोटिला कर्मीदल 28 जून 1967 की संख्या सहड़ताल पर हैं।

(ख) यह मांग समय समय पर रखी गई थी किन्तु एक बार एक न्याय निर्णय अधिकरणद्वारा और फिर पंच फैसले द्वारा नामंजूर कर दी गई। इस वर्ष फरवरी में यूनीयन ने फिर इस मांग को रखा और जून से वे इस पर जोर दिया।

(ग) इस समय मामले पर पोर्ट ट्रस्ट और यूनीयन के बीच बातचीत चल रही है। यूनीयन के जनरल सेकेट्ररी ने इस मामले पर परिवहन और नौवहन मंत्रालय से विचार विमर्श भी किया है।

हरयाना से चोरी छिपे अनाज का बाहर ले जाया जाना

***928. श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री जनार्दनन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हरियाणा राज्य से बड़ी मात्रा में चोरी छिपे अनाज राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर हो रहे अनाज के इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे हुए क्षेत्रिय प्रतिबन्धों का पुनरीक्षण किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि हरियाना राज्य से बड़ी मात्रा में चोरी छिपे अनाज बाहर ले जाया जाता है।

(ख) इस तस्कर कार्यवाही को रोकने के लिये जो वर्तमान उपाय है उनमें राज्य के सारे सीमा क्षेत्रों पर पांच मील लम्बी ऐसी पट्टी है जिस पर से कोई अनाज नहीं ले जाया जा सकता। गैर-सरकारी व्यापार के लिये बिना आज्ञा के अनाज नहीं ले जाया जा सकता। इसके अलावा तस्करी को रोकने के लिये महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुत सी जाँच चौकियाँ, रक्षक दल तथा बेरियर स्थापित कर दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Diwan Sugar Mills, Sukouti (U. P.)

*929. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reason for taking over control of the Diwan Sugar Mills, Sukouti, District Meerut (U. P.) by Government during 1965;

(b) whether Government have handed over the control back to the owners on the 9th June, 1967 and on that very day they declared that the Mills were being closed down:

(c) if so, the reasons for the closure of the Mills; and

(d) whether it is a fact that during the two years from the date when the Mills were operated by Government, it showed a profit of lakhs of rupees ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture and Community Development and Cooperation (Shri Annnasaheb Shinde) : (a) The management of the Mills was taken over with effect from 4th December, 1965 to avert its closure and to maintain the production of sugar.

(b) Yes, Sir.

(c) The reason given in the closure notice is that the management is not able to run the Mills on account of circumstances beyond their control.

(d) During 1965-66 season, the Mills had earned a profit of about Rs. 9.38 lakhs, while during 1966-67 season, it is likely to suffer a loss of Rs. 8 lakhs (estimated).

अपीजे शिपिंग कम्पनी

*930. **श्री मधु लिमये :** **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री रवि राय : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मालहू प्रसाद : **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपीजे शिपिंग कम्पनी कब बनाई गई थी;

(ख) अपना काम आरम्भ करने के लिये उन्हें आवश्यक लाइसेंस, परमिट, विदेशी मुद्रा आदि कब दिये गये थे;

(ग) क्या इस कम्पनी को बर्मा से चावल के आयात के अतिरिक्त कोई अन्य सरकारी काम सौंपा गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अनुमानत: संदर्भ मेसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज लि० से है क्योंकि सरकारी रिकार्ड में अपीजय शिपिंग कंपनी नाम की कोई जहाजी कंपनी नहीं है। मेसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज लि० अगस्त 1948 में एक गैर सरकारी लि० कंपनी पंजीकृत की गई थी। इस कंपनी से नौवहन चालन नवम्बर 1959 में शुरू किया। 'अपीजय लाइन्स' इस कंपनी की एक नौवहन इकाई का नाम है।

(ख) इस कंपनी के प्रथम पोत को खरीदने के लिए अगस्त 1959 में सरकार ने मंजूरी दी थी जिसमें पोत की लागत की प्रथम किस्त के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा का प्रदान करना भी शामिल है, व्यापार नौवहन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत इस जहाज के चालन के लिए नवम्बर 1959 में लाइसेंस जारी किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) जनवरी 1960 और मई 1967 के बीच उस कंपनी ने 13.82 लाख टन सरकारी माल ढोया। इसमें इण्डिया सप्लाई मिशनों, लंदन और वाशिंगटन, द्वारा बुक किया गया सरकारी माल शामिल नहीं है जिसकी संख्याए उपलब्ध नहीं है।

सिंचाई के लिये यंत्रीकृत मशीनें

4416. श्री नायनार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्रीकृत हल तथा बिजली के वाटर पम्प जैसी नई यंत्रीकृत मशीनों का जो कि कृषकों को खेत सींचने में मदद देती है सरकार को पता है;

(ख) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में नये आविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 'यंत्रीकृत हल' से वास्तव में क्या अभिप्राय है यह स्पष्ट नहीं होता। शायद अभिप्राय उन पावर टिलर्स से है जिनमें जोतने के लिए ब्लेड होते हैं। कुछ समय से इन मशीनों का प्रयोग हो रहा है और हैदराबाद की एक फर्म पहले ही इन्हें बना रही है। पावर टिलर्स के निर्माण की वृद्धि के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और इन्हें बनाने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को औद्योगिक लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इनको बनाने में जापान का सहयोग भी है और औद्योगिक विकास तथा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय उत्पादन के प्रारम्भण में लगे हुए हैं।

(ख) यंत्रीकृत खेती भी ट्रैक्टरों से खींचे जाने वाले हलों से की जाती है। देशीय ट्रैक्टर उद्योग को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है और आशा है कि 1967 में उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाएगी। जहां तक पानी के पम्पों का सम्बन्ध है, बिजली के पम्प सैटों का उत्पादन देश में काफी हो रहा है और लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत इनको अधिक से अधिक लगाया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता

4417. श्री बाबूराव पटेल : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को भारत के उच्चतम न्यायालय की नामावली में दर्ज अधिवक्ताओं की संख्या कितनी थी; और

(ख) 31 मार्च, 1967 को भारत की बार काउंसिल के पास कितने अधिवक्ताओं के नाम रजिस्ट्रीकृत थे ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं की, 31-3-67 पर की, कोई नामावलि नहीं रखी गई है। किन्तु यह न्यायालय एडवोकेट्स-आन-रिकार्ड को रजिस्ट्रीकृत करता है और 31-3-67 को उनकी संख्या 327 थी।

(ख) भारत की बार काउंसिल अधिवक्ताओं का नामांकन नहीं करती है। यह काम तो राज्य बार काउंसिलों का है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्रियों के लिये पत्र-पत्रिकाएं

4418. श्री बाबूराव पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों में यात्रियों के पढ़ने के लिये क्या-क्या तथा कितनी-कितनी पत्र-पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र रखे जाते हैं;

(ख) इन पत्र-पत्रिकाओं पर यह कारपोरेशन प्रति मास कितना व्यय करता है;

(ग) ये पत्र-पत्रिकाएं किस आधार पर चुनी जाती हैं;

(घ) 1965 में इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा किये गये यात्री मत सर्वेक्षण की आपत्तियां क्या हैं;

(ङ) इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले प्रथम एक सौ यात्रियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन पत्र-पत्रिकाओं की सिफारिश की थी; और

(च) कितने तथा किन-किन यात्रियों ने 'ऑन लुकर' तथा 'ईव्ज़ वीकली' की सिफारिश की थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आवश्यक सूचना अनुबंध 1 में दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल० टी० संख्या 890/67]**

(ख) इन पत्र-पत्रिकाओं की खरीद पर प्रति माह अनुमानतः 8,950/- रुपये व्यय किया जाता है।

(ग) कारपोरेशन ने पत्र-पत्रिकाओं की श्रेणी, स्तर, लोकप्रियता, वितरण तथा यात्रियों की आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद और 1965 में किये गये यात्री-मत सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं को चुना था।

(घ) 1965 में किये गये यात्री-मत सर्वेक्षण के परिणाम अनुबंध II में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल० टी० संख्या 891/67]**

(ङ) इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि व्यक्तिगत सर्वेक्षण कार्ड नष्ट कर दिये गये हैं।

(च) 'आन लुकर' की सिफारिश 62 यात्रियों ने की थी और 'ईव्ज वीकली' महिला यात्रियों के हित के लिए चुना गया था।

बिजली से चलने वाले नलकूपों से सिंचाई

4419. श्री शिवचन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में कितने-कितने एकड़ भूमि में बिजली से चलने वाले नलकूपों से सिंचाई करने की व्यवस्था है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली में पूसा रोड पर सुपर बाजार

4420. श्री झा० सुन्दर लाल : क्या खाद्य तथा कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में पूसा रोड पर एक नया सुपर बाजार बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेषता क्या है; और

(ग) देश में इस समय कितने सुपर बाजार हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) इस इमारत को बहु-विभागी भण्डार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। भण्डार के प्रबन्धकों ने किराना, खाद्य-सामग्री तथा घरेलू-वस्तु विभागों में स्वयं सेवा प्रणाली शुरू की है।

(ग) अब तक 37 बहु-विभागी भण्डार खोले गए हैं। जहां-जहां वे खोले गए हैं उन स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 892/67]**

साधारण निर्वाचनों के लिये बनाये गये निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या

4421. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या विधि मंत्री गत साधारण निर्वाचनों के लिए राज्य विधान सभाओं और लोक सभा के लिये बनाये गये आरक्षित तथा साधारण, दोनों भांति में से हर एक निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। आधारी जनगणना सारणियों में से, 520 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और 3557 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में से हर एक के (साधारण, अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जन जातियों के) जनसंख्या आंकड़े संगृहीत करना और फिर प्रतिशतता निकालना एक भारी कार्य होगा। इन विवरणों को तैयार करने से प्राप्त होने वाला परिणाम उसमें लगने वाले श्रम और समय का समानुपाती न होगा।

गुजरात में पेटलाड् स्थित सहकारी चीनी कारखाना

4422. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या गुजरात राज्य में पेटलाड (जिला कैरा) में एक नया सहकारी चीनी कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस देने के मामले में अब तक कुछ प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि यह सहकारी समिति औद्योगिक वित्त निगम के ऋण के बिना भी अपेक्षित वित्त की व्यवस्था कर सकती है; और

(ग) यदि हां, तो लाइसेंस देने में देरी करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राज्य सरकार की सलाह से मामले की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) सहकारी समिति ने बताया है कि वह इस प्रयोजन के लिये कैरा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० से पांच वर्ष के लिये 1 करोड़ रुपये का मध्यावधि ऋण ले सकती है। बड़ी पूंजी के प्रयोजन के लिये चीनी मिलों की आवश्यकताएं ऐसी हैं कि इस ऋण को वापिस लौटाने की अवधि अपर्याप्त है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस परियोजना को वित्तीय सहायता देने के समिति के सुझाव की जांच करें और इसकी सूचना दें कि क्या कारखाने के संस्थापक इतनी धन-राशि एकत्रित करने में समर्थ हो जायेंगे कि उससे कारखाने की लागत पूरी की जा सके और इसका कार्य औद्योगिक वित्त निगम से ऋण सहायता प्राप्त किये बिना मितव्ययी और लाभ में हो सके, जो कि लम्बी अवधि के लिये ऋण देता है और जिसका भुगतान दो नियमित दलन फसल के बाद शुरू होने वाली 12 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

Competition in Food Production

4423. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ram Avatar Shastri :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether any scheme is under consideration of Government to arouse the spirit of competition in the matter of food production between different zones and to award prize to that zone which produces more foodgrains; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) If by zone is meant a group of States, the answer is in the negative. But both the Government of India and the State Governments organize a number of Crop Competitions for which awards are given. The enclosed note given details about this. **[Placed in Library, See No. L. T. 893/67]**

Study of Progress In Agricultural Field

4424. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government sent any agricultural expert team to three advanced countries i. e. U. S. A. Russia and Japan for making a comparative study of the progress made in the field of agriculture there;

(b) the country out of them from whose experience India is likely to benefit most; and

(c) the comparative details regarding the said study ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

बिहार में पटसन का उत्पादन

4425. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने एकड़ भूमि तथा किन-किन जिलों में पटसन का उत्पादन किया जाता है; और

(ख) बिहार में उत्पादित पटसन अन्य राज्यों में उत्पादित पटसन से किस प्रकार भिन्न है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बिहार में निम्नलिखित जिलों में पटसन का उत्पादन किया जाता है :—

जिला	1966–67 के दौरान क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1. सरन	611
2. चम्पारन	8,655
4. मुजफ्फरपुर	1,753
4. दरभंगा	5,719
5. मुंगेर	873
6. भागलपुर	237

7. सहर्षा	24,961
8. पूर्निया	1,16,720
9. एस० परगना	1,148
	1,60,677

(ख) भारत में उत्पादित पटसन की दो किस्में हैं सी० कैपसूलरीज तथा ओलिटोरियस। सी० ओलोटोरियस का सूत बढ़िया होता है और यह इन दोनों में से अधिक उपज वाला है। बिहार में सी० कैपसूलरीज की उपज 72 प्रतिशत होती है जो घटिया किस्म की होती है।

गुजरात में फ्लाइंग क्लब

4426. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कितने फ्लाइंग क्लब हैं, और 1966–67 में उनमें से प्रत्येक को कितना अनुदान दिया गया और 1967–68 में कितना अनुदान देने का विचार है;

(ख) इस समय उनमें प्रशिक्षण पाने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है;

(ग) नये फ्लाइंग क्लब खोलने के लिये प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गुजरात में केवल एक फ्लाइंग क्लब, गुजरात फ्लाइंग क्लब बड़ौदा है। इसे 1966–67 में 1,20,900.25 रुपये का कुल अनुदान दिया गया। जहां तक 1967–68 का सम्बन्ध है इसे 40,000 रुपये के उपदान की एक नियत राशि तथा किये गये उड़ान-घंटों की वास्तविक संख्या के लिए निर्धारित दरों पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

(ख) प्रशिक्षण पा रहे लड़के	33
प्रशिक्षण पा रही लड़कियां	कोई नहीं

(ग) और (घ) सूरत में एक शाखा केन्द्र का संगठन करने के लिए गुजरात फ्लाइंग क्लब से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर विचार किया जा रहा है।

लोथल (गुजरात) पर्यटन केन्द्र के रूप में

4427. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में लोथल को पर्यटन केन्द्र घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष में इसे पर्यटकों के लिये आकर्षक बनाने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गुजरात में लोथल का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जा रहा है।

(ख) लोथल में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई (i) जल-व्यवस्था के प्रबन्ध, तथा (ii) कैफेटेरिया-व-रिटायरिंग रूमों से सम्बन्धित स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। कैफेटेरिया-व-रिटायरिंग रूमों के पहुँच-मार्ग का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष भी है, कर दिया जायेगा।

Collision of Oil Tanker

4428. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian oil tanker collided with a Greek freighter ship on the southern coast of Suez Canal in the month of March, 1967.

(b) if so, the loss of men and material resulting therefrom; and

(c) the reasons for the collision ?

The Minister of Transport and Shippnig (Dr V. K. R. V. Rao) : (a) the **"Lajpatrai"** an oil tanker belonging to the Shipping Corporation of India, Ltd. and lying at anchor in the inner Suez Bay and an Greek ship **"Pearl Clipper"** collided on the 28th March, 1967.

(b) Preliminary reports indicate that there was no loss of life. The extent of damage to the ship and to cargo however have ye to be assessed in detail.

(c) An enquiry under the Merchant Shipping Act, 1958 is in progress and it will be possible to ascertain the reasons for the collision after the enquiry has been completed.

Facilities For Tourists in Assam and North-East India

4429. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have provided transport, hotels and other facilities in Assam and other States in the North-East India for the tourists; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Accommodation for tourists has been provided at Shillong, Gauhati and Cherrapunji in Assam in the form of Tourist Bungalow by the State Government with Central assistance during the Second and Third Five Year Plan periods. As regards transport facilities, these are provided by the State Governments.

(b) The tourtist facilities provided in Assam in the Second and Third Five Year Plans and proposed to be provided during the Fourth Five Year Plan period are as follows :—

Second/Third Five Year Plans

1. Construction of the Tourist Bungalow (Class II) at Shillong.
2. Construction of the Tourist Bungalow (Class II) at Gauhati.
3. Improvements to the Rest House at Cherrapunjee.

Fourth Five Year Plan

Development of tourist facilities in the Kaziranga Wild Life Sanctuary.

उड़ीसा में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास

4430. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में उड़ीसा में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार से ऐसी कोई योजनायें प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रोविजन आफ लैंडिंग एण्ड बर्थिंग फैसिलिटीज फार फिशिंग वैसल्स एट माईनर पोर्टस नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में समुद्र तटीय राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था मौजूद है। इस स्कीम के अन्तर्गत जैट्टीज, वार्वज तथा वर्कशापों आदि की सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने 1966 से एक स्कीम तैयार करके भेजी थी जिसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. चन्दनपुर में एक लैंडिंग जैट्टी व स्लिप वे का निर्माण करना;
2. चान्दनीपाल में एक लैंडिंग जैट्टी व स्लिप वे का निर्माण करना;
3. पारादीप में अतिरिक्त फ्लोटिंग जैट्टी का निर्माण करना;
4. अधुआं में जैट्टी का निर्माण करना;
5. किरतानिया में एक जैट्टी का निर्माण करना;
6. गोपालपुर में बन्दरगाह की सुविधाओं की व्यवस्था करना;
7. नदी स्रोतों की सफाई के लिए ड्रेजर की व्यवस्था करना; तथा
8. इंजीनियरिंग प्रभाग की स्थापना करना।

Road On Indo-Nepal Border

4431. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether Government had prepared a scheme two years ago to construct a pucca road on the India Nepal border especially in Bihar;

(b) if so, the reasons for the delay in constructing it; and

(c) when the work will start ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Presumably, the Members are referring to the Scheme formulated by the Bihar Government sometime back for the development of a road along the Indo-Nepal border from Bhainsalotan in the west to Powakhali in the east. This road, when developed, would be a State road. The State Government are, therefore primarily concerned with this scheme. On their part, the Government of India are already developing a 1000-mile long lateral road from Bareilly in U. P- to Amingaon in Assam to meet the needs of the area. Out of this, a length of about 400 miles passes through North Bihar. The entire cost involved in the development of this lateral road is being met by the Government of India. Work on this road is in progress.

(b) and (c) Do not arise.

केरल में मछली पकड़ने के बन्दरगाह

4432. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री अब्राहम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में मछली पकड़ने के पांच बन्दरगाहों के विकास के सम्बन्ध में केरल सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इन बन्दरगाहों के नाम क्या हैं; और

(ग) इनके कब पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। केरल सरकार ने केरल राज्य में मछली पकड़ने के पांच बन्दरगाहों के विकास के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

(ख) बन्दरगाह 1. विझिन्जम, 2. बेपोर, 3. वालियावटम, 4. कन्नानोर और 5. पोनानी।

(ग) आशा है कि 1970 में विझिन्जम मछली पकड़ने वाला बन्दरगाह पूरा हो जाएगा। बेपोर, वालियापटम और कन्नानोर मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह 1968 में पूरे हो जाएंगे। जहां तक पोनानी मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह का सम्बन्ध है, ग्रोने के विस्तार के

लिए संशोधित प्रस्ताव 1967–68 में पूरा हो जाएगा। पोनानी में वार्फ विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर विचार हो रहा है।

Foodgrains Supply to Bihar

4433. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that quantity of foodgrain apportioned for Bihar State in the Food Budget of 1967–68 is less than the all–India average; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No National food budget for 1967–68 has been finalised. Monthly allocations of foodgrains to Bihar, however, have so far been the highest made to any State.

(b) Does not arise.

Ration Quantum for Labourers in Delhi

4434. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) wheter Government are aware that labourers and other working classes are not getting full quantity of ration according to their need in Delhi;

(b) whether Government have been requested to increase the quantity of their ration; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Government are aware that the quantum of ration for some labourers may be inadequate with reference to their needs.

(b) Yes, Sir.

(c) The Delhi Administration are examining the question of enlarging the existing list of types of heavy manual workers entitled to supplementary rations.

Development of Tourism

4435. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghubir Singh Shastri :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether some additional programmes have been implemented for the development of tourism in India;

(b) whether Kashmir has been given priority in this development programme; and

(c) if so, whether Government contemplate to extend these facilities to other parts of the country as well ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c) The Fourth Five Year Plan on Tourism embodies the development of facilities for tourists and covers the entire country. Priorities for schemes are determined not on regional basis but on the consideration of attracting more tourists to the country. The main project in Kashmir is the integrated development of Gulmarg as a winter sports resort.

उड़ीसा में कृषि फार्म

4436. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ल० प्रधानी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने एकड़ भूमि में केन्द्र द्वारा नियंत्रित कृषि फार्म हैं;

(ख) उन पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1966–67 में सरकार ने उन पर कितना धन खर्च किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस समय उड़ीसा में 2379 एकड़ भूमि केन्द्रीय राज्य फार्म हीराकुंड (उड़ीसा) के अन्तर्गत लाई जा चुकी है। उड़ीसा में कोई और केन्द्रीय-नियंत्रित कृषि फार्म नहीं है।

(ख) औसतन प्रति दिन एक सौ अस्सी।

(ग) 6.99 लाख रुपये (अनुमानत।)

उड़ीसा में पानी के तालाब

4437. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ल० प्रधानी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में इस समय पानी के कितने तालाबों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) 1966–67 और 1967–68 में उड़ीसा राज्य में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत पुराने तालाबों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये तथा नये टैंकों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 21 जनवरी, 1967 को राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 2175 तालाबों का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) 1958–59 से राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी संशोधित पद्धति के लागू होने के बाद केन्द्रीय सहायता "कृषि उत्पादन", "लघु सिंचाई" तथा "भूमि विकास"

आदि विकास के शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है। योजना-वार स्वीकृति देना 1958–59 से बन्द कर दी गई है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि 1966–67 तथा 1967–68 के दौरान उड़ीसा में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत तालाबों की मरम्मत तथा पुर्ननिर्माण के लिए और नए तालाबों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग-अलग कितने अनुदान स्वीकृत किए गए। फिर भी 1966–67 के दौरान "लघु सिंचाई" शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार को 328.30 लाख रुपये का ऋण तथा 18.35 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। 1967–68 के लिए प्लान व्यय पर सरकार द्वारा विचार हो रहा है।

Irrigation by Public Tubewells

4438. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the World Bank authorities have recently recommended to the Government of India that the commanded area of irrigation by Public tubewells be reduced from 600 acres to 250 acres; and

(b) if so, the decision taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) The World Bank Teams which visited Uttar Pradesh in connection with the formulation of the second project for intensification of agricultural development through tubewells, wells and other Agricultural inputs in U. P. have stressed the need for restricting the command area of State tubewells upto 250 acres. The State Government has agreed to accept this recommendation in respect of the 400 State tubewells which are proposed to be constructed under the World Bank aided projects.

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

4439 **श्री उमानाथ :**
श्री नम्बियार :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाने वाले कृषि पर आधारित उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केरल को कोई सहायता दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों को सहकारी क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कोई सीधी तकनीकी सहायता नहीं दी जाती है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1966–67 के अन्त तक केरल सरकार ने 2 सहकारी चीनी कारखानें, 8 चावल मिलें, 1 कपास ओटाई तथा प्रेसिंग यूनिट, 4 फल तथा सब्जी विधायन यूनिटें तथा 25 यूनिटें, अधिकतर नारियल के तेल की मिलें, स्थापित करने के लिए 30.66 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर नर्मदा पुर तक जाने वाली व्यपवर्तन सड़क

4440. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर बर्मन में नर्मदा नदी पर पुल तथा व्यपवर्तन सड़क के निर्माण की मंजूरी कब दी गई थी;

(ख) ये कार्य कब आरम्भ किये गये थे तथा नर्मदा पुल यातायात के लिये कब खोला गया था;

(ग) क्या उपर्युक्त व्यपवर्तन सड़क पर डोकरी नाले पर अभी तक पुल नहीं बनाया गया है;

(घ) इस डोकरी पुल के लिये कितनी बार टेन्डर मांगे गये थे तथा हर बार अनुमानित रकम कितनी थी;

(ड) अन्तिम टेंडर कब मांगा गया था; और

(च) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है तथा इसमें यदि कुछ विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अनुमानतः संदर्भ राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 26 में बर्मनघाट पर के नरमदा के पुल के पहुंच मार्ग से है । इस सड़क का निर्माण कार्य 18–1–1964 को मंजूर किया गया था और पुल का निर्माण कार्य 9–8–1967 को मंजूर किया गया था ।

(ख) पुल का निर्माण कार्य 5–3–1961 को प्रारंभ किया गया था और पुल यातायात के लिये 9–6–1964 को खोला गया था ।

(ग) जी हां । अभी तक इस पुल का निर्माण संभव नहीं हुआ है ।

(घ) दो बार टेंडर मांगे गये । पहले टेंडर में धनराशि 4.90 लाख रुपये थी और दूसरे टेंडर में 4.65 लाख रुपये थी ।

(ड़) 15–9–1965 को ।

(च) शुरू होने के बाद इस निर्माण कार्य के लगभग दो वर्ष में पूरा होने की आशा है, और यह ऐसे निर्माण कार्यों के लिये सामान्य है । परन्तु इस निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू तथा पूरा करने के लिये पूरी कोशिश की जायेगी ।

मध्य प्रदेश को दीर्घकालीन ऋण

4441. श्री मणीभाई जे० पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में मध्य प्रदेश के किसानों को सहकारी भूबन्धक तथा विकास बैंकों के माध्यम से दिये जाने के लिये कितना दीर्घकालीन कृषि ऋण निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : अनुमानित कार्यक्रम 3 करोड़ रुपये का है ।

अनाज का समाहार

4442. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष प्रत्येक राज्य में कितने अनाज का समाहार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इसके भंडार की क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस वर्ष अनाज का समाहार करने का कोई नियत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रत्येक राज्य में पर्याप्त भंडार की सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप

4443. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1967 तक उत्तर प्रदेश में कितने प्रयोगात्मक नलकूप लगाये गये थे;

(ख) क्या 1967–68 में उस राज्य में और प्रयोगात्मक नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के अधीनस्थ समन्वेषी नलकूप संगठन ने भूमिगत जल निरीक्षण के दौरान 31 जनवरी, 1967 तक उत्तर प्रदेश में 46 नलकूप खोदे हैं । जिनमें से केवल 37 नलकूपों ने पर्याप्त जल दिया और 9 को बन्द कर दिया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा 1967–68 के दौरान निम्नलिखित जिलों में 9 समन्वेषी नलकूप खोदे जाने हैं :—

1.	आजमगढ़	4
2.	गाजीपुर	2
3.	देहरादून	2
4.	बिजनौर	1
	कुल :	9

उत्तर प्रदेश में बागबानी का विकास

4444. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–67 में उत्तर प्रदेश को बागबानी के विकास के लिए दिये गये धन का पूर्ण उपयोग किया गया था; और

(ख) वर्ष 1967–68 में इस कार्य के लिए उक्त राज्य को कितना धन देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्तीय सहायता अलग-अलग योजनाओं के लिए नहीं अपितु विकास के वृहत्त शीर्षकों के लिए दी जाती है। अतः बागबानी विषयक योजनाओं के बारे में केन्द्रीय सहायता के आंकड़े बताना संभव नहीं है।

परन्तु राज्य सरकार ने सूचना दी है कि :

1. 1966–67 में बागबानी विषयक विकास योजनाओं के लिए प्रत्याशित व्यय हेतु केन्द्रीय सरकार से 39.55 लाख रुपये की राशि मांगी गई है।

2. 1967–68 की अवधि में इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अंश के रूप में 10.75 लाख रुपये का नियतन किये जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन

4445. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरप्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने के लिये 1966–67 में उत्तरप्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ऋण अथवा सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) 1966–67 में सहकारी विकास योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए ऋणों तथा अनुदानों का एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 894/67**]

चारे की पैदावार

4446. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चारे की कुल कितनी पैदावार है;

(ख) देश में कुल कितने चारे की आवश्यकता है;

(ग) गत तीन वर्षों में कितना चारा आयात किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों में कितना चारा निर्यात किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) देश में चारे के उत्पादन तथा आवश्यकता सम्बन्धी अनुमान नियमित आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं। फिर भी 1961 के दौरान केन्द्रीय गोसम्बर्द्धन परिषद् की एक उप-समिति ने चारे की उपलब्धि तथा आवश्यकता का अनुमान लगाया था जो निम्न प्रकार है :

(टन मिलियन में)

चारा आदि वस्तुएं	आवश्यकता	सप्लाई
हरा चारा	390	132
स्ट्रा एण्ड केडबी	168	142
चारा	288	288*
खली	7.3	2.3
मक्का	7.0	—
जौ	7.0	—
चना	5.2	0.5
ब्रान्ज	3.3	3.2

* वन क्षेत्रों में चारा उपलब्ध है परन्तु स्थान दूर होने के कारण या प्रतिबन्ध लगने से चारे का प्रयोग नहीं किया जाता।

(ग) तथा (घ) गत तीन वर्षों में आयात तथा निर्यात किए गए चारे के बारे में संलग्न विवरण में दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 895/67]

पश्चिम बंगाल में नलकूप

4447. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अब तक गहरे नलकूप कितने लगाये गये हैं तथा उन पर कितना धन खर्च हुआ है;

(ख) उनमें से कितने कुएं पूर्णतया तथा निरन्तर चालू हैं;

(ग) कितने कुएं खराब पड़े हैं तथा कितने समय से; और

(घ) क्या किन्हीं कुओं को खराब होने पर चालू किया गया था और यदि हां, तो कितना व्यय करके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नारियल विकास योजना के अन्तर्गत (पौधालय) नर्सरी

4448. **श्री वि० कु० मोदक :**
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बारासेट सब डिवीजन के "बमानपुरा" में नारियल विकास योजना के अन्तर्गत पौधालय (नरसरी) कब खोला गया था;

(ख) इसके विकास पर कुल कितना खर्च आया; और

(ग) इस भूमि के मालिक का नाम क्या था और यह भूमि सरकार ने किस शर्त पर ली थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल में बारासेट सब डिवीजन के बमानपुरा में नारियल एवं अखरोट नरसरी अगस्त, 1965 में खोला गया था ।

(ख) भूमि की विकास लागत (जिसमें नरसरी का खर्च भी शामिल है) निम्नलिखित है :

1965–66	905.25 रुपये
1966–67	560.00 रुपये
	1465.25 रुपये

(ग) भूमि के मालिकों का नाम श्रीमती प्रीति घोष, पी–151, ब्लाक–जी, न्यू अलीपुर, कलकत्ता–27 और श्रीमती बसन्ती दास, अर्जुनपुर, पो० आ० बारासेट जिला 24 परगना है। कृषि निदेशक, पश्चिम बंगाल को जिन शर्तों पर भूमि दी गई है वह संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 896/67]**

उड़ीसा में भू-संरक्षण योजनाएं

4449. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय नदी घाटी परियोजनाओं के जलागम क्षेत्रों में कौन-कौन सी केन्द्रीय भू-संरक्षण योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या वर्ष 1967–68 में उस राज्य में कोई नई योजनाएं चालू की जायेंगी; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा में हीराकुड तथा मैककुड की नदी घाटी परियोजना के जलग्रह क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित भूमि संरक्षण योजनायें चालू हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में कैरेवल विमानों की सीटों का बदलना

4450. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान निगम द्वारा खरीदे गये प्रथम दो कैरेवल विमानों में जो सीटें लगी हुई थीं वह फ्रांस में बनी हुई थी तथा उनकी एक की लागत 1500 रुपये थी;

(ख) क्या इन सीटों के स्थान पर अमरीका की एयरोथर्म फर्म द्वारा बनाई गई सीटें लगा दी गई हैं;

(ग क्या ये सीटें आगे को झुकती हैं और असुविधाजनक हैं तथा इन सीटों का मूल्य फ्रांस में बनी सीटों से दुगना है;

(घ) क्या दिल्ली की किसी फर्म का इन सौदों से कोई सम्बन्ध था; और

(ङ) क्या इन अमरीकी सीटों की खरीद के बारे में, जिसके कारण विदेशी मुद्रा का व्यर्थ व्यय हुआ, किसी जांच का आदेश दिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा खरीदे गये प्रथम दो कारवेल विमानों में फ्रांस में बनी हुई सिकमा सीटें लगी हुई थीं जिनमें से प्रत्येक सीट की लागत 1689/– रुपये थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ये सीटें आगे को खिसक आती हैं और बैक सीट का पिछला हिस्सा स्थिर रहता है । इसलिए ये पीछे बैठे हुए व्यक्ति को बाधा नहीं पहुंचाती और असुविधाजनक नहीं हैं । इनमें से प्रत्येक सीट की लागत 2070/– रुपया है अर्थात सिकमा की कीमत से 23% अधिक है लेकिन ये सिकमा सीटों से हलकी हैं । सिकमा सीटों के मुकाबले इन सीटों के साथ विमान का आय भार अधिक है ।

(घ) देहली की एक फर्म, मैसर्स सिकमा आफ फ्रांस जो कि सिकमा सीटें बनाते हैं, तथा मैसर्स एरोटेक इंडस्ट्रीज बैंटम, यू० एस० ए०, जो एरोथर्म जेफिर II सीटें बनाते हैं, दोनों के भारत में एजेन्ट है ।

(ङ) जी, नहीं । जांच करने का प्रश्न नहीं उठा है ।

Activities of Christian Missionaries

4451. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Christian Missionaries are pursuing their activities vigorously in Deh a Dun and are converting the poor Hindus there by distributing amongst them food-graines received from U. S. A. as a gift ;

(b) whether it is also a fact that he had given an assurance to conduct an enquiry into this matter when he was apprised of it on the 3/st March, 1967 ;

(c) whether the enquiry into this matter has been completed ; and

(b) if so, the action taken against the Christian Missionaries concerned ?

The Minister of State in The Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Enquiries made from the U. P. Govern-

ment indicate that the Christion missionaries are pursuing their usual activities in Dehra Dun as in other parts of U.P.,i . e., they are holding seminars and Bible classes, organising fetes and distributing books and pamphlets. Instances of conversion of poor Hindus by distributing amongst them foodgrains have not con e to State Government's notice. The Christian Missionaries are reported to be taking special interest amongst Tibetan refugees and are running a number of Tibetan homes in Dehra Dun.

(b) No such assurance was given.

(c) and (d) : Do not arise.

Production of Foodgrains

4452. Shri T. Ram : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the estimated production of different varieties of foodgrains in west Bengal, U. P, and Kerala during 1965--66 and 1966--67 ;

(b) the month-wise quantity of foodgrains supplied from the Central quota to the States of West Bengal, U. P. and Kerala during 1966--67 and 1967-68 upto May, 1967 ; and

(c) whether the market price of foodgrains rose or declined in these States during the last three months ?

Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement (I) showing production of different types of foodgrains in West Bengal, Uttar Pradesh and Kerala during 1965--66 is attached. **[Placed in Library, See No. LT-.897/67]** Final Estimates of production of all foodgrains for the year 1966-67 based on crop Cutting Surveys are not yet available .

(b) A statement (II) showing monthwise supplies of Foodgrains to West Bengal, U. P. and Kerala during 1966 & 1967 (upto May, 1967) is attached.

(c) A statement (III) showing month-end wholesale prices at selected centres in respect of Rice, Wheat, Jowar, Bajra, Maize and Gram for Uttar Pradesh and of Rice in respect of West Bengal for the three months (April, May and June, 1967) is attached. **[Placed in Library, See No LT-.897/67]** As will be seen from this Statement, prices of rice have registered a rise both in U. P. and West Bengal in recent months. In U. P. prices of other foodgrains have also recorded a rise. In Kerala maximum statutory prices of staple foodgrains are fixed by the State Government.

मनीपुर का मृगवन

4453. श्री मेघचन्द्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 और 1966–67 में मनीपुर के कीबुल मृगवन की देखभाल पर कितना धन व्यय हुआ और उससे कितनी आय हुई ;

(ख) वहां रहने वाले पशुओं के लिए उस मृगवन में कुल कितना क्षेत्र आरक्षित है;

(ग) वहां पर रहने वाले पशुओं की कुल संख्या कितनी है और वे किस किस नस्ल के हैं और क्या उनकी संख्या बढ़ रही है अथवा घट रही है; और

(घ) क्या इस मृगवन की भूमि में अतिक्रमण किये जाने के किसी मामले की सूचना हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) 1965-66 तथा 1966-67 में इस मृगवन की देखभाल पर क्रमशः 6712 रुपये तथा 16,153 रुपये व्यय हुआ । इन वर्षों में इस मृगवन से कोई आय नहीं हुई है ।

(ख) 10.44 वर्ग मील ।

(ग) वहां रहने वाले पशुओं की संख्या 500 है जो निरन्तर रूप से बढ़नी जा रही है ।

(घ) मृगवन के रेखांकित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है ।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

4454. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री शशि रंजन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष वार्धक्यता प्राप्त व्यक्ति है ; और

(ख) यदि हां, तो सेवा-निवृत्ति की आयु के पश्चात् उनका सेवा-काल कितनी बार बढ़ाया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) जी हां । कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्, का अध्यक्ष कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है । इन दोनों पदों का वर्तमान धारक एक अवकाश प्राप्त अधिकारी है ।

(ख) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर् के वर्तमान अध्यक्ष 1-4-1962 से दो वर्षों की अवधि के लिये आरंभतः नियुक्त किये गये थे । उन्हें 1-4-1964 से दो वर्षों के लिये और 1-4-1966 तथा 1-4-1967 से एक एक वर्ष के लिये पुर्ननियुक्ति का सेवा विस्तार प्रदान किया गया था । यह सेवा विस्तार सार्वजनिक हित में दिया गया था ।

राष्ट्रीय राजपथ

4455. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या परिवहन तथा नौहवन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के लिये क्या सिद्धान्त है ; और

(ख) राष्ट्रीय राजपथ के लिये मानकित चौड़ाई कितनी निर्धारित की गई है तथा उसका कितना भाग डामर का बना होना चाहिये और कितना भाग बिना डामर का होना चाहिये ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 898/67]**

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों का मार्ग-परिवर्तन

4456. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राष्ट्रीय राजपथ मध्य प्रदेश से गुजरते हैं ;

(ख) ये राजपथ किन प्रमुख नगरों को मिलाते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राजपथों का मार्ग परिवर्तन करने का है जिससे वे नगरों तथा आबादी वाले क्षेत्रों से होकर न जायें ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के कब पूर्ण हो जाने की आशा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख): अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 899/67]**

(ग) जी हां ।

(घ) राष्ट्रीय मुख्यमार्ग सं० 3 में इन्दौर पर की बाहरी सड़क का निर्माणकार्य मंजूर हो गया है और इस पर निर्माणकार्य जारी है । इसके चौथी पंचवर्षीय योजना काल के अंत तक पूरा होने की संभावना है । अन्य बाहरी सड़कों तथा उपमार्गों के निर्माण कार्य अभी मंजूर होने हैं और इस समय यह कहना संभव नहीं है कि वे कब पूरे होंगे । उप मार्गों को निम्न प्राथमिकता दी गयी है और धनाभाव के कारण चालू वर्ष में किसी और उपमार्ग को बनाना संभव न हो सकेगा ?

अंदमान द्वीप समूह में रबड़ के पेड़ उगाने के लिए वन-भूमि का आवंटन ।

4457. श्री अ० सि० सहगल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले अन्दमान प्रशासन ने रबड़ बोर्ड को रबड़ के पेड़ लगाने के लिये वृन्दावन में सात गांवों से गिरी हुई 500 एकड़ वन-भूमि दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे के केन्द्रीय सरकार के निदेशों के विरुद्ध ऐसा किया गया था ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित ग्रामीणों और रबड़ बागान श्रमिकों के बीच झगड़ा हो गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में और रबड़ बागान लगाना रोकने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

विधि कालेजों में शिक्षा के माध्यमिक के रूप में हिन्दी का प्रयोग

4458. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी विधि कालेज में शिक्षा का माध्यम संविधान की अष्टम अनुसूची में वर्णित कोई भारतीय भाषा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी संगृहीत की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में प्रशासनिक अधिकारियों के निवासस्थानों पर टेलीफोन

4459. श्री राम चरण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में प्रशासनिक अधिकारियों के निवास स्थानों पर टेलीफोन लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत वर्ष इन टेलीफोनों पर कितना खर्च आया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इन अधिकारियों से भी कभी कभी दफ्तर के समय से पूर्व या पश्चात् सिब्बन्दी सम्बन्धी मामलों पर बात करनी पड़ती है।

(ग) 5539.84 रुपये।

Bridge Over Chambal River

4460. Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state ;

(a) the total amount sanctioned by the Central Government for the construction of a bridge over the Chambal river in Etawah District of Uttar Pradesh, on the Border of Madhya pradesh and Utar Pradesh which is now under construction ; and

(b) the amount paid so far therefrom ?

Deputy Minister in The Ministry of Transport & Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) The project is estimated to cost Rs. 114.20 lakhs and has been approved for being financed as under:—

	Rs. lakhs
(i) Central Road Fund Reserve	38.06
(ii) Allocations from the Central Road Fund to the Government of Uttar Pradesh.	38.07
(iii) Allocations from the Central Road Fund to the Government of Madhya Pradesh.	38.07
	114.20

(b) The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha in due course.

Production of Fertilisers From cattle-Bone

4461. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to set up a factory to produce fortilisers from cattle-bone ;

(b) if so, when a decision would be taken thereon ; and

(c) whether Government propose to set up this fertiliser plant in Madhya Pradesh in view of abundant availability of bones of domestic and wild animals in Tikamgarh, Chatarpur and Panna areas of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in The Ministry of Food Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Loans to Landless Persons

4462. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government advance loans to the landless persons also ; and

(b) if so, for what purpose and where this scheme has been enforced ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperations (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library, See No. LT-900/67]

दक्षिण कनारा जिले में राष्ट्रीय राजपथ पर गंगुली पुल और संपके सड़कें

4463. श्री लोबो प्रभु : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेके की अवधि बार बार बढ़ाये जाने के कारण, दक्षिण कनारा जिले में राष्ट्रीय राजपथ पर गंगुली पुल और संपर्क सड़कें बनाने के काम में लागत में वृद्धि हो गई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस आशय की हिदायतें जारी करने का है कि कारणों का उल्लेख किये बिना तथा अवधि बढ़ाने के लिये सक्षम अधिकारी से अगले उच्च अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना ठेकों की अवधि नहीं बढ़ायी जानी चाहिये ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र

4464. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों से भी विधान परिषदों के लिये सदस्य निर्वाचित होते हैं ;

(ख) क्या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र उत्सादित करने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) इस बारे में अभी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Development of Tourism During Fourth Plan

4465. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2266 on the 13th June,

1967 and state how foreign exchange worth Rs. 2.57 crores out of Rs. 25 crores allocated for the development of tourism during the Fourth Plan is to be spent ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The tentative breakdown of the foreign exchange component of Rs. 2.57 crores in the Rs. 25 crores outlay on tourism programme during the Fourth Plan period is as follows:—

S. No.	Item	Foreign exchange
1.	Equipment for Hotels in the Public Sector through the India Tourism Development Corporation.	1.20
2.	Purchase of air-conditioned cars for tourists.	0.25
3.	Import of air-conditioning units for tourist coaches to be built in India	0.135
4.	Mounting of Son-et-Lumiere Spectacles by ITDC.	0.11
5.	Imports of paper and films etc. by the ITDC for production of tourist literature and films etc.	0,69
6.	Equipment and expertise for Winter Sports Gulmarg (Kashmir).	0.185
	Total:-	2.570

Bridge over Ganga at Farrukhabad (Uttar Pradesh)

4466. Shri Arjun Singh Bhadoria
Shri Mohahu Prasad :

Will the minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in the payment of the amount which was to be paid by the Central Government for the construction of a bridge over the river ganga in District Farrukhabad of Uttar Pradesh; and

(b) whether Government propose to suspend this work ?

Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) The proposed bridge over the Ganga in Farrukhabad District falls on a State road. The Government of Uttar Pradesh are, therefore, primarily concerned with this project. Recently, they submitted an estimate for Central loan assistance to meet 50% of the cost of constructing this bridge and another bridge over the Ramganga, estimated to cost altogether Rs. 4.40 crores. This request is being examined.

(b) Does not arise.

मनीपुर में श्रमिकों की सहकारी समितियां

4467. **श्री मेघचन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में श्रमिकों की कितनी सहकारी समितियां चल रही है;

(ख) श्रमिकों की उन सहकारी समितियों को उनके श्रम ठेका कार्य में क्या क्या सुविधायें दी गई है ;

(ग) क्या श्रमिकों की इन सहकारी समितियों को और अधिक सुविधायें देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी) : (क) मनीपुर में 97 श्रमिक सहकारी समितियां गठित की गई है।

(ख) श्रमिक सहकारी समितियों को 20,000/- रु० तक के कार्य बिना टेंडर मांगे दिये जा सकते हैं ; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की श्रमिक सहकारी समितियों को 35,000/–रु० तक के कार्य दिए जा सकते हैं। जरुरत मंद समितियों को अंश-पूंजी अंशदान तथा प्रबन्ध व्यय के लिये उपदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। जनजाति श्रमिक समितियों को भी औज़ार तथा उपकरण खरीदने के लिये उपदान दिया जाता है।

(ग) काम देने के बारे में वर्तमान रियायत को चालू रखने तथा अंश पूंजी अंश दान तथा प्रबन्धकीय उपदान के रूप में वित्तीय सहायता भी देने का प्रस्ताव है। एक शीर्ष समिति भी गठित की जाएगी।

(ख) शीर्ष संस्था काम प्राप्त करने में सहायता देगी और अपने सम्बद्ध संगठनों को मार्गदर्शन सुलभ करेगी। चालू वर्ष में शीर्ष समिति तथा प्राथमिक श्रमिक ठेका समितियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से सम्बन्धित ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

Maida and Suji in Delhi

4469. **Shri Bramhandji :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Knshwah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that people do not get maida and suji in requisite quantity at ration shops in the Capital;

(b) the quantity of these commodities released by Government to the ration shops every month and the quantity released to the shops consuming these commodities; and

(c) the criteria on which these commodities are distributed to the public ?

The Minister of State in the Ministery of Food, Agriculture, community Development and cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Maida and suji are at present not rationed articles. However some quantities of these articles are released for sale through ration shops. Complaints have been received that consumers are not able to purchase requisite quantities.

(b) About 600 tonnes of maida and suji are given to ration shops and 100 tonnes to cooperative stores every month for sale to consumers.

(c) Since these commodities are not rationed, on criteria have been laid down.

खाद्यान्न में पत्थरों के छोटे टुकड़े

4470. श्री न० कु० सांघी :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री आत्म दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बिहार सहायता समिति को अकाल-ग्रस्त-क्षेत्र में मुफ्त भोजनालय चलाने के लिये दिये गये गेहूं में पत्थर के छोटे टुकड़े पाये गये थे ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) बिहार सहायता समिति ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार के गोदाम डिगाह से प्राप्त होने वाले गेहूं के कुछ बोरों में पत्थर, या ईंट के टुकड़े और कोयले निकले हैं। मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्यवाही की जायेगी।

कालीकट के लिए इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवा

4471. श्री अदिचन : पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट के लिये इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवा आरम्भ करने के लिये कालीकट का यातायात संभावना सम्बन्धी अध्ययन पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने यातायात की संभावनाओं सम्बन्धी अध्ययन हाल में समाप्त किया है और यह रिपोर्ट दी है कि व्यावसायिक दृष्टि से कालीकट के लिए एक विमान सेवा चलाना व्यवहार्य प्रतीत होता है। इस पर अब विचार किया जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की विमान द्वारा यात्रा

4472. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में स्थापना से लेकर अब तक भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की विमान द्वारा यात्रा पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में अरक्षित सीटों का प्रयोग न करने के कारण भारतीय खाद्य निगम ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कैंसिलेशन फीस के रूप में कितनी राशि दी ; और

(ग) क्या सरकार ने विमानों द्वारा यात्रा करने पर तथा कैंसिलेशन शुल्क के देने पर खर्च की गई अत्यधिक राशि के लिये भारतीय खाद्य निगम से कोई स्पष्टीकरण मांगा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) भारती खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ; खाद्य निगम अधिनियम के अन्तर्गत निगम के कार्य और व्यापार का सामान्य अधीक्षण और प्रबन्ध बोर्ड आफ डायरक्टर के हाथ में होता है और केन्द्रीय सरकार केवल नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर ही अनुदेश दे सकती है ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा लिये गये यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते

4473. श्री जार्ज फरनेडीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से लेकर अब तक प्रतिवर्ष इस निगम के कर्मचारियों ने यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में कितनी राशि प्राप्त की ; और

(ख) इन अधिकारियों द्वारा विमान से की जाने वाली यात्रा को कम कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने वित्तीय वर्षों में यात्रा तथा दैनिक भत्ते के रूप में कुल धन राशि इस प्रकार प्राप्त की :–

	रुपये
1964-65	43,230
1965-66	10,99,000

1966-67 का हिसाब तैयार किया जा रहा है।

(ख) निगम के पदाधिकारियों को अत्यन्त आवश्यक होने पर ही विमान से यात्रा की जाने की अनुमती दी जाती है और यह अनुमति केवल जब ही दी जाती है जबकि पदाधिकारी विमान से यात्रा करने का अधिकारी हो या किसी आवश्यक कार्य के शीघ्रता के करने के हित में विशेष अनुमति दी जाती है।

खान-पान प्रौद्योगिकीय तथा व्यवहारिक पोषाहार संस्थायें (इस्टीट्यूट्स आफ केटरिंग टेक्नालोजी एण्ड अप्लाइड न्यूटरिशन)

4474. **श्री म० र० कृष्ण : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान-पान और प्रौद्योगिकीय तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्थाओं में पूरी क्षमता से काम हो रहा है ;

(ख) इस समय कितने छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सफलता पूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले उम्मीदवारों की सेवाओं का पूरा पूरा उपयोग करने के लिये योजनायें बनाई हैं ; और

(घ) क्या उन्हें विदेशों में उच्च प्रशिक्षण दिलाने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) इस समय संस्था विकास के भिन्न स्तर पर है और यथा सम्भव विद्यार्थियों को प्रवेश तथा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उनकी उस समय पूरी क्षमता से कार्य करने की सम्भावना है जब उनके लिये पूरी सुविधाओं की व्यवस्था हो जायेगी।

(ख) 1966-67 के पिछले सत्र में नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की चार संस्थाओं में डिपलोमा और दस्तकारी विषय के कुल 888 विद्यार्थी थे।

(ग) इसके लिये कोई विशेष योजना नहीं बनाई है लेकिन जैसा कि इस योजना में उल्लेख किया है शिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं को विभिन्न होटलों, खान पान की संस्थाओं, स्नेक-वार रेस्टारेन्ट औद्योगिक कैन्टिन और देश की अन्य खाद्य संस्थाओं के लिये प्राप्त किया जाता है।

(घ) नई दिल्ली और बम्बई स्थित संस्थाओं की योजनाएं कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को आगे प्रशिक्षण और व्यवहारिक अनुभव के लिये विदेश भेजने की है।

गुजराज के लिये अनाज का नियतन

4475. **श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के मुख्य मन्त्री ने हाल में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में राशन व्यवस्था को समाप्त होने से बचाने के लिये उन्हें अनाज का नियत कोटा पूरा दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उस राज्य को अनाज का मासिक-कोटा मार्च, 1967 से प्रति मास पहुंच रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गुजरात के मुख्य मन्त्री ने हाल में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अनाज का नियत कोटा पूरा दिया जाये ;

(ख) गुजरात को भेजे जाने वाले अनाज को प्राथमिकता दी जा रही है । केन्द्र के गोदामों में उपलब्ध स्टाक में से कुछ सप्लाई करने की व्यवस्था की जा रही हैं ताकि बन्दरगाहों से अधिक माल भेजा जा सके ।

(ग) और (घ) पिछले तीन महीनों में भेजा जाने वाले मासिक कोटे की तुलना में 2.4 से 7 प्रतिशत तक की कमी आगई है । कमी का कारण यह है कि अनाज देरी से पहुँचा है ।

आसाम में यंत्रों द्वारा खेती

4476. **श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम सरकार ने खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये यंत्रों द्वारा खेती करने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) क्या आसाम सरकार ने इस परियोजना के लिए केन्द्र से अधिक उर्वरक, कीटनाशी दवाइयां और सिंचाई के पम्प मांगें हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में आसाम सरकार की सहायता करने और उसकी मांग को किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार को आसाम सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

ट्रेक्टर सप्लाई करने के लिये रूमानिया की पेशकश

4477, **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य, तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया ने रुपयों में भुगतान के आधार पर भारत को पहिये वाली किस्म (व्हील टाइप) के ट्रेक्टरों का निर्यात करने की पेशकश की है;

(ख) क्या रूमानिया में निर्मित इस प्रकार के ट्रेक्टरों का आयात करने की अनुमति पाने के लिये किसी गैर सरकारी फर्म ने आवेदन-पत्र दिया है;

(ग) यदि हां, इसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) क्या इस समय रूमानियां से किसी भी किस्म के ट्रेक्टरों का आयात किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

(घ) इस समय रूमानियां से व्हील टाइप ट्रेक्टर आयात नहीं किये जा रहे हैं। केवल परीक्षण के लिए कालर ट्रेक्टर का आयात किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण कार्य

4478. **श्री कृष्णन :**
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र तथा राज्य सरकारों में समन्वय स्थापित करने के लिए कई राज्यों में कितने इंजीनियर सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गये थे,

(ख) क्या राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उन्होंने अपना कार्य उचित ढंग से नहीं किया था और वे अधिकांश राज्यों से वापिस बुला लिये गये थे, और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा वित्त घोषित परियोजनाओं की कुशल, व्यवस्थित तथा शीघ्र क्रियान्विति के लिये सरकार का विचार फिर इन सम्पर्क अधिकारियों को नियुक्त करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) इंजीनियर संपर्क अधिकारियों के 9 पद मंजूर हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि नयी दिल्ली में कार्या-

लय के मुख्यालय में कितने अधिकारियों की आवश्यकता है, उपलब्धता के अनुसार राज्यों में तेनात किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या समय समय पर बदलती रहती है। इस प्रकार 1953 में 9 और 1960 में 7 सेवक अधिकारी राज्यों में तेनात किये गये थे परन्तु 1963 में ये सब अधिकारी वापस मुख्यालय में बुला लिये गये हैं।

(ख) वे अपना काम ठीक तरह कर रहे थे। परन्तु देश की सुरक्षा से संबंधित कार्य के संदर्भ में वे राज्यों से वापस मुख्यालय में बुला लिये गये थे।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

बंगलोर-मद्रास राष्ट्रीय राजपथ

4479. **श्री कृष्णन :**
श्री तुलसीदास दासप्पा :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर–मद्रास राष्ट्रीय राजपथ पर मैसूर राज्य कोलार में राष्ट्रीय राजपथ का मार्ग परिवर्तन करने की जो योजना बनाई गई थी क्या उसको क्रियान्वित किया गया है अथवा इस सम्बन्ध में कोई अन्य प्रस्ताव है;

(ख) इस सड़क के निर्माण के बारे में जनता तथा विशेषज्ञों की क्या राय है;

(ग) इसे क्रियान्वित करने में कितना समय लग जायेगा; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि इस राज पथ पर ताम्बली के निकट पालार नदी पर बहुत कमजोर पुल है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। संरेखण मंजूर हो गया है और कोई अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव नहीं है।

(ख) बाहरी मार्ग निर्माण करने की आवश्यकता सभी मानते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जारी है। परन्तु धनाभाव के कारण बाहरी मार्ग के चालू योजना काल में पूरा होने की संभावना नहीं है।

(घ) पालर नदी के ऊपर का पुल इतना कमजोर नहीं है कि उसके निर्माण की अति-शीघ्र आवश्यकता हो।

पाली जिले में पैकेज कार्यक्रम

4480. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाली जिले में पैकेज कार्यक्रम पर कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ख) इस धन के विनियोजन से कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) पाली में इस कार्यक्रम को क्यों छोड़ दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) पाली जिले में पैकेज कार्यक्रम पर तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में (1961–66) लगभग 106 लाख रुपये ऋण रहित व्यय होना का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों ने किसानों के लिये औजार खरीदने के लिये छोटी अवधि पेशगी ऋण भी दिये हैं।

(ख) पैकेज कार्यक्रम के क्रियान्वित होने के परिणाम स्वरूप तीसरी योजना में, 1963-64 को छोड़कर, जबकि भारी सूखे के कारण अनाज के उत्पादन में कमी हुई थी, जिले में अनाज का उत्पादन वृद्धि की ओर है। इस अवधि में तीन वर्ष पहले 1958–61 कार्यक्रम क्रियान्वित करने से पहले की तुलना में 15 प्रतिशत अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यदि मौसम सामन्य होता तो जिले में कार्यक्रम में और प्रगति होती।

(ग) कार्यक्रम समाप्त नहीं किया गया है। राजस्थान की चौथी योजना में पैकेज कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया है।

हिमाचल राजकीय परिवहन

4481. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने हिमाचल राजकीय परिवहन के तकनीकी कर्मचारियों के वेतन-क्रम बढ़ाने का मामला अन्तिम मन्जूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला निर्णय के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कितने समय से पड़ा है; और

(ग) वेतन क्रम बढ़ाने की मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) हिमाचल सरकारी परिवहन के तकनीकी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का प्रश्न सबसे पहले सितम्बर, 1962 में उठाया गया था। चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के कुछ स्पष्टीकरण मांगने पड़े अतः इस विषय में पत्र व्यवहार होता रहा। यह सूचना कल मिल गई है और निर्णय शीघ्र किया जा सकता है।

Export of Bones

4482. Shri Maharaj Singh Bhartai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2993 on the 20th June, 1967 and state.

(a) the quantity of crushed bones exported every year during the last three years and the names of the countries to which exported;

(b) whether Di-ammonium phosphate was imported during the last year and during the current year for manufacturing phosphate fertilizers; and

(c) if so, the quantity thereof, its price and the countries from which imported ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statment is attached. **[Placed in Library See No. LT/901/67]**

(b) Di-ammonium Phosphate is not imported for manufacturing phosphatic fertilisers. It is used as a straight fertiliser or in the form of mixture.

(c) Quantities of Di-ammonium Phosphate imported from various countries and its price are indicated below:–

Year	Country of Import	Quantity Tonnes	Average C & F Price per tonne.
1966-67	U. S. A. Italy	95,000 15,000	Rs. 732.78
1967-68	U. S. A.	*220,000	Rs. 783.48 (Provisional)

Wheat, Rice and Sugar Supply to States

4483. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat, rice and sugar supplied by the Central Government to the various States and Union Territories du ing the current year so far; and

(b) the quantity thereof demanded by these State and the Union Territories during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement is attached. **[Placed in Library See No. LT 902/67.]**

(b) Demand for wheat and rice are not received from all the States on a regular or uniform basis. Some of the States send us specific demands, some others send demands for the whole year or for a month or more. It is, therfore, difficult to specify definite quantities as comparative demands of the different States during the period.

For Sugar, no specific demands are received from the State Governments. Supplies are arranged on the basis of monthly quotas fixed for each State/Territory, keeping in view the actual consumption in the past and the present availability of sugar.

*Purchase of additional quantity under consideration.

Platform Tickets at Palam Airport

4484. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to rep'y given to Starred Question No. 329 on the 6th June, 1967 and state the estimated annual earnings that will accrue to Government as a result of the introduction of the platform ticket system ?

Minister of Tourism and Civil Avia ion (Dr. Karan Singh) : On the basis of a levy of 0.50 paisa per head on entry to Palam airport, it is estimated that annual earnings of about Rs. 90,000/- would accrue to Government.

आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

4485, श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम के गोलपाड़ा जिले में जोगीघोपा और पंचरत्ना को मिलाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) क्या आसाम राज्य सरकार से उक्त पुल बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : अभी नहीं ।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार

4486. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विदेशों में किस प्रकार से प्रचार किया जाता है ;

(ख) किन देशों में विशेष रूप से प्रचार को अधिक महत्व दिया जाता है ;

(ग) 1967-68 में भारत में तथा विदेशों में प्रचार के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी है ;

(घ) क्या विदेशों में प्रचार कार्य गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है अथवा सरकार के अपने विभागों द्वारा ;

(ङ) क्या भारत के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अमरीका स्थित एक अधिकारी, श्री गंजू, जिसे अमरीका में भारत के हितों के लिये प्रचार करने का ठेका दिया गया था, उस देश से भारत में भ्रमण के लिये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भी प्रचार-कार्य कर रहा है ; और

(च) प्रचार कार्य उसके हाथ में जाने के बाद उत्तर अमरीका और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका ने आने वाले पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) विदेशों में प्रचार मुख्यत: प्रेस के माध्यम से किया जाता है। लेकिन, फिल्मों का माध्यम, खिड़की पर दर्शन, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, वर्कशाप कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्यान, यात्रा लेखकों तथा यात्रा एजेन्टों को भारत में आने का निमंत्रण देना आदि संचार के अन्य उपयुक्त माध्यम का भी उपयोग किया जाता है।

(ख) और (ग) 1967–68 के लिए 110 लाख रुपये का बजट नियतन किया गया है। इसमें से 60.00 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की राशि विदेशों में विज्ञापन, सम्बन्ध प्रचार तथा जन–सम्पर्क के लिये नियत की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञापन आदि पर किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र	पर्यटन कार्यालय का स्थान	नियत राशि (लाख रुपयों में)	वे देश जहां विज्ञापन किया जाता है
यू०एस०ए०	न्यूयार्क, शिकागो तथा सांफ्रांसिस्को	27.48	यू० एस० ए० तथा लेटिन अमेरिका
कनाडा	टोरंटो	3.00	कनाडा
यू० के०	लन्दन	6.00	यू० के० आयर तथा स्कंडेनेविया
फ्रांस	पैरिस	6.00	फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम तथा लक्समवर्ग
जर्मनी	फ्रेंकफर्ट	6.00	पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हालैड तथा यूगोस्लाविया
जापान	टोकियो	3.60	जापान
आस्ट्रेलिया	सिडनी	3.60	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा फिजी।
आरक्षित		4.32	

(घ) पर्यटन विभाग के विदेश स्थित कार्यालय स्थानीय विज्ञापन तथा जन-सम्पर्क एजेन्सियों की व्यावसायिक सेवाओं का उपयोग करते हैं।

(ङ) श्री गंजू को पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी प्रचार कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में अनाज का उत्पादन

4487. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में भारत में प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन कितना हुआ था ;

(ख) इस वर्ष में कितना अनाज लाने ले जाने में खराब हो गया तथा कितना अनाज चूहों और कीड़ों–मकौड़ों ने खराब कर दिया तथा कितना अनाज जमा रखने की हालत में खराब हुआ ; और

(ग) इस वर्ष में कितना देशी अनाज प्रति व्यक्ति दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1966–67 के प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन अनुमानतः 148.6 कि० ग्राम है।

(ख) तथा (ग) 1966–67 के दौरान सरकार द्वारा सम्भाले गए अनाज में से लाने ले जाने तथा जमा रखने की हालत में क्रमशः 0.17 प्रतिशत और 0.11 प्रतिशत खराब होने का अनुमान था। चूहों द्वारा की गई हानि के सुनिश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु चूहों द्वारा की गई कुल हानि का अनुमान कृषि उपज का 2 से 4 प्रतिशत लगाया गया है। मानव उपभोग के लिये उपलब्ध अनाज की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये (क) सरकार द्वारा लिये गये अनाज को लाने ले जाने और जमा करने आदि में बर्बाद होने वाले अनाज (ख) बीजों की जरुरत और (ग) पशुओं के चोर आदि की आवश्यकता का अनाज छोड़ना पड़ता है। कुल उत्पादन का 12.5 प्रतिशत चारे, बीज और बर्बादी के लिये 12.5 प्रतिशत छूट दी जाती है। यह छूट देने के बाद 1966–67 में देशी अनाज के उत्पादन में से प्रति व्यक्ति उपलब्ध अनाज अनुमानतः 130 किलो ग्राम है।

पी० एल० 480 गेहूं लाने वाले लाइबेरिया के जहाज का हुगली नदी में धंस जाना

4488. श्री मरंडी : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 का 8,000 मीट्रिक टन गेहूं लाने वाला लाइबेरिया का एक जहाज 19 जून, 1967 को हुगली नदी में धंस गया था;

(ख) यदि हां, तो जहाज को फिर से तैराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसके कारण कुल कितनी क्षति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 18 जून 1967 को हुगली नदी में अपर डाक बोया के निकट लगभग 7000 टन गेहूं ले जाने वाला लाइबेरिन पौत 'यिआनिना' तल में धंस गया।

(ख) 18 जून और फिर 19 जून, 1967 को निकर्षकों और निस्तरणपोतों की सहायता से कलकत्ता पोर्ट कमिश्नरस् द्वारा पोत को फिर से तैराने के प्रयास किये गये किन्तु वे सफल न हुये। इसके बाद पोत से लगभग 800 टन माल उतार कर उसे हल्का किया गया और 21 जून 1967 को 13.25 बजे वह फिर से तैराया गया।

(ग) व्यापार पोत अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच की जा रही है और जांच के पूर्ण हो जाने पर ही पोत क्षति की और माल के क्षति/हानि की सीमा, यदि कोई हुई है तो जानी जा सकेगी।

Tourist Week in Rajasthan

4489. Shri Onkar Lal Berwa
Shri Onkar Singh

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Tourist Week was celebrated in Rajasthan in April,1967;

(b) The expenditure incurred; and

(c) The earning to Government therefrom ?

Minister Of Tourism and civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes Sir.

(b) The Tourist Week Celebrated in Jaipur from 8th to 14th April was organised by the Government of Rajasthan with the assistance of the Government of India Tourist office, Jaipur. The detail of the expenditure incurred by the state Government and the travel trade are not available. The expenditure in curred by the Government of India tourist Office was Rs,66,00,.

(c) Tourist Weeks are being celebrated all over the country as a part of the International Tourist Year celebrations--1967. It is not possible to assess the earnings from Tournsist Week, as there are no direet returns in such celebrations.

Food Corporation of India

4490. Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Onkar Sing :**
Shri N.S. Sharma : **Shri B. S. Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whe.her it is a fact that the Central Government have set up a Branch of the Food Corporation in Rajasthan; and

(b) If so the monthly expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde : (a) No sir, the Food Corporation itself establishes its offices in different State as and when it is inducted to undertake purchase operations in a State. in Rajasthan the Corporation established its Regeonal office in October, 1965.

(b) On the basis of provis onal figures of expenditure during the Year 1966-67, the monthly expenditure incurred by the Corporation on this office (including Regional and District offices) c mes to about Rs. 1.48 lakhs.

प्रशिक्षण फार्म

4491. श्री सो० सिं० बसी :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवक किसानों को कृषि उपज बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण देने के लिए देश में प्रशिक्षण फार्म स्थापित करने के संबन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ कोई करार हुआ है।

(ख) यदि हां तो उस करार का ब्यौरा क्या है, और

(ग) ऐसे फार्म कहां स्थापित किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) : (क) जी हां। युवक किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये विशाखापपटनम में एक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण फार्म की स्थापना करने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ एक करार तय हुआ हैं।

(ख) परियोजना का उद्देश्य अण्डों, कुक्कुटों, मांस उत्पादन तथा सब्जीयों व फलों के सघन उत्पादन द्वारा आन्ध्र प्रदेश मानव आहार में सुधार करने व ग्रामीण जनता की आय का स्तर ऊंचा करना है ताकि उनका ऐसे उचित मूल्य पर विक्रय हो सके जो उत्पादन व उपभोक्ता दोनों के लिए लाभप्रद हो। विशाखापटनम नगरपालिका द्वारा दी गई 100 एकड़ भूमी के क्षेत्र में भारतीय युवा कृषक समाज द्वारा कुक्कुटपालन के लिए प्रदर्शन व प्रशिक्षण फार्म की स्थापना की जायेगी। फार्म में भाषण कक्षों, छात्रावास, कुक्कुट पालन तथा कृषि उपकरणों की व्यवस्था होगी। आगामी 3 वर्षों में लगभग 600 युवा कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। आस्ट्रेलिया की भूख से छुटकारा आन्दोलन समिति खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से उपकरणों, संभरणों, भवन और आवर्तक व्यय के रूप में 1,20,000 डालर की सहायता देगी।

(ग) करार के अन्तर्गत केवल विशाखापटनम में एक फार्म की स्थापना करने की व्यवस्था है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत के पूर्वी सैक्टर में पाकिस्तानी हवाई जहाजों द्वारा अतिक्रमण का समाचार

Shri Marandi (Rajmahal) : I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent Public Importance and request that he may make a Statement thereon :

"Reported recent intrusion of Pakistani plans in the Eastern Sector of India"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार को यह सूचना मिले हैं कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 28 और 29 जून 1967 को पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय वायु सीमा का कई बार उल्लंघन किया था। 28 जून 1967 को मध्यान्ह पूर्व लगभग 9 बज कर 45 मिनट पर ओर मध्यान्ह पश्चात 1 बज कर 20 मिनट और 1 बजकर 36 मिनट पर दो जेट विमानों ने,

जिनके बारे में यह संदेह है कि वे पाकिस्तानी थे, पाट ग्राम (पूर्वी पाकिस्तान) की दिशा से भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया पश्चिम बंगाल में फुलकाडावरी और खरखरिया क्षेत्रों में उड़ान करने के बाद विमान दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए पाकिस्तान वापस लौट गये। विमान 1000 फीट से लेकर 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और भारतीय क्षेत्र में 2 मील तक घुस आये। 29 जून 1967 के मध्यान्ह पश्चाम लग-भग 4 बज कर 42 मिनट पर तीन जेट विमानों ने, जिनके बारे में यह संदेह है कि वे पाकिस्तानी थे, पाटग्राम (पूर्वी पाकिस्तान) की दिशा से भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया। पश्चिम बंगाल में भेखलिनगन्ज क्षेत्र के उपर उड़ते हुए विमान दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए पाकिस्तान वापस लौट गये। विमान 1000 फीट से 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और भारतीय राज्य क्षेत्र में 2 मील तक घुस आये। भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन की इन घटनाओं के विरुद्ध हाल में पाकिस्तान सरकार को एक विरोध पत्र भेजा जायेगा।

30 जून 1967 को पश्चिम बंगाल में अथवा आसाम के गारो पहाड़ी जिले में भारतीय वायु सीमा के कथित उल्लंघन का कोई पुष्ट समाचार प्राप्त नहीं हुआ है।

Shri Marandi : May I know whether the intrusion by Pakistani aircraft is not in contravention of the Tashkent agreement if so, whether Government still thinks it proper to honour the Tashkent agreement when the other party has been constantly violating it ?

श्री स्वर्ण सिंह : उल्लंघन तो उल्लंघन ही है और वे अवैध है। इस लिये हम, जहां सम्भव होता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं और यदि विमान पाकिस्तानी राज्यक्षेत्र में लौट जाते हैं, तो विरोध पत्र भेजे जाते हैं। यह सही है कि ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद हमें यह आशा थी कि ये अवैध गतिविधियां बन्द हो जायेंगी। परन्तु ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद भी वायु सीमा के उल्लंघन की कुछ घटनायें हुई हैं।

श्री पे० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और यह देखेगी कि क्या इसका चीन की उस युद्ध चाल से कोई सम्बन्ध है जो वह पाकिस्तान के साथ मिल कर चल रहा है ? क्या उसका हमारे राज्यक्षेत्र के उल्लंघन की इन घटनाओं से कोई सम्बन्ध है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि पाटग्राम पाकिस्तानी राज्यक्षेत्र है जिसका कुछ हिस्सा भारतीय राज्यक्षेत्र में पड़ता है और भारतीय राज्यक्षेत्र का वह हिस्सा, जिसमें वायु सीमा का उल्लंघन किया गया है, पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में पड़ता है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि उल्लंघन की ये घटनायें किसी बड़ी युद्ध चाल का अंग थी। मेरे लिये यह बताना कठिन है कि वे भारतीय राज्यक्षेत्र में दो मील तक घुस आये थे।

श्री स० मो० बनर्जी : वक्तव्य से यह पता चलता है कि विमानों ने निश्चय ही 20 मील तक अवैध प्रवेश किया था। क्या यह सच है कि 28 ता० को पाकिस्तानी जेट विमानों ने वायु सीमा का उल्लंघन किया था और अगले दिन 29 ता० को फिर उल्लंघन किया गया। क्या 28 और 29 ता० को हुई उल्लंघन की इन घटनाओं को उनके ध्यान में लाया गया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो वक्तव्य मैंने दिये हैं वे 28 और 29 ता० को हुए उल्लंघनों के बारे में है ।

श्री स्वैल : क्या मैं जान सकता हूं कि उल्लंघन की घटनाओं की पुष्ट जानकारी प्राप्त करने में इस सरकार को इतना समय क्यों लगा ? क्या इस प्रकार के समाचारों की सत्यता की जांच करने के लिये उस क्षेत्र में रडार की व्यवस्था है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले में इन विमानों का उसी दिन पता लग गया था । वे केवल 1000 से 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे । मेरे यह कहने मतलब कि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है यह है कि हमें यह पता नहीं चल सका है कि जिस दिन के बारे में यह कहा जाता है कि यह उड़ान या उल्लंघन हुआ, उस दिन ऐसा हुआ या नहीं । ऐसी घटनाओं का पता लगाने में अधिक समय नहीं लगता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के वार्षिक लेखे

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : श्रीमान् मैं डा० वी०-के० आर० वी० राव की ओर से कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के 1965-66 के वार्षिक लेखों की एक प्रति, उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 879/67]**

त्रिपुरा खाद्यान्न वहन नियन्त्रण (संख्या 2) संशोधन आदेश, 1967

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत त्रिपुरा खाद्यान्न वहन नियंत्रण (संख्या 2) संशोधन आदेश, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 21 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 959 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 880/67]**

अनुदानों की मांगे, 1967-68

DEMANDS FOR GRANTS 1967-68.

गृह-कार्य मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में गृह-कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा होगी और मतदान होगा ।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, गृह-कार्य मन्त्रालय का काम वस्तुतः बहुत कठिन है क्योंकि हमारे समाज का ढांचा बहुत विचित्र है तथा भाषा का और अन्य समस्यायें बहुत है ।

{ **श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए** }
{ **Shri Bal Raj Madhok** *in the Chair.* }

हमारे देश में घेराव की एक नयी समस्या पैदा हो गई है । मेरा तो यह विचार है कि यदि इस घेराव आंदोलन की जड़ में जाने की कोशिश की जाय, तो आपको पता लगेगा कि इस आंदोलन में चीनी हथकंडों की बू आती है और वस्तुतः यह छापामार युद्ध का एक शांतिपूर्ण ढंग है । इसके साथ ही बाहरी खतरे का प्रश्न भी बना हुआ है ।

इस प्रकार गृह मन्त्रालय को एक कठिन कार्य करना है । यदि श्री राममूर्ति के कथनानुसार घेराव की समस्या एक मामूली समस्या है, तो उसको हल करने के लिये मन्त्रीमण्डल के पांच मन्त्री वहां क्यों गये । इसलिए मैं उसको साधारण समस्या नहीं समझता हूँ ।

गृह मन्त्रालय को एक ओर तो कानून तथा व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा की ओर ध्यान देना है और दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वाधीनता पर भी निगरानी रखनी है । अतः उसे दो परस्पर विरोधी बातों का ख्याल रखना पड़ता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए गृह-कार्य मन्त्रालय ने अच्छा काम किया है । सरकार को नीचा दिखाने के लिये किसी एक आध मामले का उदाहरण देने का कोई लाभ नहीं है । यह बात, कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए और भाषण की स्वतन्त्रता है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गृह-कार्य मन्त्रालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है ।

मैं गृह-मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं, तो इस बात की क्या गारन्टी है कि यदि कोई अन्य दल सत्तारूढ हो गया तो वह हमारी स्वतन्त्रता को दबाने की कोशिश नहीं करेगा और इस प्रकार स्वयं लोकतन्त्र को खतरे में डाल देगा । अतः इन समस्त शक्तियों को अपने हाथ में लेना वैसे तो ठीक है परन्तु भविष्य की दृष्टि से यह ठीक नहीं है ।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

गृह मन्त्री जी को शक्तियां प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु चिन्ता इन शक्तियों के प्रयोग के बारे में है । निवारक निरोध अधिनियम और भारत प्रतिरक्षा नियम असैनिक मामलों में 'हाईड्रोजन' बमों के समान हैं । गृह मन्त्री जी को इस बात पर विचार करना चाहिये कि सरकार भारत प्रतिरक्षा नियमों और निवारक निरोध अधिनियम आदि के रूप में प्राप्त कुछ असाधारण शक्तियों का त्याग किया जा सकता है या नहीं । समस्याओं के लिये केवल शक्ति पर निर्भर करना बुद्धिमानी की बात नहीं है ।

चीन और पाकिस्तान के खतरे की बात की जाती है । जहां तक इनके आक्रमण का प्रश्न है, यह काम सेना कर सकती है । घुसपैठ का मुकाबला पुलिस और खुफिया विभाग द्वारा किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण मध्यान्ह भोजन के बाद जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past fourteen of the clock.

श्री बाकर अली मिर्जा : मैं कहना चाहूंगा कि खुफिया विभाग न तो काश्मीर में पाकिस्तानियों की घुसपैठ को रोक सका है और न ही चुनावों में विदेशी धन के प्रयोग अथवा सी० आई० ए० की गतिविधियों का पता लगा सका है। इस विभाग को और अधिक व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

एक अन्य प्रकार की घुसपैठ और भी है जो साम्प्रदायिकता और साम्यवाद के रूप में हमारे देश में बदलती जा रही है। इसका मुकाबला राष्ट्रीय भावना पैदा करके, भूमि सुधार करके तथा गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटकर तथा समाज कल्याण के अन्य उपायों द्वारा किया जा सकता है। बल प्रयोग के लिये शक्तियां प्राप्त करके विभिन्न समस्यायें हल करने की बजाय उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से हल किया जाना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में ध्यान दें।

आपको यह मानकर चलना होगा कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं और सीमा के इस ओर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, समय पड़ने पर एक होकर मुकाबला करेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सीमायें न केवल मुल्लाओं के लिये अपितु पंडितों के लिये भी बन्द की जानी चाहिये। हमें इस देश के प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिये। हमारे जन संघ के माननीय सदस्य कहेंगे कि यह तो खतरे की बात है। हम देश को सुरक्षा के खतरे में नहीं डाल सकते। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है।

भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हो सकी है। हमें देश में प्रांतीयता अथवा संकीर्णता की भावना को पनपने नहीं देना चाहिये।

इसी प्रकार से चीनी साम्यवाद का प्रश्न है। हमें इस चीज का मुकाबला दूसरी भावना से अर्थात लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की भावना से करना है। परन्तु यह दृष्टिकोण सुदृढ़ और प्रेरणादायक होना चाहिये। हम अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को कम नहीं कर पाये हैं। बल्कि दूसरी ओर, यह अन्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं। हमें अपने सिद्धान्तों में कुछ विश्वास होना चाहिये।

केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों का भी प्रश्न है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन क्यों किया जाय। जब तक हम समूचे देश को लेकर नहीं चलेंगे, जब तक हम केन्द्र को मजबूत नहीं बनायेंगे, तब तक हम विश्व की शक्तियों का मुकाला नहीं कर सकते।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। मन्त्रालय के अन्तर्गत स्थापित अध्ययन दलों और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को आंशिक रूप से तथा बहुत ही निराशाजनक ढंग से क्रियान्वित किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 6 महीने का समय लिया है। आठ महीने हो चुके हैं परन्तु राज्यों ने रिपोर्ट के बारे में अभी तक अपनी राय नहीं दी है। मन्त्रालय को लोकपाल और लोक आयुक्त के पद पर स्थापित करने के लिये शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

अन्त में मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहूंगा। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह बढ़ता ही जा रहा है। यह भ्रष्टाचार, चाहे किसी भी स्तर पर हो, समाप्त किया जाना चाहिये। संसद् सदस्यों तथा सभी विधायकों को इस बात की संतुष्टि होनी चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है।

श्री कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि लगभग सभी राज्यों में और जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गये थे, उस समय इतना भ्रष्टाचार नहीं था। यह कांग्रेस के शासन के दौरान पैदा हुआ है। कई मंत्री और मुख्य मन्त्री इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं लेकिन उन पर मुकदमा चलाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा सरकार पर यह आरोप है कि उसने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिये प्रर्याप्त कार्यवाही नहीं की।

गृह–कार्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि आपातकाल को समाप्त कर दिया जायेगा। परन्तु कुछ दिन के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया। अब वह यह कहते हैं कि वह ऐसा नहीं करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार बिना इस प्रकार के उपायों अथवा निवारक निरोध अधिनियम के देश का प्रशासन नहीं चला सकती।

चौदह वर्ष की लम्बी अवधि तक शेख अब्दुल्ला के निरोध का कोई आधार नहीं है। यह एक लोकतन्त्रात्मक राज्य है जिसमें न्याय का ऊंचा स्थान है। यदि वस्तुतः उसके विरूद्ध कोई गम्भीर आरोप है, तो उसे दण्ड दिया जाय। संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिये है। शेख अब्दुल्ला इस मामले में अपवाद नहीं है। ये मूलभूत अधिकार उनके लिये भी वैसे ही हैं जैसे अन्य व्यक्तियों के लिये। मेरा गृह मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस कार्य की ओर ध्यान दें और उनको रिहा करें। यदि कोई समस्या है तो वह समस्या शेख अब्दुल्ला की रिहाई से ही हल हो सकती है। प्रधान मन्त्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया जाय जिसमें शेख अब्दुल्ला तथा काश्मीर के प्रमुख राजनैतिक दलों को इस पर विचार करने के लिए बुलाया जाय।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री श्री शुक्ल ने तीन-चार दिन पहले एक वक्तव्य दिया था कि समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि सभी राज्यों में मद्यनिषेध लागू किया जाये। परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक राज्य अपनी निजी नीति अपना रहा है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि सभी राज्य निर्धन तथा श्रमिक वर्ग की भलाई के लिये मद्यनिषेध लागू करने के पक्ष में हैं। परन्तु उन्हें इसे लागू करने से होने वाली हानि के लिये मुआवजा दिया जाना चाहिये। मन्त्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार 50 प्रतिशत मुआवजा देने के बारे में विचार कर रही है। मद्रास राज्य में डी० एम० के० सरकार ने मद्यनिषेध की नीति को नहीं छोड़ा है और वह इसका पालन कर रही है जबकि कई राज्य जहां कांग्रेस का शासन है, मद्यनिषेध को लागू रखने के पक्ष में नहीं हैं। मद्यनिषेध लागू करने से पहले मद्रास को इससे 24 करोड़ रुपये की आय होती थी परन्तु अब हम केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार मद्यनिषेध नीति पर अमल कर रहे हैं। इसलिये क्या हम केन्द्र से 12 करोड़ रुपये की मांग नहीं कर सकते हैं ? हमें 12 करोड़ रुपये दीजिये और फिर देखिये इसका परिणाम क्या होता है। शेष राज्य भी इस नीति का अनुसरण करने लगेंगे।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम के बारे में सरकार की कोई स्पष्ट विचार-धारा नहीं है। वह बार बार अपनी नीति बदलती रहती है। संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में परीक्षा लेने के नवीनतम विचार से देश की कोई भलाई नहीं होगी। इस सम्बन्ध में यथापूर्व स्थिति कायम रखी जाये अर्थात् परीक्षाएं केवल अंग्रेजी में ही होनी चाहिये।

भारत सरकार गैर-कांग्रेसी राज्यों के साथ संदेहास्पद व्यक्तियों जैसा व्यवहार कर रही है। मद्रास तथा अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी कांग्रेस शासकों ने बहुत सी फायलें जला दी थीं और कुछ केन्द्र को भेज दी गई थी। श्री भक्तवत्सलमने, जो चुनाव में हार गया था, उन सारी फाइलों को दिल्ली भेज दिया। जब जनता ने हमें गद्दी पर बिठाया है तो क्या हम उन फाइलों को देखने तथा उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के हकदार नहीं हैं ? क्या गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिये था ? केन्द्रीय सरकार के ऐसे रवैये से देश की एकता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस समय लगभग आधा दर्जन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं। यदि केन्द्र उनके साथ इसी प्रकार की नीति अपनायेगा तो उनकी संख्या 10 से अधिक हो जायेगी। उस हालत में केन्द्रीय सरकार हमारी होगी, कांग्रेस की नहीं। यदि केन्द्र हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता रहेगा तो हम उनकी परवाह ही नहीं करेंगे। आजकल केन्द्रीय सरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ करने के लिये षड़यन्त्र रच रही है। परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होगी। यदि केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को हटाने की कोशिश करेगी तो अन्य गैर-कांग्रेसी सरकारें मिलकर केन्द्र का मुकाबला करेंगी। अतः केन्द्र को अनुच्छेद 256 आदि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये और गैर-कांग्रेसी सरकारों को अपना मित्र तथा साथी समझना चाहिये।

सन् 1965 में राष्ट्रपति ने संसद् में अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप में कहा था कि श्री नेहरू के आश्वासन का बिना किसी शर्त या अन्य रोक-टोक के पालन किया जायेगा और अंग्रेजी तब तक सह-राजभाषा बनी रहेगी जब तक गैर-हिन्दी भाषा भाषी लोगों को उसकी

जरुरत हो। यह आश्वासन फिर दोहराया गया और कहा गया कि राजभाषा विधेयक में संशोधन करने के लिये शीघ्र ही एक विधेयक पेश किया जायेगा। यह विचित्र बात है कि यह विधेयक सभी राज्यों को परिचालित किया जा रहा है। केवल उन्हीं राज्यों की राय मांगी जानी चाहिये थी जिनका इससे सम्बन्ध है। जो तरीका अपनाया जा रहा है उसका उद्देश्य इस विधेयक को प्रस्तुत करने के मार्ग में रुकावट डालना है।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत की अखण्डता बनाए रखने की समस्या राष्ट्रीय एकता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस ओर पूरा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण से राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह निर्णय किया था कि भारत में कोई छोटी इकाई नहीं होनी चाहिये। वास्तव में उन्होंने छोटी इकाइयों को समाप्त करके उन्हें बड़ी इकाइयों में मिलाने की सिफारिश की थी। किन्तु अब कई वर्षों के बाद यह हो रहा है कि कई छोटी-छोटी इकाइयां बन रही हैं। इस प्रवृति को रोका जाना चाहिये। विशेषकर आसाम में कुछ खतरनाक प्रवृतियां उभर रही हैं।

गृह मंत्रालय का प्रतिवेदन केवल तथ्यों तक ही सीमित है। इसमें कम से कम सीमा समस्या के बारे में कुछ अधिक ब्यौरा दिया जाना चाहिये था। पाकिस्तान के साथ हमारी 2500 मील लम्बी सीमा है और इस बारे में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था। हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध इस भावना पर कभी आधारित नहीं हो सकते कि ये दोनों देश एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।

सीमा सुरक्षा दल पर, विशेषकर कमान्डेंटों को छांटने पर, अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। कुछ कमाण्डेंट अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। सीमा पर लगभग सारी जमीन को बिना खेती बाड़ी किये छोड़ दिया गया है। लोग सीमा क्षेत्र में जाकर खेती बाड़ी करने में असुरक्षा अनुभव करते हैं। सीमा सुरक्षा दल के जो कर्मचारी वहां तैनात किये जाते हैं उन्हें वहां लम्बे समय तक नहीं रखा जाना चाहिये जिससे वे ऐसे अवांछनीय प्रभाव में आ सकें जिसमें वे कर्तव्यच्युत हो जायें।

अभी हाल में हुए सामान्य निर्वाचनों के दौरान कुछ अधिकारियों ने चुनाव पर प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। ऐसे सरकारी हस्तक्षेप को अवश्य ही रोका जाना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों की एक विशेषता यह है कि सेवानिवृत होने के तुरन्त बाद वे सरकार के कट्टर आलोचक बन जाते हैं। क्या सरकारी नौकरी के दौरान भी वे इसी मनोवृति से कार्य करते हैं? यदि वे इसी मनोवृति से कार्य करते हैं तो सरकार तथा सरकारी कार्य की क्या दशा होगी? इस बात पर विचार किया जाना चाहिये और इसकी जांच की जानी चाहिये कि वे सेवानिवृत हो जाने के तुरन्त बाद सरकार के आलोचक क्यों बन जाते हैं।

प्रशासन पर पूरी निगरानी रखी जानी चाहिये। यह आम शिकायत है कि वह प्रशासन ढिलाई से काम करता है। भारत रक्षा नियमों के पालन के बारे में शिकायतें की गई है। कुछ मामलों में इन नियमों के अन्तर्गत लोगों के साथ ज्यादतियां की गई हैं ये ज्यादतीयां करते समय प्रशासनिक अधिकारी लोगों से कह देते हैं कि सरकार ने ही ऐसी कार्यवाही करने

का आदेश दिया है। जब मैं लोगों से मिला और उन्हें बताया कि सरकार ऐसी ज्याःतियों की अनुमति नहीं देती है तो उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को नौकरी में क्यों बनाए रखती है जो उसका कहना नहीं मानते और उसकी बदनामी करते हं। मै उन्हें इसका उत्तर नहीं दे सका। गृह कार्य मंत्री को इसका उत्तर खोजना चाहिये।

नक्सलबाड़ी की घटनाओं में हस्तक्षेप न करके पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। इन्हें रोका जाना चाहिये। वहां की राज्य सरकार ने स्वयं अपने रास्ते में समस्यायें खड़ी करली हैं और अब वह अब उन पर नियंत्रण नहीं रख सकी है। वहां की स्थिति राज्य सरकार के काबू से बाहर है।

कल मैंने श्री राममूर्ति का भाषण सुना। मैं उनके द्वारा कही बातों का उसी प्रकार उत्तर दे देना चाहता हूं जिस प्रकार त्रिपुरा के मेरे मित्र ने उन्हें दिया है। उन्होंने कह दिया है कि श्री राममूर्ति ने त्रिपुरा के बारे में सभी असत्य बातें कही है। मेरा भी यही उत्तर है कि श्री राममूर्ति ने पश्चिम बंगाल के बारे में सभी बातें असत्य कहीं हैं।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : स्वतन्त्रता के बाद सत्तारूढ़ दल ने देश का आर्थिक विकास करने और उसे अपने विचारों के अनुसार आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया हमने उन्हें तभी चेतावनी दे दी थी कि विकास का जो तरीका उन्होंने अपनाया है वह पूंजीवादी ढंग का है। उन्होंने इस्पात और इंजीनियरिंग कारखानों की स्थापना की और भारी उद्योगों का विकास करने का प्रयत्न किया। उन्होंने जमींदारी के उन्मूलन का भी प्रयास किया। फिर भी घटना क्रम इस प्रकार नहीं चल रहा है कि निम्नतम वर्ग के लोगों को फायदा हो सके। मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और कुछ ही लोगों के पास पूंजी एकत्र हो रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना लगभग असफल ही रही है। चौथी योजना के सिर-पैर का ही अभी पता नहीं है और सारा देश संकट ग्रस्त है। यह संकट सभी दिशाओं में कई रूपों में प्रकट हो रहा है। जब मजदूर अपने अधिकारों की मांग करने के लिये विरोध प्रकट करते हैं तो उनको दबाने के लिये पुलिस का प्रयोग किया जाता है। ऐसा मालूम होता है कि गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य केवल यही रह गया है।

यहां पर घेरावों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हड़तालों और झगड़ों को टालने की दृष्टि से लोगों ने घेराव का अपेक्षाकृत छोटा और साधारण ढंग अपनाया है। घेराव के अधिकांश मामलों में बल प्रयोग नहीं किया गया है और कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई। यदि कहीं पर हिंसात्मक घटना हुई है तो उस स्थान पर मैं इसे समाप्त कराने के लिये तैयार हूं और जो लोग हिंसात्मक कार्य करते हैं वे निन्दा के पात्र हैं। परन्तु उन्होंने घेरावों के विरुद्ध जेहाद शुरू कर दिया है। यदि घेरावों पर रोक लगायी जाती है तो वे आम हड़ताल का रूप धारण कर लेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की आर्थिक समस्यायें हल न किये जाने के कारण घेराव आयोजित किये जा रहे हैं। मजदूरों के लिये वह सब नहीं किया जा रहा है जिसकी संविधान में गारंटी दी गई है।

त्रिपक्षीय करार का, जिसके द्वारा 1957 में न्यूनतम निर्वाह मजूरी की गारंटी दी गई थी पूंजीपतियों ने अभी तक उल्लंघन ही किया है और गृह मत्रालय ने इस बारे में कुछ नहीं

किया है। इसके विपरीत, यदि मजदूर विरोध प्रकट करते हैं तो मंत्रालय इसे कानून और व्यवस्था का प्रश्न समझता है। औद्योगिक मजदूरों के लिये उचित मजूरी तथा सुविधाएं प्राप्त करने के लिये घेराव के अतिरिक्त अन्य कोई तरीका ही नहीं रह गया है।

देश के किसान और आर्थिक दृष्टि से दबे हुए अन्य वर्ग भी ऐसी ही स्थिति में से गुजर रहे हैं। किसान जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हैं किन्तु उन्हें दबाया जाता है। दिल्ली के पुलिस मैन हड़ताल करके अपनी माँगे व्यक्त करते हैं तो उन्हें दबाया जाता है और सशस्त्र पुलिस बुला ली जाती है। यदि शसस्त्र पुलिस भी विद्रोह कर दे तो सरकार सेना को बुलायेगी और यदि सेना से भी काम नहीं चलेगा तो क्या सरकार अमरीकियों को बुलायेगी ! इस तरह की चीज से स्थिति नहीं सुधरेगी। यदि लोकतंत्रात्मक ढंग से या बिना बल प्रयोग किये आर्थिक संकट दूर नहीं किया जायेगा, तो यहां पर जनक्रांति होना निश्चित है।

यदि यहां कांग्रेस की भी सरकार होती तो भी वह समस्या को सुलझाने में समर्थ नहीं होती। उदाहरणतः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है, वह बस्तर में अनुसूचित जाति की समस्या हल नहीं कर सकी। वहां न पाकिस्तान और ना ही नेपाल का सीमा क्षेत्र है और ना ही चीनी एजेन्ट कार्य कर रहे हैं। नक्सलबाड़ी के बारे में कुछ कहने से पहले बस्तर की ओर दृष्टिपात करना चाहिए था।

नक्सलबाड़ी ही मुख्य समस्या नहीं है। नक्सलबाड़ी में कृषि सम्बन्धी विद्रोह हो रहा है। यह केवल मेरा ही विचार नहीं है, परन्तु सभी बुद्धिमान लोगों ने भी इसे आर्थिक समस्या की संज्ञा दी है। किसानों को उनकी भूमि से हटाया जा रहा है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों में जोतदारों के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न हो रहा हैं। संघर्ष अनिवार्य प्रतित होता है। ऐसे संघर्ष में क्या सरकार जोतदारों का साथ देगी ? मुझे मालूम हुआ है कि कुछ जोतदारों को गुप्त रूप से शस्त्रों से लैस किया जा रहा है।

क्या मंत्री महोदय को विदित नहीं है कि अमरीका, इंग्लैंड तथा देश के अन्य भागों में भी कोयला खानों के कर्मचारियों को दबाने के लिये मालिक सशस्त्र दल रखते हैं ? यह इतिहास का नियम है। ऐसा बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा अन्य स्थानों पर भी हुआ है। आप इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। कानून खान मालिकों, भूपतियों और कारखानों के मालिकों की मदद करता है, परन्तु कानून कभी भी कर्मचारियों और किसानों की सहायता नहीं करता।

निजी थैलियों का क्या प्रश्न है। बड़े बड़े महाराजाओं के लाखों पौन्ड इंग्लैंड और अमरीका में जमा है। आप महाराजाओं के आगे क्यों झूक रहे हैं। संविधान में दिये गये पवित्र वचनों के अनुसार प्रत्येक नागरिक के लिये रोटी की व्यवस्था की जायेगी परन्तु इनकी पूरी तौर पर अवहेलना की जा रही है।

सरकार कर्मचारियों, विद्यार्थियों, किसानों और काश्तकारों को काम करने के बारे में जीवन यापन तथा आवास के बारे में दिये गये वचनों को भूल गई है।

आज हम पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं जहां जमींदारी का कोई स्थान नहीं है। पूंजी पति कम से कम कारखाना स्थापित कर और उसका निरीक्षण का कम से कम कुछ काम तो करना है। परन्तु महाराजाओं ने तो कुछ भी नहीं किया है। अतः मेरा गृह मंत्री को यह सुझाव है कि इस संकल्प को पारित करें यद्यपि यह जल्दी में लिया गया संकल्प है अन्यथा वह षडयन्त्र कर आपको उखाड़ फेंकेंगे। गृह मंत्री को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और घेराव और नक्सलबाड़ी के नारे लगाकर पश्चिमी बंगाल सरकार को उखाड़ फेंकने के षडयन्त्र को क्रियान्वित नहीं होने देना चाहिये। इससे समस्या हल नहीं होगी।

जहां तक पेंकिग रेडियो के प्रयोग किये जाने का सम्बन्ध है, वहां पर अनुसरण की जाने वाली नीति कोई नीति नहीं है। वहां सारी अर्थ व्यवस्था ही बिगड़ी हुई है। बोनस में और कर्मचारियों की मजदूरियों में कमी की गई है। वहां गम्भीर संकट है।

पश्चिमी बंगाल में आज सशस्त्र आन्दोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पश्चिमी बंगाल में किसानों की रक्षा और हित के लिये हैं। हमारे दल ने किसानों को जोतदारों के जुल्मों से रक्षा करने के लिये एक संकल्प पास किया है। पेंकिग रेडियो से किये जाने वाले प्रसारण से हम सहमत नहीं हैं, परन्तु हम नक्सलबाड़ी के किसानों की मांगों से अवश्य सहमत हैं। अतः हम लोकतंत्रात्मक तरीका अपनाना चाहते हैं जो कि कर्मचारियों और किसानों के हित में हो। हम कुप्रशासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।

वहां आप अनाज भेजें। आपने वहां 15,000 टन अनाज भेजने का वचन दिया था परन्तु केवल 10,000 टन अनाज भेजा है। क्या वे इसके परिणामस्वरूप नाराज नहीं होंगे।

गृहमंत्रालय पूंजीपतियों और जमींदारों के साथ है। जमीदार जमीदारी उन्मूलन के बाद बहुत उन्नति कर रहे हैं। मंत्रालय कहता है कि वह मजदूरों के पक्ष में हैं परन्तु इसका व्यवहार पूंजीपतियों के पक्ष में होता है। मैं इसके सम्बन्ध में हजारों उदाहरण दे सकता हूं।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक सरकार निश्चित रूप से कर्मचारियों और किसानों का पक्ष नहीं लेगी तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा।

Shri Hem Raj (Kangra): Mr. Deputy Speaker, Sir I am to congratulate the Home Minister to have solved the complicated problems with which the Home Ministry was faced. It is incorrect to say that the Government is working under the influence of capitalists. On the contrary the government had taken steps which go to indicate that they are checking the growth of big business. But the Communist friends have a tendency to doubt the government as everything looks yellow to a jaundiced eye.

{ **श्री मनोहरन पीठासीन हुए** }
{ **Shri Manohran *in the Chair*** }

Since I have been elected from a Union Territory I will place before the Home Mini ter the problems of a Union Territory. Being a Union Territory Himachal Pradesh bad no administrative control over the services working there. The government there has no control over the I. C. S , I. A. S. Officers. All these are under the control of

Central government. The same is the case in financial matters where consent of the Central Government has to be obtained in increasing any expenditure. In legislative matters too they cannot pass any bill without the approval of the Central Government

There is a joint cadre of officers for Himachal Pradesh and Delhi. This has adversely affected Himachal Pradesh. The candidates of Himachal Pradesh will have to compet with the candidates of Delhi in entering the services in Union Public Service Commission It becomes very difficult for them. Therefor I suggest that a separate cadre should be made for the Himachal Pradesh.

Now the area of Himachal Pradesh has been doubled and the population too is now much more. Hence they want the status of full state hood now.

When the assets of the State were divided, justice was not done to Himachal Pradesh. Even Bhakra Dam etc. were not given to Himachal Pradesh although they are in the territory of Himachal Pradesh. You may take it from any point of view and you will have to agree that Himachal Pradesh should be granted full state hood. That would solve all its problems.

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Chairman, Sir I want to oppose the demands for grants of the Ministry of Home Affairs The Ministry has failed in its primary duty of protecting the lives of the people. The reason for this is that the government even after Independence was run by the I. C. S. Officers who were torturing the Indian people during their fight for independence. Shri Girja Shanker Bajpai and Shri Chandulal Trivedi were two such civil servants who tortured the Indians. How could we expect these people to do any good work for the country.

Every citizen has a right to be a member of a political party. I want that except members of army and the police force should be permitted to take part in politics.

I want Shri Trigun sen to fulfil his promise that he would cause switching over to regional languages with in six months or else he would resign from this membership. English language is understood only by one percent of the total population of India. It is said that the Home Ministery is coming in the way of the Education Minister who wants switch over from English to Regional languages.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Recently the A. I. C. C. passed a resolution recommending abolition of privy purposes of ex-rulers of Indian States. I want to know from Shri Chavan whehter he is prepared to implement that resolution ?

Some charges of corruption have been levelled against the Manager, Shri G, D. Desai and the works Manager in the Transport Undertaking of Poona Municipal Corporatoin. I want the Home Ministery to inquire into those charges and punish the concerned officers.

Shri Dange said something about S. S. P.'s role in Naxalbari. There are two unions in that areas one is led by us and the other by communists.

Terrorism raised its ugly head there when efforts to crush the communist reactionaries were made and as a result of which our worker, Shri Jha was killed there. Murders are being committed and holligans are exploiting the situation. All these things must be condemned. It is alleged that Left Communist Unions are indulging in these activities. I would like to say to Shri Dange that it is not a proper course for any political party to resort to goondaism and terrorism to meet its political ends.

As regards situation in Naxalbari, the Santhals, under the leadership of Left Communists are indulging in subversive activities. They have resorted to goondaism and terrorism and have created a disturbing situation that cannot be allowed to continue any further. The Home Minister should not, therefore, middle in it as it is a state subject relating to Law and Order. The West Bengal Government could, however, be advised to deal with it, firmly, and adopt stringent measures as the situation demanded for bringing normally in the part of the State.

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने विवादों को हल करने के लिये, चाहे वे कितने ही अविलम्बनीय क्यों न हों, एक विशेष तरीका अपना लिया है––वह है किसी भी मामले पर स्थायी और पक्का निर्णय न लेना, उसमें विलम्ब करना अथवा अपील करना। इस नीति से आन्तरिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, चण्डीगढ़ को अनिश्चित प्रश्न के रूप में लटकाये रखने से वर्तमान स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है। केन्द्र पर वित्तीय बोझ पहले ही अधिक है और चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में वित्तीय उत्तरदायित्व भी अब उसी पर आ पड़ा है। केन्द्र को इस अतिरिक्त बोझ से तभी मुक्ति मिल सकती है जबकि वह चन्डीगढ़ को शीघ्र ही उसके विधिवत हकदार प्रशासकों को सौंप दे। चन्डीगढ़ ने देश विभाजन के बाद पंजाबियों के दिल व दिमाग तथा योजनाओं में लाहौर का स्थान ग्रहण किया है। लाहौर के पंजाब से निकल जाने पर उन्होंने अपने सचिवालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा तथा अन्य सरकारी इमारतों को खो दिया। लाहौर को खो देने पर वे अपने शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा वाणिज्यिक क्रियाकलापों के प्रत्येक पहलू से वंचित हो गये। पंजाब के लोग धर्म तथा जाति के भेदभाव को त्यागकर पंजाब तथा उसकी नई राजधानी चन्डीगढ़ को बनाने में दत्तचित होकर जुटे। चण्डीगढ़ की कुल निर्मित (बिल्प अप) सम्पत्ति का केवल 12.69 प्रतिशत भाग हरियाना मूलक लोगों के कब्जे में हैं, और शेष 87.31 प्रतिशत सम्पत्ति के स्वामी पंजाबी भाषी लोग हैं। इसलिये, इस महत्वपूर्ण दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि चण्डीगढ़ पर हरयाना का दावा पूर्णतः अनुचित हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चन्डीगढ़ प्रारम्भ में पंजाबी भाषायी क्षेत्र था और इसका निर्माण ही पंजाब के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में किया गया था।

वर्ष 1961 की जनगणना पर जातिवाद का पूर्ण प्रभाव है। किन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सीमा आयोग ने 1961 की जनगणना के आकड़ों को ध्यान में रखा, जिनसे न तो न्याय हो सकता था और न ही सचाई सामने आ सकती थी, इसके अलावा इस आयोग ने और भी कई सरासर गलतियां कीं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री नेहरू जी ने तब एक सरकारी वक्तव्य दिया था की 1961 को जनगणना के भाषाई आंकड़ें सच नही हैं और इन पर यकीन नहीं किया जा सकता और उनमें संशोधन करना जरूरी है। केन्द्रीय सरकार ने

विशेषत: प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने सीमा आयोग के सदस्यों द्वारा (बहुमत से) की गई गलती को महसूस किया है। लेकिन केन्द्रीय सरकार इस तर्कपूर्ण तथा उचित निष्कर्ष पर पहुँचने का साहस नहीं कर सकी कि चन्डीगढ़ पंजाबी भाषाई लोगों के, चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म के मानने वाले हों, स्वप्नों, आशाओं तथा अथक परिश्रम का फल है और इसलिये उसे पंजाबियों को दिया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि सरकार सभी तथ्यों और पहलुओं को दृष्टि में रखकर इस मामले पर समुचित रूप से विचार करेगी और चण्डीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया जायेगा।

श्री दि० ना० सिंह (मुजफ्फरपुर) : पिछले आम चुनावों के परिणामस्वरूप भारत के राजनैतिक मानचित्र में परिवर्तन हुआ है और कुछ राज्यों में उन राजनैतिक दलों की संयुक्त मोर्चा सरकारें बनी हैं जिनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और राजनैतिक दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं, उनमें केवल एक बात समान रूप से पाई गई है, और वह यह है कि सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा और कांग्रेस किडरा फेडरलिज्म तथा गणतन्त्र के नाम पर इस सभा में और इस सभा के बाहर भी बहुधा यह प्रश्न उठाया जाता है कि गृह-कार्य मन्त्री तथा केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। किन्तु संविधान के निर्माताओं ने देश में सभी परिस्थितियों को जिसमें फूटडालने वाली प्रवृत्तियां, अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र के आधार को नष्ट करने वाली प्रवत्तियां तथा नीतियां शामिल हैं ध्यान में रखकर केन्द्र को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की हैं जिनसे वह देश में वह वातावरण बनाये रख सके जो राष्ट्र की स्थिरता, कल्याण, एकता, सुरक्षा आदि के लिये आवश्यक हो, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में कुछ राजनैतिक दल तथा शक्तियां ऐसी हैं जिनकी हमारे लोकतान्त्रिक तरीकों में कोई आस्था नहीं है और वे संयुक्त मोर्चा सरकार का उपयोग अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण तथा राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये करना चाहते हैं, इसलिये गृह-कार्य मन्त्री को पुरा अधिकार है और उनका कर्त्तव्य भी है कि वह इस बात पर ध्यान दें कि लोकतन्त्र प्रणाली खतरे में न पड़ जाये। ऐसी परिस्थिति में जबकि पश्चिम बंगाल में अराजकता की भावना फैल रही है, गृह-कार्य मन्त्री के लिये हस्तक्षेप करना उचित ही नहीं अपितु आवश्यक भी है।

देश में सामान्य राजनीतिक वातावरण पर विचार विमर्श करते समय पथराव तथा घेराव शब्दों को जो कि इस क्षेत्र में हाल ही में प्रचलित हुए हैं, ध्यान में रखना जरूरी है। पथराव शब्द का प्रयोग विरोधी सदस्यों ने आम चुनावों के समय किया है जिसमें काफी लाभांश दिया है। चुनावों के बाद अब घेराव ने जोर पकड़ लिया है। हमारे राजनैतिक जीवन में हिंसा बढ़ रही है। मेरे बिहार राज्य में घेराव की समस्या केवल श्रम-विवादों तक ही सीमित नहीं है किन्तु वह काफी व्यापक रूप से फैल चुकी हैं। एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा कोषाध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि विद्यार्थियों ने उन्हें घेर लिया था। हाल ही में लोगों ने एक रेलगाड़ी का घिराव डाला और जबरदस्ती उन पांच या छः यात्रियों को मुक्त कर दिया जिन्हें रेलवे अधिकारियों ने बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किया हुआ था। केवल भगवान ही जानता है कि क्या होने वाला है। फिर भी यह एक गम्भीर समस्या है कि जिस ओर सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिये।

जहां तक नक्सलबाड़ी स्थिति का सम्बन्ध है, इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार के एक मन्त्री द्वारा हाल में जारी किये गये इस वक्तव्य से स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है :

If lawlessness was allowed to continue, democracy would be in peril, it seemed that people had no guarantee of their life and property."

स्थिति में सुधार करने के लिये गृह-मन्त्री को आवश्यक पत्र उठाने चाहिए और पश्चिम बंगाल सरकार को इस सम्बन्ध में सावधान करना जरूरी है।

मैं इस सभा का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं वह यह कि संयुक्त मोर्चा सरकार के निर्माता एकको (कन्स्टीयूएन्ट यूनिट्स) के कुछ नेता लोग सिविल कर्मचारियों विशेषतः अखिल भारतीय संवर्ग के अधिकारियों के विरुद्ध बेईमानी, विनाश तथा तोड़-फोड़ के आरोप लगा रहे हैं। स्थायी सिविल सेवा को राजनैतिक विवाद तथा आक्रमण का लक्ष्य बनाना देश तथा लोकतन्त्र के लिये दुर्भाग्य की बात होगी।

गृह-कार्य मन्त्री पर यह आरोप लगाया जारहा है कि वह आपात की स्थिति को समाप्त करने के अपने वायदे से मुकर रहे हैं। आज पाकिस्तानी सेनाएं हमारी सीमाओं में अनधिकृत रूप से घुस रही हैं। पाकिस्तान और चीन भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं। पेकिंग रेडियो सीमावर्ती लोगों को बलवा करने के लिये भड़का रहा है। (व्यवधान) :

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

वास्तविकता यह है कि गृह-कार्य मन्त्री अधिकांश क्षेत्रों से आपात खत्म करना चाहते हैं और इसे कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, किन्तु विरोधी दल सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसलिये वर्तमान गड़बड़ी की स्थिति तथा पाकिस्तान और चीन के रवैये को ध्यान में रखते हुए उन्हें बाध्य होकर इसे पूरे देश में जारी रखना पड़ा है क्योंकि राष्ट्र-हित सर्वोपरि है।

सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा) : हम गुप्तचर (इन्टेलीजैंस) सेवाओं पर प्रति वर्ष लाखों रुपये खर्च करते हैं किन्तु इनके कार्यों के बारे में न तो सी० बी० आई० की रिपोर्ट में कोई उल्लेख होता हैं और न ही गृह-कार्य मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में। मैंने गत वर्ष भी यह बात उठाई थी कि भिन्न-भिन्न स्तरों पर काम करने वाले विभिन्न इन्टेलीजैंस सेवाओं के बीच कोई समन्वय नहीं हैं। जबकि केन्द्रीय इन्टेलीजैंस की रिपोर्ट के आधार पर ही समूची प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है। दूसरी बात यह कि वर्ष 1964 के पुराने मामले के सम्बन्ध में इस प्रतिवेदन में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि :

"In the old case of 1964, Investigation had actually been completed but it had to remain pending further disposal on account of the circumstances beyond the control of the Central investigation Bureau and special police Establishment."

"मैं गृह-कार्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1964 का यह पुराना मामला क्या है; वे विशेष परिस्थियां क्या है और इसे अभी तक अन्तिम रूप क्यों नही दिया गया है।

सीमा क्षेत्रों के निकट बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स तथा राज्य पुलिस आदि का दुहरा अधिकार देश को संकट में फंसा देगा, कच्छ में गड़बड़ी के समय ऐसा ही हुआ था, सेना को जानकारी नहीं दी गई थी अथवा उसे वहां बुलाया नहीं गया था। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स को, यदि उसे बनाये रखने की आवश्यकता अनिवार्य है तो, प्रतिरक्षा बलों के नियन्त्रण में सौंप दिया जाये। इस फोर्स को सशस्त्र बल में काम करने दिया जाये उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाये, ताकि दूहरे अधिकार के कारण दुश्मन को अनुचित लाभ उठाने का अवसर न मिले मिजोलैंड तथा नागालैंड में आज जो उपद्रव तथा गड़बड़ियां हो रही हैं, वह हमारी इन्टेलीजैंस सेवा तथा सिक्यूरिटी फोर्स की असफलता के कारण हैं। संक्षिप्त में मैं गृह-कार्य मन्त्री से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके मन्त्रालय को सौंपा गया काम सफलतापूर्वक किया जारहा है और क्या वे उससे संतुष्ट हैं। हमने क्या किया है? यह बड़े खेद की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्षों के बाद भी हम देश की प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से वास्तविक स्वस्थ, लोकतन्त्र के विकास के लिये वह वातावरण पैदा नहीं कर सके हैं, अब स्थिति बदल गई है। कई राज्यों में संयुक्त मोर्चा सरकारें बन गई है। संविधान के अन्तर्गत राज्यों को अपने निजी अधिकार प्राप्त हैं, फेडरल संविधान के अन्तर्गत उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी जरूरी है। यदि हम राज्यों के अधिकारों का हनन करना चाहें, तो स्वभावतः तनाव और संघर्ष होगा। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना लोकतंत्र की जड़ में कुठाराघात करना है। आज, नक्सलबाड़, पश्चिमी बंगाल तथा अन्य राज्यों में जो गड़बड़िया हो रही हैं, इसका मूल कारण हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है जो ब्यूरोक्रेटिव तथा जड़वादी है और स्थिति की आवश्यकताओं को वस्तुतः पूरी नहीं करती हैं। अंग्रेजों के जमाने तक ऐसी बातें जो कि आज हो रही हैं, सुनने में नहीं आई।

वास्तव में यह बड़े दुख की बात है कि सरकार ने सभी सेक्शनों की आपात को समाप्त करने की एकमत मांग को ठुकरा दिया है; इस सम्बन्ध में सरकार के पास केवल एक ही दलील है कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति बहुत कठिन है। सीमाओं में कोई गड़बड़ी होने पर यह सभा सरकार को मदद देने के लिये तैयार है और इस सभा ने भारत रक्षा नियमों पर एकमत होकर सहमति दी है। आखिर, देश के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से सदैव के लिये वंचित नहीं रखा जा सकता।

राष्ट्र तथा लोकतंत्र को खतरा राजनैतिक दलों से नहीं है, संयुक्त मोर्चा सरकारों से नहीं है – वास्तविक खतरा उन तत्वों से है जो हिंसा में विश्वास करते हैं तोड़-फोड़ करते हैं और जिनकी आस्था तथा निष्ठा इस देश के प्रति नहीं हैं। यह तत्व आज हमारे देश में सक्रिय हैं और इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता।

मैं माननीय मंत्री को सचेत करना चाहता हूं कि कलकत्ता में चीन के प्रति रोष प्रकट करने के लिये हाल में आयोजित एक बैठक के सामने उस बैठक में गड़बड़ी करने के लिये प्रद-

शंनकारियों ने जो ये नारे लगाये हैं कि हमें चीन की तरह अथवा नक्सलबाड़ी की तरह कार्यवाही करनी चाहिये, उनसे संकेत मिलता है कि हमारे लोकतन्त्र के विरोधी तत्त्व सक्रिय हैं। अतः यदि हमने अपने प्रजातन्त्र की रक्षा करनी है तो हमें इस ब रे में मूल रूप से पुनर्विचार करना होगा कि हमारी सरकार का तन्त्र कैसा होना चाहिये, तथा हमारे कानून कैसे होने चाहिये ताकि हम ऐसे तत्त्वों से अपनी रक्षा कर सकें। आज हमारे प्रजातन्त्र को उन हिंसात्मक तत्त्वों से वास्तविक खतरा है जिनकी इस देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। वे तत्त्व हमारे देश में सक्रिय हैं। हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे उन्हें हमारे प्रजातन्त्र के विकास की नींव को तोड़ने फोड़ने का अवसर न मिलने पाये। मैं गृह-कार्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। जब तक हम इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तथा ऐसे तत्त्वों के विरूद्ध जनमत तैयार नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे तत्वों को दबाने में सफल नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कुछ व्यक्तियों को नजर बन्द रखने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः हमें सरकारी तन्त्र के माध्यम से उन तत्त्वों के विरुद्ध जनमत तैयार करना चाहिये ताकि वे तत्त्व जो देश की प्रगति में रोड़ा अटकाना चाहते हैं पनपने न पाये।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, इस सभा का प्रत्येक सदस्य तथा सब राजनैतिक दल इस बात से सहमत है कि भ्रष्टाचार चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र में हो अथवा राजनैतिक क्षेत्र में उसका उन्मूलन किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में हम विचार करते रहे हैं और हमने कुछ समितियां नियुक्त की हैं। सन्थानम् समिति नियुक्त की गई थी जिसने कुछ सिफारिशें की है। हमने बहुत सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। हमें बताया गया है कि सरकार ने 108 अथव 111 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, परन्तु उनके अत्यावश्यक भाग को स्वीकार नहीं किया गया है इसका नतीजा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब हमें आयंगर समिति की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है जिसमें बताया गया है कि लाखों रुपयों की धोखाधड़ी की गई है। भ्रष्टाचार के बारे में जब संसद में शिकायतें की जाती हैं, तो प्रध न मंत्री उन्हें यह कह कर खत्म कर देती हैं कि इनके बारे में प्रथमतः कोई मामला नहीं बनता है। अन्ततः प्रधानमंत्री अपने दल की नेता होने के कारण वह अपने दल के सदस्यों को बचाने का प्रयत्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप देश को हानि उठानी पड़ती है। हमें प्रशासन सुधार आयोग का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है। उस प्रतिवेदन में लोकपाल और लोक आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की गई हैं और सरकार ने कहा है कि इस सिफारिश को स्वीकार किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ सरकार लोकपाल और लोक आयुक्तों की नियुक्ति कब करेगी। लोकपाल और लोक आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिये तथा ऐसे सब मामले लोकपाल और लोकआयुक्तों को सौंपे जाने चाहिये।

यह एक अच्छी बात है कि प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग प्रशासन के प्रत्येक पहलू पर विचार कर रहा है, परन्तु यह एक विचित्र बात है कि वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा रेलवे मंत्रालय को इस आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन तीन मंत्रालयों के कार्य संचालन में सुधार करना नहीं चाहती? प्रशासन सुधार आयोग को इन मंत्रालयों के प्रशासन के कार्यसंचालन के काम की जांच का कार्य भी सौंपा जाना चाहिये, ताकि संसद को यह पता लग सके कि इन मंत्रालयों में क्या क्या खामिया है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।

अन्त में मैं राजाओं की निजी थैलियों तथा उनके विशेषाधिकारों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मैं इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प का स्वागत करता हूं। परन्तु अब देखना यह है कि जिन लोगों ने वह संकल्प पारित किया है वे सरकार के तन्त्र के माध्यम से इसे क्रियान्वित करा पाते हैं अथवा नहीं। जब यह मामला पिछली बार संविधान सभा में उठाया गया था तो हमारे दल-प्रजा समाजवादी दल, जिसे उस समय समाजवादी दल कहा जाता था के सदस्यों ने कहा था कि हमारे समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिये जो विशेषाधिकार प्राप्त हो और यदि आप उन्हें दिये गये कुछ आश्वासनों तथा उनके साथ हुए कुछ समझौतों के कारण निजी थैलियां देना चाहते हैं तो इसे लाभ का पद घोषित कीजिये और उन्हें संसद तथा विधान सभाओं के चुनाव लड़ने से वंचित रखा। जब 100 रुपये मासिक प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी के पद को लाभ का पद घोषित किया गया है और उसे चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया है, तो उन्हें यह विशेषाधिकार दिये जाने के क्या कारण हैं। अब समय आ गया है और इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। यदि भूतपूर्व राजेमहाराजे राजनीति में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें निजी थैलियां छोड़ देनी चाहिये।

श्रीमती जोसफा चन्दा (कवार) : अध्यक्ष महोदय, गृह कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए, मैं सरकार तथा सभा का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूँ। आसाम राज्य में यातायात का बहुत अभाव है और हमें सबसे बड़ा खतरा यह बना रहता है कि कहीं यातायात न होने के कारण शेष भारत से हमारे सम्बन्ध न टूट जायें। नागा पहाड़ियों, मिजो पहाड़ियों की वर्तमान स्थिति एवं आसाम राज्य की वर्तमान स्थिति जो कि पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र की अशांति के कारण दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है, के कारण हम सब को जो आसाम के सीमावर्ती राज्य में रहते हैं निरंतर चिन्ता बनी रहती है। हमें हमेशा विधि तथा व्यवस्था के भंग होने एवं सशस्त्र विद्रोह होने के खतरे का सामना करना पड़ता है। परन्तु यह तो स्थिति है इसके कई कारण हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिये।

इस स्थिति का मूल्यांकन करते समय इस बात को दृष्टि में रखना चाहिये कि इस क्षेत्र की अपेक्षा की गई हैं और यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक ओर तो हम सड़कें तथा पुल बनाने और कालदान जैसी मृत नदी का उपयोग करने एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं तथा दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से से भावनात्मक एकता आरम्भ करने में हम असफल रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त के 20 वर्ष बाद भी हम कोई ऐसी सड़क नहीं बना सकें हैं जो कि इस जिले के महत्वपूर्ण स्थानों से होती हुई गुजरे और जिस पर हर मौसम में यातायात होता रहे। सीमावर्ती सड़कों के मामले पर हमने गम्भीरता से विचार नहीं किया है। यह खेद की बात है कि परिवहन और संचार व्यवस्था का बहुत अभाव है और इसी कारण से हमारे विप्लव-विरोधी कार्यों की गति मंद पड़ गई हैं। मिजो पहाड़ियों के जिले के दो तिहाई भाग में अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं विमान द्वारा पहुँचानी पड़ती है और फिर भी सप्लाई आवश्यकता से बहुत कम है और बफादार जनता की कठिनाईयां बढ़ गई हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूं कि उस समय चकमा लोग बहुत दुःखी है और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। वहां भूख के कारण मौतें होने के

समाचार भी मिले हैं। सरकार को उनकी हर संभव मदद करनी चाहिये ताकि इस वर्ष वे अपनी भूमि में अनाज पैदा कर सकें।

"सुरक्षा कार्यवाही" के अन्तर्गत गांव को इस वर्गीकरण करते समय कुछ गांव को इस वर्गीकरण के अन्तर्गत ले लिया गया है तथा कुछ को छोड़ दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि जो गांव वर्गीकरण की कार्यवाही से बाहर रखे गये हैं, वे गांव विद्रोहियों के आक्रमण से बुरी तरह पीड़ित हैं। इन आक्रमणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये यह आवश्यक हैं कि जो गांव "सुरक्षा क्षेत्र" के अन्तर्गत नहीं लिये गये है, उन्हें तुरन्त इसके अन्तर्गत लिया जाये।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिये कुछ हालतों में सैनिक अधिकारियों को सविवेक से काम करना पड़ता है। मैं अपने सैनिक अधिकारियों तथा जवानों की शूरवीरता तथा बलिदान की प्रसंशा करती हूँ तथापि मैं कहना चाहती हूं कि सशस्त्र विद्रोह को दबाने में अत्याधिक सावधानी बरती जानी चाहिये। हम यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई अविवेकपूर्ण कार्यवाही न होने पाये, सुरक्षादल की असैनिक अधिकारियों के वास्तविक नियंत्रण में रखा जाना चाहिये। हमें गुमराह हुए मिजो नवयुवकों को ठीक मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिये तथा स्थानीय विद्रोहियों को बैरभाव रखने वाले विदेशी राष्ट्रों से सांठ-गांठ करने से रोकना चाहिये। सरकार को सीमा को निरंतर निगरानी रखने के लिये पर्याप्त सुरक्षा दलों की तैनाती करनी चाहिये। शीघ्र शांति सुनिश्चित करने के लिये हमें बफादार नेताओं को हर संभव सहायता देकर स्वायत्तशासी मिजो परिषद् और बवीलखेड़ प्रादेशिक परिषद् को मजबूत बनाना चाहिये। दीमयाविरी–चवनाता–मरकरा क्षेत्रों के चकमा लोगों को अविलम्ब स्थानीय शक्ति का स्वायत्तशासी तन्त्र दिया जाना चाहिये।

कछार, उत्तरी कछार पहाड़ियों का जिला, मिजो पहाड़ी जिला, त्रिपुरा और मनीपुर राज्य के एक भाग के लोग भारत सरकार से यह आशा करते हैं कि उन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं की ओर तथा परिवहन और संचार की आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिये भारत सरकार विशेष कार्यवाही करेगी। परन्तु भारत सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। कछार जिले की सीमा–सुरक्षा स्थिति ऐसी है कि पिछली मानसून के दौरान कुछ पाकिस्तानियों ने, जिन्हें पाकिस्तान सीमा पुलिस का समर्थन प्राप्त था, काटीगोड़ा थाने के अन्तर्गत आने वाले गुमरा गांव में एक बड़ा डाका डाला और हत्यायें की। सीमा पर गांव की रक्षा करने के लिये कोई सुरक्षा पुलिस दल तैनात नहीं किया गया है। वर्षा ऋतु के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण सीमांकन रेखा बह जाती है और उन क्षेत्रों की रक्षा करने के लिये नदी सुरक्षा दल की नियुक्ति नहीं की गई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये, जो वर्षा के कारण पानी से प्रभावित होते हैं, नदी सुरक्षा दल तैनात किया जाना चाहिये।

शिक्षित व्यक्तियों एवं चाय बागान के फालतू श्रमिकों के बेरोजगार होने के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था बड़ीदयनीय स्थिति में है। कछार जिला पहाड़ियों तथा दुशमनी रखने वाले पाकिस्तान से घिरा हुआ है। इसकी अर्थ व्यवस्था लड़खड़ा रही है तथा परिवहन और संचार व्यवस्था का बड़ा अभाव है। सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

आसाम राज्य के पुनर्गठन की बातचीत चल रही है। कछार जिले के लोग राज्य का विभाजन नहीं चाहते हैं परन्तु हम महसूस करते है कि अपनी महत्वकांक्षाओं का विकास करने के लिये जनता के हर वर्ग को उचित सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। इसलिये कछार जिले के लोगों की मांग है कि कछार जिले को एक ऐसी स्वतन्त्र संघटक इकाई बनाया जाना चाहिये, जिसका समान स्तर और अधिकार हो, परन्तु जो किसी दूसरी संघटक इकाई के अधीन न हो। किसी भी स्थिति में कछार के लोग भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी जिले के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकांड) : गृह-कार्य मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसके उचित कार्य संचालन पर ही हमारे देश की आन्तरिक शांति और विदेशी शक्तियों एवं अन्य किसी स्रोत्र से किये जाने वाले अतिक्रमण का मुकाबल करने की हमारी क्षमता निर्भर है।

राज भाषा का प्रश्न एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके साथ प्रत्येक भारतीय के हित सम्बद्ध हैं। देश की एकता को ध्यान में रखते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी को यदि राज भाषा के रूप में जारी नहीं रखा जाता तो काफी समय के लिये इसे सहायक राज भाषा के रूप में जरूर जारी रखा जाना चाहिये। मैं जानता हूँ कि बहुत से माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगें, परन्तु मैं समझता हूँ कि भावात्मक एकता का ध्यान रखते हुए ऐसा करना ही उचित एवं तर्कसंगत है। यदि हिन्दी को राजभाषा बनाया जाता है तो यह अनिवार्य है कि थोड़े ही समय में देश के शासन कार्य में हिन्दी भाषा-भाषी लोग अन्य भाषा–भाषी लोगों से अधिक महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर लेंगे, जिसे अन्य भाषी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

हर समझदार व्यक्ति इस बात को समझता है कि वह व्यक्ति हिन्दी में इतना दक्ष नहीं हो सकता जिसकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं हैं, जितना दक्ष वह हो सकता है जिस की मातृ-भाषा हिन्दी है। अतः यह स्वभाविक है कि यदि हिन्दी को देश की राज भाषा बनाया जाता है तो हिन्दी-भाषा भाषी लोगों को न केवल सरकारी सेवा में बल्कि समाज में भी अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों से अधिक महत्व प्राप्त हो जायेगा। इससे लोगों में बैर भाव बढ़ेगा और देश की एकता जिसकी हमें हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिये खतरे में पड़ जायेगी। अतः एकता के हित में अंग्रेजी को राज भाषा बनाये रखा जाना चाहिये। ऐसा करने से सब को समान अवसर प्राप्त होगा। यदि ऐसा करना संभव नहीं हैं तो बहुत लम्बे समय तक अंग्रेजी को सहायक राज भाषा के रूप में रखा जाना चाहिये।

भाषा के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना अनिवार्य समझता हूं कि पिछले 20 वर्षों में उर्दू के साथ बहुत अन्याय किया गया है। यह एक ऐसी भाषा है जो इसी देश में पैदा हुई हैं तथा समृद्ध हुई हैं। यह एक बहुत सुन्दर भाषा है तथा करोड़ों लोग इसे बोलते हैं। इसका साहित्य इतना समृद्ध है कि इस में न केवल भारत की किसी भाषा विकसित भाषा परन्तु संसार को किसी भी विकसित भाषा की बराबरी करने की क्षमता है। इस भाषा के प्रति बहुत अन्याय हो चुका है। अतः अब इसे अविलम्ब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य

प्रदेश और आन्ध्र की प्रादेशिक भाषा घोषित किया जाना चाहिये। उर्दू भाषा-भाषी लोगों ने बहुत लम्बे समय तक अन्याय सहा है, अब इस बारे में न्याय किया जाना चाहिये।

आपात की स्थिति तथा भारत प्रतिरक्षा नियमों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें जारी रखने का कोई कानूनी या नैतिक औचित्य नहीं है। वर्ष 1962 में एक विशेष स्थिति पैदा होने के कारण लागू किया गया था, परन्तु अब सरकार इन्हें जारी रखना चाहती है और इनके द्वारा प्राप्त शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहती है। आपात की स्थिति के जारी रखने से यह सिद्ध होता है कि सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों का आदर नहीं करती है। निवारक निरोध अधिनियम सहित अन्य सामान्य अधिनियमों के अन्तर्गत संकट पूर्ण स्थिति का सामना करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, और आपात को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। आपात को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये। आपात की स्थिति के कारण भारतीय प्रतिरक्षा नियमों का सहारा लेकर देश में अनेक शान्ति प्रिय एवं वफादार नागरिकों को सताया जा रहा है। वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान देश के एक कोने से दूसर कोने तक हजारों मुसलमानों के निराधार एवं झूंठे सदेह पर जेल भेज दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की नौकरियां छूट गई एवं उन के व्यापार खत्म हो गये और वे अब तक कष्ट में हैं। इन सब बातों की जिम्मेदारी सरकार पर है। यदि सरकार यह दावा करती है कि भारत रक्षा अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया गया है तो उसे भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारियों के मामलों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये, ताकि लोगों का सरकार के इस दावे के प्रतिकि भारत रक्षा अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया गया है विश्वास हो सके।

भारत सरकार द्वारा भारत प्रतिरक्षा नियमों के दुरुपयोग किये जाने का सब से जलवन्त उदाहरण है—शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी। शेख अब्दुल्ला जम्मू तथा काश्मीर के लोक प्रिय नेता है। भारत सरकार ने उन्हें बिना किसी औचित्य के गत 14 वर्षों से जेल में बन्द कर रखा है। बिना मुकदमा चलाये शेख अब्दुल्ला का बन्दी बनाये रखना न्यायोचित नहीं है। यदि उनको रिहा नहीं किया गया तो विदेशों में भारत का स्वरुप बिगड़ जायेगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 125 संसद सदस्यों की इस अपील पर जिसमें सरकार से कहा गया है कि प्रजातन्त्र एव नागरिक स्वतन्त्र का तकाजा है कि या तो शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाये अथवा उन पर अविलम्ब मुकदमा चलाया जाये, तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

गृह कार्य मन्त्रालय के प्रतिवेदन में इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है कि जब कि वर्ष 1965 में साम्प्रदायिक दंगों की 173 घटनायें हुई थी, वर्ष 1966 में साम्प्रदायिक दंगों की केवल 133 घटनायें हुई है। यह एक बहुत गम्भीर बात है और बारे में सरकार को सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये। यदि हम हिसाब लगाये तो 133 घटनाओं का अर्थ यह हुआ कि हर तीसरे रोज एक घटना हो जाती है। अतः स्थिति अभी गम्भीर है। इन दंगों को रोका जाना चाहिये। यह दुःख की बात है कि इन साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच नहीं की जाती है। यह अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ भेद-भाव का स्पष्ट उदाहरण है। इन साम्प्रदायिक दंगों के सभी मामलों की न्यायिक जांच करवाई जानी चाहिये।

Shri Shivkre (Panjim) : Mr. Speaker, many questions have been raised about Kerala and West Bengal in this House, but very little attention is given to the problems of Goa, Daman and Diu. In fact nothing has been discussed about them in this House. A few weeks ago the hon. Home Minister gave a statement in this House, In which he had stata that so far as Centre was concerned the question of Goa, Daman and Diu had been solved, but I want to point out that this question could not be solved as long as about 85 thousand students continue to get education through Maharathi medium of instructions and as long as Goa, Daman and Diu continue to be a Union territory. A question is often asked as to how the miracle happened at the time of opinion poll. So I demand that a comprehensive Report regarding the opinion poll held in Goa, Daman and Diu be placed before Parliament, so that people may know what had happened there.

Goa, Daman and Diu are at present a Union territory under a single administration. I think there is no justification in having them as single Union territory because they are situated at a long distances from one another. I want to inform the hon. Member that Goa is 500 miles away from Diu and Daman is 700 miles away from Goa. So there is no logic in keeping them as one Union Territory. At the time of opinion poll the people of Goa had only two options before them. They had to vote either for their merger with Maharashtra or to vote from a separate Union territory. I think at the time of opinion poll in Goa the people of Goa should have been given the option to vote for a statehood.

The next point I would like to raise is that classification of scheduled castes and scheduled tribes has been completed throughout the country, but the same has not been done in Goa, Daman and Diu. The result is that whereas certain facilities have been given to the people of scheduled castes and scheduled tribes where classification has been done, the people of Goa, Daman and Diu are being deprived of these facilities, as classification has not been done there.

Lastly I would like to point out that the area of Dadra and Nagar Haveli consists of nearly 72 villages. Out of these 72 Villages 40 villages are Marhathi speaking and 30 are Gujrati speaking. I urge upon the Government that their disputes should be solved without any loss of time, becuse if this problem is allowed to linger on it would become a serious one and the interested elements and interested parties would try to change the Maharathi speaking villages into Gujrati speaking village. No doubt during the elections this time our party-the Gomantak Maharastharvadi Party has suffered losses like Congress, but I am sure our party would be successful in elections in the next elections

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair* }

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : चौथे आम चुनाव के बाद 7 अथवा 8 राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी है । इन गैर-कांग्रेसी सरकारों के बनने पर प्रधान मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा केन्द्रीय नेताओं ने इस बात की सरहाना की थी कि गैर-कांग्रेसी सरकारों के बनने से लोगों को अपनी महत्वकाक्षाओं की पूर्ति करने का एक वैकल्पिक अवसर मिलेगा । स्वतन्त्र पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने गत 20 वर्ष के कार्यकाल में इतनी बार गोलियां चलवाई है तथा लाठी चार्ज करवाया है, जितनी बार अंग्रेजों ने अपने 200 वर्ष के शासन में ऐसा नहीं करवाया । गैर-कांग्रेसी सरकारों के बनने से आज दिन मैं समाचार पत्र पढ़ता रहा हूँ तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों और उनमें उल्लिखित

आंकड़ों के आधार पर कहता हूं कि गोलियां चलवाने तथा लाठी चार्ज करवाने के मामले में गैर-कांग्रेसी सरकार के कारनामें भी बेहतर नही हैं। पिछले दो या तीन महीनों में गैर-कांग्रेसी राज्यों में गोली-बारी की, अनेक घटनायें हुई हैं।

गैर-कांग्रेसी सरकारों के मामले में केन्द्रीय हस्तक्षेप की कल्पना से कुछ माननीय सदस्य परेशान हैं। परन्तु सचाई यह है किसी भी हालत में केन्द्रीय-सरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। वास्तव गैर-कांग्रेसी सरकारें चाहती है कि केन्द्र हस्तक्षेप करें, क्योंकि वे लोगों की समस्या हल नहीं कर सकी है और वे चाहती हैं कि उन्हें कोई बहाना मिले। गृह-कार्य मन्त्री को उन्हें अनुगृहीत नहीं करना चाहिये।

जनसंघ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थायी व्यवस्था बनाने के लिये मंत्रालय के अन्दर और बाहर राष्ट्रीय तत्वों के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। प्रजा समाजवादी दल के अध्यक्ष श्री गोरे ने कहा है कि यदि उन्हें अपनी नीति का अनुसरण करने की अनुमति दी गई तो हिमालय प्रदेश में नक्सलबाड़ी जैसे कई मामले पैदा हो जायेंगे। इन आरोपों तथा विभिन्न राजनैतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के बावजूद यदि गृह मंत्री ने संयम से काम लिया है तो वह बधाई के पात्र हैं। केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि श्री अजय मुकर्जी जैसे व्यक्ति को पश्चिम बंगाल में स्थिति सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री डांगे ने चीन में अति वामपंथियों की, जो माओवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णरूप से निन्दा की है। परन्तु पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की। मेरे विचार में चीन तथा भारत में अति वामपंथियों का लक्ष्य एक ही है और वह लक्ष्य हमारे देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिक्रियावादी शक्तियों को शक्तिशाली बनाना है।

श्री राममूर्ति द्वारा सदा कांग्रेस और केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप का उल्लेख किया जाता है परन्तु उन्होंने अपनी ओर कुछ देखने का प्रयत्न ही कभी नहीं किया। मैंने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी कहा था और अब फिर कहता हूं कि लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल के कांग्रेसियों को कभी भी प्रतिक्रियावादी तत्वों के साथ नहीं मिलना चाहिये। कांग्रेसियों को प्रगतिशील और लोकतंत्री शक्तियों के साथ मिल जाना चाहिये और पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढ़ निकालना चाहिये।

जैसा कि श्री डांगे ने बताया है मुख्य समस्यायें बेरोजगारी, अनाज और मूल्यों में वृद्धि की हैं और हमें मिल इन समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालना चाहिये।

निजी थैलियों के सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री का ध्यान राजस्थान विश्वविद्यालय के बुद्धि-जीवी वर्ग द्वारा प्रकट किये गये विचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने यह अपील की है कि राजनीतिक क्षेत्रों में प्रवेश करने से पूर्व राजाओं और महाराजाओं को अपनी निजी थैलियों को छोड़ देना चाहिये। कल कालाहांडी से निर्वाचित एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह किसी प्रकार विशेषाधिकार नहीं चाहते। गृह मंत्री को राजाओं और महाराजाओं

से अपील करनी चाहिये कि वे अपनी निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को त्याग दें। इससे इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने का काम सरल हो जायेगा। गृह मंत्री को यह अपील करनी चाहिये कि यदि वे लोकतन्त्रवादी बनना चाहते हैं, यदि राष्ट्र की सेवा करने चाहते हैं, यदि वे संसद तथा संविधान के चुनावों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें निजी थैलियां छोड़ देनी चाहिये। मेरे विचार में गृह मंत्री को इस मामले में सफलता मिलेगी।

गृह मंत्री ने राजनीतिक पीड़ितों का मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। जब हम भूतपूर्व शासकों को लाखों रुपये दे रहे हैं तो राजनीतिक पीड़ितों को सहायता क्यों नहीं दे सकते, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जायदाद तथा और सब कुछ खो दिया है। वे इस प्रकार की सहायता के अधिकारी हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के लिये उचित कार्यवाही की जाये। मुझे ऐसे पत्र मिले हैं कि वे भूखे मर रहे हैं। आदिवासियों, हरिजनों आदि को कानून सम्बन्धी सहायता देने के लिये समुचित कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि यह मामला भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये।

उड़ीसा के कांग्रेसी विधायकों तथा संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि ये पुरानी बातें हैं। परन्तु भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही है चाहे वह 1961 का मामला हो और चाहे 1959 का हो। उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री तथा अन्य मन्त्रियों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप हैं।

स्वतंत्र पार्टी में निजी सम्बन्धियों का महत्व है उड़ीसा में मूल्यों में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थियों पर आक्रमण किये जाते हैं, मजदूरों पर लाठियां और गोलियां चलाई जाती हैं। यदि जनता उनका विरोध करती है तो वे कांग्रेस पर आरोप लगाते है। कांग्रेसियों को चाहिये कि वे जनता से सम्पर्क स्थापित करें। चुनावों के बाद कांग्रेस जनता के पास नहीं गई। वर्तमान प्रतिक्रियावादी सरकार की साम्यवादियों ने भी निन्दा की है। यह प्रतिक्रियावादी सरकार के हितों को गैर–सरकारी एकाधिकारियों के हाथों में बेच रही है।

Shri Manubhai Patel (Dabhoi): The Minister of Home Affairs has to be more vigilant. Shri Dwivedi has stated that there are certain elements in the country which want to bring all end to the integration of the country. He opposes them in the case of Naxalbari etc., elsewhere but here in the House he forms a united front with such elements. They hold different views on various matters such as language, Centre State relations, Naxalbari, Gherao etc. Our Home Ministry has shown considerable restraint in respect of all these questions otherwise situation in India would have been different.

All the opposition parties hold different views on the language issue. In my opinion there can be only one national language Viz Hindi or Hindustani. No other language can become national language. Regional languages should, however, be given their due place. But English has to be replaced in any case. I used to speak English but when I visited Rassia, I was asked by a Russin student in Moscow University whether I could not speak in Hindustani ?

I felt as if some body has slapped on my face. Thereafter I met Shri Khruschev. I used to speak in English but his interpreter used to tell me in Hindi. Shri Khrushchev told me that Hindi is national language of India. English is the language of slaves. Therefore, whenever we have to discuss something with India we shall discuss it in Hindi. I want to draw the attention of D. M. K. party and more particularly our friends in Kerala. They should atleast agree to the opinion of ther fatherland. But they don't bother about this. The theory of communists whether left or right remains the same. They believe in class struggle and violence. They do not have faith in constitutional methods.

To-day Centre-State relations pose a problem for the Home Ministry. We have got one constitution, one citizenship etc. and the States have no right to secede. Still if some State claims to be sovereign, it should not be tolerated. The Government should crush the secessionist tendencies. The Home Ministry should take concrete steps to maintain unity of the country otherwise Government would not be failing in its duty. Some political parties have created artificial situation with regard to Centre-State relations and in view of this we have to be more vigilant.

Second thing is that a tendency has been developed that I. C. S. and I. A. S. Cfficers join private firms after their retirement immediately and private enterprisers make full use of their experience and their influence in various offices. There should be some provision under which high officials of the Government should not be allowed to secure employment in private firms atleast for some years.

Similarly there is another question viz. whether an official occupying highest office can take a decision that he would stand in the elections for some other office or he can indulge himself into such activities or he can express his desire to do so ? That means that one is not satisfied with the office of Chief Justice of Supreme Court.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुद्धवार, 5 जुलाई, 1967/14 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July, 5, 1967 Asadha 14 1889 (Saka).